भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

(आर्थिक क्षेत्र)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 1

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ से	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-ix
अध्याय-I: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति		
परिचय	1.1	1
उत्तरदायित्व संरचना	1.2-1.4	1-2
हिमाचल प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी	1.5	2-3
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.6-1.7	3-4
वर्ष के दौरान विशेष सहायता तथा प्राप्तियां	1.8	4-5
वित्त लेखों के साथ मिलान	1.9	5
लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया	1.10-1.12	6-7
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	1.13	7
लेखों को अंतिम रूप न दिये जाने का प्रभाव	1.14	7
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखों के अनुसार उनका निष्पादन	1.15-1.18	7-10
अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समापन	1.19	10-11
लेखा टिप्पणियां	1.20-1.21	11-12
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया	1.22	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही	1.23-1.25	12-14
लेखापरीक्षा के उद्धरणों पर की गई वसूलियां	1.26	14
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना तथा निजीकरण	1.27	14
इस प्रतिवेदन की व्याप्ति	1.28	14
अध्याय–II: निष्पादन लेखापरीक्षा		
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (कम्पनी) एकीकृत काशंग जल विद्युत परियोजना	2	15-39
अध्याय–III: लेन-देन की लेखापरीक्षा		
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित		
निश्चित प्रभारों की गलत माफी	3.1	41-42
सिस्टम की विफलता के कारण धोखाधड़ी का पता न चलना	3.2	42-43
उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण के कारण अल्प वसूली	3.3	43-44
विद्युत कनेक्शन को काटने में विलम्ब के कारण हानि	3.4	44-45
विद्युत प्रभारों की कम बिलिंग	3.5	45-46
वित्तीय लाभ का अनाहरण	3.6	46-47
राजस्व का अनुद्ग्रहण	3.7	47-48

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित		
बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित द्वारा फलों की उपार्जन/प्रसंस्करण तथा निपटान की विषयक लेखापरीक्षा	3.8	48-54
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित		
संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करना	3.9	54-55
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित		
परिहार्य हानि	3.10	55-56
हिमाचल प्रदेश सड़क व अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित		
एक संविदाकार को मूल्य वर्द्धित कर का भुगतान	3.11	56-57
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित		
रेलवे टिकट की बुकिंग पर सेवा प्रभारों की अवसूली के कारण नुकसान	3.12	57-58
किराए के संशोधन में विलम्ब	3.13	58-59

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ से	
		परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
1.1	सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी जिनके लेखे बकाया में हैं	1.11	61
1.2	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम अन्तिम वित्तीय विवरणों/लेखाओं के अनुसार सारांशित वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम	1.15 एवं 1.16	62-65
2.1	विचलित मदों के लिए दरों के गलत विश्लेषण के कारण उच्च दरों को प्रदान करने का विवरण (स्टेज-I)	2.10.2	66-67
3.1	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अन्तर्गत वसूली योग्य उच्च प्रभारों का विवरण	3.7	68
3.2	मानक के अनुसार फर्नेस आयल की अधिक खपत का ब्यौरा दर्शाने वाली विवरणिका	3.8.5 (ii)	69

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बंधित है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कम्पनियां समझी जाने वाली कम्पनियों सहित) के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 व कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 143 के साथ पठित नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

सरकारी कम्पनियों अथवा निगमों के लेखों से सम्बंधित प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम जोकि एक सांविधिक निगम है, के सम्बंध में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमेव लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के सम्बंध में निगम द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा संचालित लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखों की लेखापरीक्षा संचालन करने का अधिकार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास है। इन निगमों के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पृथक रूप से राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित उदाहरणों में वे हैं जो वर्ष 2016-17 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में पाये गए और इसके साथ-साथ वे हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे, जहां कहीं अनिवार्य है 2016-17 से तद्नन्तर अवधि से सम्बंधित मामले भी सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में नियमों, निर्देशों और प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन, ऊर्जा प्रभारों की वसूली न होने/अल्प वसूली और व्यर्थ व्यय के कारण परिहार्य भुगतान से सम्बंधित ₹ 846.91 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्ग्रस्त 13 परिच्छेद तथा एकीकृत काशंग जल विद्युत परियोजना से सम्बन्धित एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है।

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

हिमाचल प्रदेश राज्य में 21 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (19 सरकारी कम्पनियां तथा दो सांविधिक निगम) तथा दो अक्रियाशील कम्पनियां हैं, जिनमें 36,071 कर्मचारी कार्यरत हैं। 31 मार्च 2017 तक 23 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश (प्रदत्त पूंजी, फ्री रिजर्व तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 12,657.73 करोड़ था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल निवेश में से 99.38 *प्रतिशत* क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तथा शेष 0.62 *प्रतिशत* अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। इस कुल निवेश का 30.56 *प्रतिशत* प्रदत्त पूंजी में, 0.66 *प्रतिशत* फ्री रिजर्वों में तथा 68.78 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों के रूप में सम्मिलित था। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किए निवेश का मुख्य जोर ऊर्जा क्षेत्र पर रहा; जो कि 2016-17 के दौरान किए गए कुल निवेश ₹ 12,657.73 करोड़ में ₹ 11,108.62 करोड़ (87.77 *प्रतिशत*) था। पूंजीगत व्यय, ऋणों एवं अनुदानों/सब्सिडियों पर बजटीय व्यय 2014-15 के ₹ 1,189.98 करोड़ से घटकर वर्ष 2016-17 में ₹ 755.60 करोड़ रह गया।

(परिच्छेद 1.1, 1.6, 1.7 तथा 1.8)

30 सितम्बर, 2017 तक अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की कुल बिक्री ₹ 8,344.31 करोड़ थी। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री की प्रतिशतता वर्ष 2012-13 के 6.48 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 6.70 *प्रतिशत* हो गई।

(परिच्छेद 1.15)

2. एकीकृत काशंग जल विद्युत परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा कार्यान्वित की जा रही 195 मेगावाट की स्थापित क्षमता (स्टेज-I: 65 मेगावाट, स्टेज-II एवं III: 130 मेगावाट) वाली एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 708.16 करोड़ की लागत वाली कशांग जल विद्युत परियोजना के निर्माण सम्बन्धी कार्यों का आबंटन फरवरी 2009 तथा अक्तूबर 2010 के मध्य किया गया था जो कि नवम्बर 2014 तक पूर्ण की जानी थी। मार्च 2017 तक, ₹ 1,169.75 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी परियोजना अपूर्ण थी तथा तीन ईकाइयों में से मात्र एक ईकाई ही व्यवसायिक रूप से चालू थी क्योंकि स्टेज-II एवं III की पूर्णता में विलम्ब था। स्टेज-I में 30 महीनों की समय वृद्धि, बाधा रहित कार्य स्थल की अनुपलब्धता, स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण कार्य रोकना, परियोजना मार्गों को रोकना, संविदाकार की त्रुटियों के कारण अधिक रिक्त को भरने हेतु अपेक्षित अतिरिक्त समय तथा प्रतिस्थापित करने से पूर्व संयंत्र को नुकसान के कारण था। समय वृद्धि, परिहार्य अतिरिक्त व्यय, प्रतिस्थापित उच्च दरों पर निर्माण कार्य हेतु भुगतान करने, संविदाकार से अवसूली/अल्प वसूली तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रमात्रा के अल्प प्रावधान होने के फलस्वरूप लागत में वृद्धि हुई।

परियोजना की स्टेज-I, ₹ 478.02 करोड़ (डी.पी.आर.) लागत के प्रति ₹ 789.84 करोड़ में पूर्ण की गई जिससे ₹ 311.82 करोड़ की लागत वृद्धि हुई। अत: स्टेज-I की पूर्णता तक प्रति यूनिट उत्पादन लागत ₹ 2.20 प्रति यूनिट के प्रचलित बिक्री दर के प्रति ₹ 2.85 से ₹ 4.78 प्रति यूनिट तक बढ़ गई थी। परियोजना की स्टेज-II एवं स्टेज-III अब जनवरी 2021 में पूर्ण की जानी निर्धारित की गई है तथा पूर्णता पर उत्पादन लागत में और वृद्धि होने की सम्भावना है।

भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त एशियन विकास बैंक ऋण जो 90 *प्रतिशत* अनुदान (₹ 498.99 करोड़) एवं 10 *प्रतिशत* ऋण (₹ 55.44 करोड़) के रूप में था को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 100 *प्रतिशत* ऋण में परिवर्तित कर दिया गया जिससे परियोजना लागत पर ₹ 152.83 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 651.82 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

(परिच्छेद 2.7.1, 2.7.2, 2.8 तथा 2.10)

3. लेन-देन की लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 के सम्बन्ध में ₹ 5.06 करोड़ के निश्चित मांग प्रभार माफ किये थे।

(परिच्छेद 3.1)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा विभिन्न फील्ड इकाइयों से प्राप्त मासिक लेखों की कम्पनी के मुख्य बैंक खाते के साथ अनिवार्य मैनुएल मिलान का संचालन करने अथवा एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. मोड के माध्यम से प्राप्त भुगतानों का स्व-चालित मिलान करने हेतु इसके सिस्टमों में मॉड्यूल डिजाइन करने में विलम्ब से उपभोक्ता निधियों के अंतरण के संबंध में झूठी रसीदें उत्पन्न करने में सक्षम हुआ जिनको पकड़ा नहीं गया, परिणामत: ₹ 5.36 करोड़ की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.2)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने गलत ढंग से एक बल्क आपूर्ति उपभोक्ता को वाणिज्यिक वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.76 लाख की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 3.3)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने एक मामले में बिल राशि के भुगतान की समय पर निगरानी नहीं की थी और अस्थायी कटौती आदेश जारी करने में 25 महीने लिये थे और तब तक उपभोक्ता से वसूली योग्य विद्युत प्रभारों की राशि ₹ 1.62 करोड़ तक बढ़ गई थी।

(परिच्छेद 3.4)

अपने बिक्री सर्कुलर की गलत प्रयोज्ता तथा एक ही परिसर में दो भिन्न कनेक्शन जारी करने के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने एक उपभोक्ता पर लोअर वॉल्टेज आपूर्ति सरचार्ज के आधार पर ₹ 25.58 लाख तथा एच.टी.-2 श्रेणी पर लागू योग्य उच्च दर सूची के आधार पर ₹ 16.22 लाख का बिल नही लगाया था।

(परिच्छेद 3.5)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा संशोधित वेतन तथा भत्तों के लाभ वापिस लेते हुए ब्याज के रूप में भुगतान किये गये ₹ 37.05 लाख के वित्तीय लाभ का आहरण नहीं किया।

(परिच्छेद 3.6)

विद्युत के संस्वीकृत भार की तुलना में अधिक आहरण को पकड़ने का तंत्र विद्यमान न होने के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को ₹ 36.78 लाख की राजस्व हानि हुई।

(परिच्छेद 3.7)

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित को सेब जूस मिश्रण/सेब रस के कम उत्पादन, सेब के खराब होने, ईंधन की अधिक खपत तथा वितरक को कमीशन के भुगतान के कारण बाजार हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन पर ₹ 2.61 करोड़ की हानि होने के अतिरिक्त बागवानों को समय पर भुगतान जारी न करने से इसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

(परिच्छेद 3.8)

मूल अनुबंध में सम्मिलित चरणवार भुगतान सूची को अग्रवर्ती करने के बाद संविदाकार के साथ हुए पूरक अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ₹ 15.54 करोड़ ब्याज की वसूली के लिए कोई कार्यवाही न करके हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित ने संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया।

(परिच्छेद 3.9)

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित ने एक अपूर्ण संचार लाईन का उपयोग किया और अपेक्षित क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए संविदाकार को ₹ 0.78 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

(परिच्छेद 3.10)

हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित ने स्वीकृति पत्र के निबंधनों व शर्तों में अनुवर्ती संशोधन के द्वारा एक संविदाकार को ₹ 49.87 लाख मूल्य वर्द्धित कर का भुगतान किया।

(परिच्छेद 3.11)

यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्रों के सशक्तीकरण के लिए अनुबंध करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं से सेवा प्रभारों की वसूली के लिए निबंधनों व शर्तों को परिभाषित करने में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित की विफलता से ₹ 18.87 लाख की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.12)

दिल्ली-शिमला व दिल्ली-मनाली मार्ग पर चलने वाली लक्जरी वातानुकूलित बसों के किराए के संशोधन में विलंब के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित को ₹ 0.98 करोड़ के राजस्व की संभावित हानि हुई।

(परिच्छेद 3.13)

अध्याय - I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

अध्याय-I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

परिचय

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य की सरकारी कम्पनियां तथा सांविधिक निगम सम्मिलित होते हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियां चलाने के लिए स्थापित किए गए हैं तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2017 तक 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। इनमें से एक कम्पनी[1] दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थी (अप्रैल 1995)। वर्ष 2016-17 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम[2] बनाया गया और सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उपक्रम बंद नहीं किया गया। 31 मार्च 2017 तक हिमाचल प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा नीचे **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1 31 मार्च 2017 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम[3]	कुल
सरकारी कम्पनियां[4]	19	2	21
सांविधिक निगम	2[5]	-	2
योग	**21**	**2**	**23**

सितम्बर 2017 को क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गये लेखों के अनुसार ₹ 8,344.31 करोड़ (**परिशिष्ट 1.2**) रही। यह कुल बिक्री 2016-17 के लिए राज्य सकल घरेलु उत्पाद के 6.70 *प्रतिशत* के बराबर थी। सितम्बर 2017 को क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल हानि उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गये लेखों के अनुसार ₹ 104.42 करोड़ रही (**परिशिष्ट 1.2**)। उनमें मार्च 2017 के अंत तक 36,071 कर्मचारी कार्यरत थे।

31 मार्च 2017 तक, दो[6] अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे जिनमें ₹ 78.79 करोड़ की पूंजी निवेशित है।

उत्तरदायित्व संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 तथा 143 द्वारा शासित होती है। अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी से अभिप्राय ऐसी किसी भी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त पूंजीगत भाग का न्यूनतम इक्यावन *प्रतिशत* हिस्सा केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार अथवा सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व में है और वो कम्पनी भी इसमें सम्मिलित है जो ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

---

1 हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित।

2 हिमाचल प्रदेश बैव्रेजस सीमित।

3 अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे हैं जिन्होंने अपना प्रचालन बंद कर दिया है।

4 सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) तथा 139 (7) में संदर्भित अन्य कम्पनियां सम्मिलित हैं।

5 हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम।

6 एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड और हिमाचल वर्सटिड मिल्स लिमिटेड।

आगे, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (7) के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, धारा 139 की उप-धारा (5) अथवा उप-धारा (7) के अन्तर्गत सम्मिलित किसी भी कम्पनी के मामले में, ऐसी कम्पनी के लेखों की लेखापरीक्षा संचालित करवा सकते हैं और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19क ऐसी लेखापरीक्षा पर लागू होगी। एक कम्पनी की 1 अप्रैल 2014 को अथवा इसके पश्चात् आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्षों से सम्बंधित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा शासित की जायेगी।

1.3 *सांविधिक लेखापरीक्षा*

सरकारी कम्पनियों (जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित किया गया है) की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) अथवा (7) के अन्तर्गत नियुक्त किए जाते हैं, द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि जिसमें अन्य बातों सहित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों, उन पर की गई कार्यवाही तथा उनका लेखों पर प्रभाव सम्मिलित होता है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास जमा करवाएंगे। अधिनियम की धारा 143 (6) के अन्तर्गत वित्तीय विवरणियां लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा का विषय होती हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके सम्बन्धित विधानों द्वारा शासित की जाती है। दो सांविधिक निगमों[7] में से नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बंध में लेखापरीक्षा चार्टेड अकाउंटेंटों द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

1.4 *सरकार तथा विधानपालिका की भूमिका*

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों पर नियन्त्रण रखती है । मुख्य कार्यकारी तथा बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानपालिका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखाकरण तथा उपयोक्ता की निगरानी करती है। इस उद्देश्य के लिए अधिनियम की धारा 394 अथवा जैसा कि सम्बंधित अधिनियमों में अनुबद्ध है, के अन्तर्गत राज्य सरकारी कम्पनियों के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित वार्षिक प्रतिवेदन और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानपालिका के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19क के अन्तर्गत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

1.5 राज्य सरकार की इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वित्तीय हिस्सेदारी है जोकि मुख्यत: तीन प्रकार की है :

- **शेयर पूंजी तथा ऋण**-शेयर पूंजी अंशदान के अतिरिक्त राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को समय-समय पर ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाती है।

---

[7] हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम।

- **विशेष वित्तीय सहायता**-राज्य सरकार आवश्यकता होने पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदानों तथा सब्सिडियों के माध्यम से बजटीय सहायता उपलब्ध करवाती है।

- **प्रतिभूतियां**-राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों के ब्याज सहित पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूतियां भी देती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.6 31 मार्च 2017 तक 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 12,657.73 करोड़ का निवेश (प्रदत्त पूंजी, फ्री रिजर्व तथा दीर्घावधि ऋण) था जैसाकि नीचे **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रकार	सरकारी कम्पनियां				सांविधिक निगम				सकल योग
	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	फ्री रिजर्व	कुल	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	फ्री रिजर्व	कुल	
क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	3,079.32	8,297.15	84.12	11,460.59	770.06	348.29	0	1,118.35	12,578.94
अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	18.64	60.15	0	78.79	-	-	--	-	78.79
योग	**3,097.96**	**8,357.30**	**84.12**	**11,539.38**	**770.06**	**348.29**	**--**	**1,118.35**	**12,657.73**

31 मार्च 2017 तक कुल निवेश में से 99.38 *प्रतिशत* क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तथा शेष 0.62 *प्रतिशत* अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था । इस कुल निवेश का 30.56 *प्रतिशत* प्रदत्त पूंजी, 0.66 *प्रतिशत* फ्री रिजर्वो तथा 68.78 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों के रूप में सम्मिलित था । निवेश 2013-14 के ₹ 8,931.48 करोड (प्रदत्त पूंजी: ₹ 2,990.47 करोड़, फ्री रिजर्व: ₹ 21.64 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹ 5,919.37 करोड़) से बढ़कर 2016-17 में ₹ 12,657.73 करोड़ (प्रदत्त पूंजी: ₹ 3,868.02 करोड़, फ्री रिजर्व: ₹ 84.12 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹ 8,705.59 करोड़) हो गया जैसा कि नीचे **ग्राफ 1.1** में दर्शाया गया है।

ग्राफ 1.1: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश

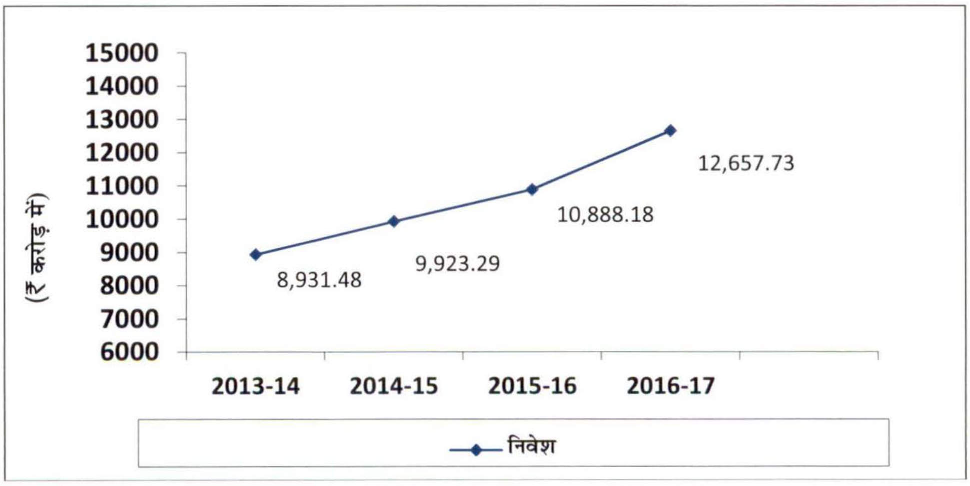

1.7 31 मार्च 2017 के अंत में चार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश एवं उनकी *प्रतिशतता* नीचे **ग्राफ 1.2** में दर्शाई गई है:

ग्राफ 1.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

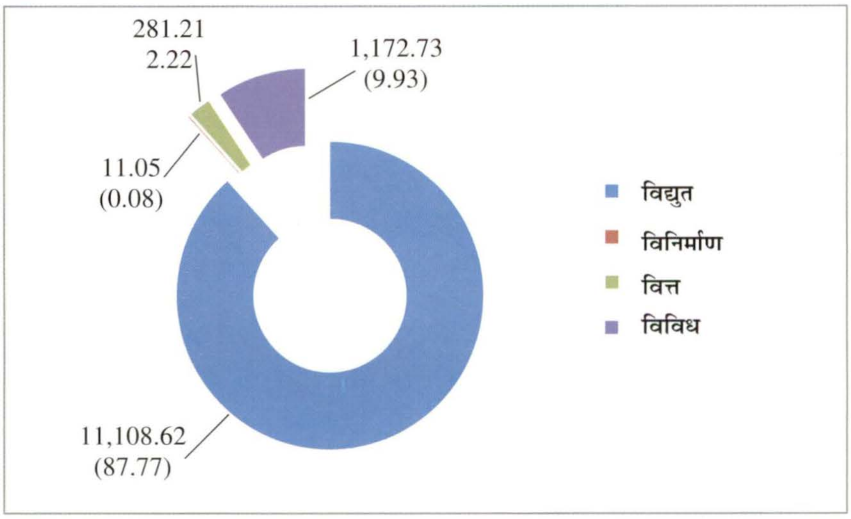

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े निवेश के कुल निवेश के साथ क्षेत्रवार *प्रतिशतता* दर्शाते हैं)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का जोर मुख्यत: ऊर्जा क्षेत्र में था। यह 2016-17 में ₹ 12,657.73 करोड़ के कुल निवेश का 87.77 *प्रतिशत* (₹ 11,108.62 करोड़) था।

वर्ष के दौरान विशेष सहायता तथा प्राप्तियां

1.8 राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। 31 मार्च 2017 को समाप्त तीन वर्षों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में शेयर पूंजी, ऋणों, अनुदानों/सब्सिडियों, बट्टे खाते में डाले गए ऋणों एवं माफ किए गए ब्याज के प्रति बजटीय निकास का सार रूप में ब्यौरा नीचे **तालिका 1.3** में दिया गया है।

तालिका 1.3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता से सम्बंधित ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिकक्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
1.	बजट से शेयर पूंजी का निकास	7	283.38	8	308.29	5	116.01
2.	बजट से दिये गए ऋण	2	119.15	2	96.04	2	133.06
3.	बजट से अनुदान/सब्सिडी	7	787.45	9	623.37	5	506.53
4.	**कुल निकास**(1+2+3)		**1,189.98**		**1,027.70**		**755.60**
5.	ऋण/ब्याज को बट्टे खाते में डालना तथा शेयर पूंजी में परिवर्तित ऋण	1	19.11	0	शून्य	0	शून्य
6.	जारी की गई गारंटियां	9	4,919.21	9	2,855.24	6	3,174.85
7.	गारंटी प्रतिबद्धता	9	2,746.24	8	1,516.87	5	3,991.17
8.	गारंटी फीस	2	0.09	2	0.09	2	0.80

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त आंकड़े।

2014-15 से 2016-17 वर्षों के दौरान राज्य सरकार का शेयर पूंजी, ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडियों की ओर बजटीय निकास घटती प्रवृत्ति दर्शाता है। बजटीय निकास जो 2014-15 में ₹ 1,189.98 करोड़ था, 2016-17 में ₹ 755.60 करोड़ तक घट गया।

राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रतिभूति देती है और शून्य *प्रतिशत* से एक *प्रतिशत* तक प्रतिभूति फीस प्रभारित करती है। 2016-17 के दौरान सरकार ने छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्राप्त किए गए कुल ₹ 3,174.85 करोड़ के ऋणों पर प्रतिभूति दी थी। प्रत्याभूति प्रतिबद्धता वर्ष 2015-16 के ₹ 1,516.87 करोड़ (आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) से बढ़कर 2016-17 में ₹ 3,991.17 करोड़ (पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) हो गई। 2016-17 के दौरान दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[8] ने ₹ 0.80 करोड़ की प्रतिभूति फीस का भुगतान किया था।

वित्त लेखों के साथ मिलान

1.9 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार शेयर पूंजी तथा बकाया ऋणों से सम्बंधित आंकड़े राज्य के वित्त लेखों में दर्शाए आंकड़ों के अनुसार होने चाहिए। यदि आंकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभाग को भिन्नताओं का मिलान करना चाहिए। इस सम्बंध में 31 मार्च 2017 की स्थिति निम्न **तालिका 1.4** में दर्शायी गई है।

तालिका-1.4: वित्त लेखों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार शेयर पूंजी तथा बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	से सम्बंधित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
1.	शेयर पूंजी[9]	882.17	976.62	94.45
2.	ऋण[10]	3,354.99	5,824.74	2,469.75

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध करवाए गए और वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों में अन्तर था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सम्बंधित प्रशासनिक विभागों के माध्यम से अन्तर के कारण उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभागों से अन्तर का मिलान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया था (सितम्बर 2017)।

8 हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित।

9 इक्विटी के सन्दर्भ में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे कि हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित, हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एवं हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित।

10 ऋण के सन्दर्भ में 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे कि हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम सीमित एवं हिमाचल प्रदेश वित्त निगम।

लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

1.10 प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कम्पनियों द्वारा वित्तीय विवरणियों को सम्बंधित वित्तीय वर्ष के अंत से छ: महीनों के भीतर अर्थात् 30 सितम्बर तक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 (1) के अनुरूप अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है। ऐसा न किये जाने पर अधिनियम की धारा 99 के अन्तर्गत दंडात्मक प्रावधान लगाए जा सकते हैं। सांविधिक निगमों के मामले में उनसे सम्बंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाता है, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है तथा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

30 सितम्बर 2017 तक 21 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप दिए जाने में हुई प्रगति का ब्यौरा नीचे **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका-1.5: क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने से सम्बंधित स्थिति

क्रमांक	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अन्य कम्पनियों की संख्या	19	19	19	20	21
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गए लेखों की संख्या	15	16	16	19	21
3.	बकाया लेखों की संख्या	20	23	26	27	27
4.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखों में बकाया है	12	15	18	18	17
5.	बकाया की सीमा (संख्या वर्षों में)	1 से 3 वर्ष	1 से 3 वर्ष	1 से 3 वर्ष	1 से 3 वर्ष	1 से 4 वर्ष

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखों के बकाया हैं, को बैकलॉग के शीघ्र निपटान और लेखों के अद्यतन करने हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखों के बकाया है, को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष में निम्नतम दो वर्षों के लेखा को अंतिम रूप दिया गया है ताकि बकायों का परिसमापन किया जाये।

प्रशासकीय विभागों पर इन इकाइयों के कार्यकलापों की निगरानी करने तथा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर लेखों को अंतिम रूप दिये जाने तथा अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है। यद्यपि सम्बंधित प्रशासकीय विभागों को लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया की प्रास्थिति पर नियमित रूप से सूचित किया गया था, तथापि कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका। लेखों के बकाया का मामला, लेखों के बकाया की परिसमाप्ति हेतु मुख्य सचिव/निदेशक, संस्थागत वित्त एवं लोक उद्यम के संज्ञान में लाया गया था (जुलाई 2017)। तथापि कोई महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं देखा गया।

1.11 राज्य सरकार ने 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लिए लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, में ₹ 3,462.41 करोड़ का निवेश किया था जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1*** में ब्यौरा दिया गया है। लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने एवं उनकी लेखापरीक्षा न होने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि निवेश तथा किये गये व्यय का लेखांकन उचित ढंग से किया गया है और जिस प्रयोजन हेतु राशि का निवेश किया गया था वह प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। अत: ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा किया गया निवेश राज्य विधानमंडल की संवीक्षा से बाहर रहा।

1.12 दो अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, हिमाचल प्रदेश वर्सटेड मिल्स लिमिटेड 2000-01 से परिसमापन की प्रक्रिया में था और उस अवधि तक इसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था। एग्रो इंड्स्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड के लेखे वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए बकाया थे।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

1.13 नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा हिमाचल सड़क परिवहन निगम के वर्ष 2016-17 के लेखों पर जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त निगम हेतु वर्ष 2015-16 तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था।

लेखों को अंतिम रूप न दिये जाने का प्रभाव

1.14 लेखों को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब से सम्बंधित नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त जन-धन की धोखाधड़ी तथा रिसाव भी हो सकता है। लेखों के बकाया के मद्देनजर, वर्ष 2016-17 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वास्तविक योगदान सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखों के अनुसार उनका निष्पादन

1.15 क्रियाशील सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यकलाप परिणामों का ब्यौरा ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की कुल बिक्री का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों का विस्तार दर्शाता है। 31 मार्च 2017 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के लिए क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का ब्यौरा नीचे **तालिका 1.6**, में दिया गया है।

तालिका 1.6: राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल बिक्री[11]	4,945.29	5,952.79	6,536.34	7,565.74	8,344.31
राज्य सकल घरेलू उत्पाद	76,259	85,841	95,587	1,10,511	1,24,570
राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रति कुल बिक्री की *प्रतिशतता*	6.48	6.93	6.84	6.85	6.70

विगत पांच वर्षों के दौरान क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री 2012-13 में ₹ 4,945.29 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 8,344.31 करोड़ हो गई। राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रति कुल बिक्री की प्रतिशतता 2012-13 में 6.48 से बढ़कर 2016-17 में 6.70 हो गई।

11 30 सितम्बर तक नवीनतम अंतिम रूप प्राप्त लेखों के अनुसार कुल बिक्री।

1.16 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अर्जित लाभ/ हुई हानि नीचे **ग्राफ 1.3** में दिया गया है ।

ग्राफ 1.3: क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ/हानि

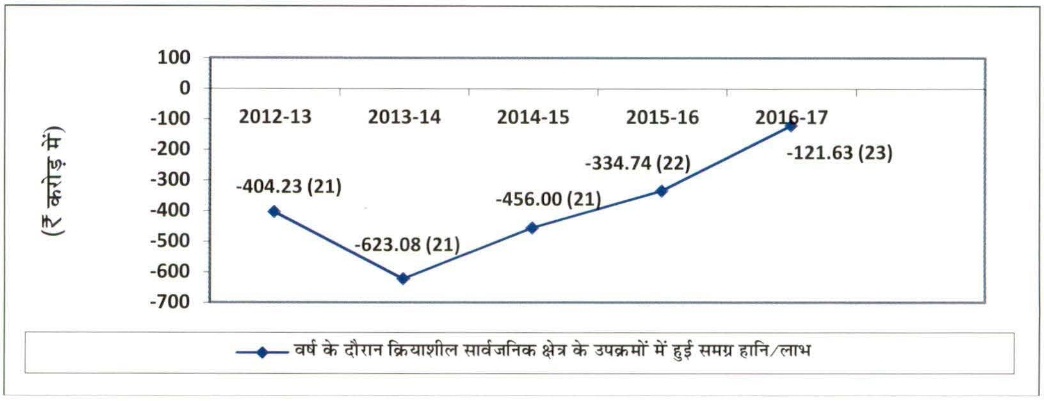

(समग्र लाभ/हानि वर्ष के दौरान जिसके लिए लेखें को अंतिम रूप दिया गया था, लाभ/हानि का निवल परिणाम है और कोष्ठक में दिये गये आंकडे सम्बन्धित वर्षों में क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या को दर्शाते है)

- यह पाया गया कि क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2012-13 में ₹ 404.23 करोड़ की सीमा तक की गई समग्र हानियां 2016-17 में घटकर ₹ 104.42 करोड़ हो गई हैं।

- हानि में कमी का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शेयर पूंजी, ऋणों तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय पैकेज देना था और उदय स्कीम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान था।

नवीनतम वर्ष जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया था, के लिए सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के सारांशित वित्तीय परिणाम ***परिशिष्ट 1.2*** में दिए गए है। 01 अक्तूबर 2016 से 30 सितम्बर 2017 की अवधि के दौरान 18 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में 21 लेखे प्राप्त हुए थे। एक क्रियाशील सरकारी कम्पनी (ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित) ने अपने लाभ एवं हानि लेखे तैयार नहीं किए है जबकि एक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित के सम्बंध में आय की तुलना में व्यय आधिक्य राज्य

सरकार द्वारा पुनर्भुगतान योग्य है। 2016-17 में निर्मित हिमाचल प्रदेश बैवरेज सीमित ने अपने प्रथम लेखे तैयार नहीं किए हैं।

तालिका 1.7 (क) लाभ अर्जित करने वाले क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण

(₹ करोड़ में)

कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जब लेखों को अंतिम रूप दिया गया	सकल लाभ
हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	2015-16	2017-18	1.21
हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2013-14	2016-17	0.20
हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम सीमित	2013-14	2017-18	0.30
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम सीमित	2015-16	2016-17	8.25
हिमाचल प्रदेश सामान्य औद्योगिक निगम सीमित	2015-16	2016-17	5.47
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित	2015-16	2017-18	2.11
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2015-16	2017-18	2.12
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम सीमित	2015-16	2016-17	-
	2016-17	2017-18	1.38
हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	2015-16	2016-17	0.69
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2015-16	2016-17	1.40
हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2015-16	2016-17	1.40
हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम	2015-16	2016-17	1.73

तालिका 1.7 (ख) हानि अर्जित करने वाले क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण

(₹ करोड़ में)

कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जब लेखों को अंतिम रूप दिया गया	सकल लाभ
हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	2014-15	2017-18	0.86
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2015-16	2016-17	3.14
हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2014-15	2017-18	4.09
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2015-16	2017-18	17.92
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	2014-15	2016-17	113.51
हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	2016-17	2017-18	6.40

- लाभ में प्रमुख हिस्सेदारी हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम सीमित (₹ 8.25 करोड़) और हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित (₹ 5.47 करोड़) की थी।

- भारी हानियां हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (₹ 113.51 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (₹ 17.92 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (₹ 6.40 करोड़) में हुई थी।

1.17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ अन्य प्रमुख मानदंड नीचे **तालिका 1.8** में दिए गए हैं:

तालिका 1.8: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख मानदंड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
इक्विटी	उपलब्ध नहीं	672.91	-18.2	-62.72	336.05
निवेश	उपलब्ध नहीं	6756.74	8294.58	8729.93	9919.50
ब्याज, कर एवं लाभांश से पूर्व लाभ	उपलब्ध नहीं	-620.83	4.93	248.74	-104.42
कर एवं प्राथमिक लाभांश के बाद सकल लाभ	उपलब्ध नहीं	-625.18	-455.70	-332.54	-119.12
इक्विटी पर प्रतिफल[12] $ (*प्रतिशत*)	उपलब्ध नहीं	-92.91	*	*	-35.45
निवेश पूंजी पर प्रतिफल[13] (*प्रतिशत*)	उपलब्ध नहीं	-9.18	0.06	2.85	-0.01
ऋण	3,932.91	5,919.37	6,568.11	5,384.53	6,225.04
कुल बिक्री$	4,945.29	5,952.79	6,536.34	7,565.74	8,344.31
ऋण/कुल बिक्री अनुपात	0.80:1	0.99:1	1:1	0.71:1	0.75:1
ब्याज अदायगियां	163.24	280.37	473.82	613.73	571.52
संचित हानि	1,875.73	2,492.97	2,951.26	3,291.92	3,242.88

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचना

$ - आंकड़ें 30 सितम्बर 2017 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार तथा क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री 30 सितम्बर 2017 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार

* इन वर्षों में इक्विटी नकारात्मक रूप में थी इसलिए मापने योग्य नहीं है

ऋण-कुल बिक्री अनुपात 2012-13 में 0.80:1 से घटकर 2016-17 में 0.75:1 रह गया। संचित हानियां जो 2012-13 में ₹ 1,875.73 करोड़ थीं, 2016-17 में ₹ 3,242.88 करोड़ तक बढ़ गईं।

1.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (अप्रैल 2011) जिसके अन्तर्गत लाभ अर्जित करने वाले समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (उन्हें छोड़कर जो कल्याण एवं उपयोगिता क्षेत्र में हैं) से राज्य सरकार द्वारा अंशदान की गई प्रदत्त पूंजी पर पांच *प्रतिशत* न्यूनतम प्रतिफल भुगतान अपेक्षित है जो कर के उपरान्त लाभ के 50 *प्रतिशत* की अधिकतम सीमा तक हो सकता है। अपने नवीनतम अंतिम रूप प्राप्त किए लेखों के अनुसार, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 24.29 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जिसमें से मात्र दो[14] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2015-16 के दौरान ₹ 1.89 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया। लाभ अर्जित करने वाले शेष 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने राज्य सरकार को कोई लाभांश भुगतान नहीं किया था।

अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समापन

1.19 31 मार्च 2017 तक एग्रो इंडस्ट्रिज पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड तथा हिमाचल वर्सटेड मिल्स लिमिटेड दो अक्रियाशील कम्पनियां थी। हिमाचल वर्सटेड मिल्स लिमिटेड ने अपनी परिसमापन प्रक्रिया

---

12 इक्विटी पर प्रतिफल = कर एवं प्राथमिक लाभांश के बाद सकल लाभ/हिस्सेदारी निधि जहां हिस्सेदारी निधि (इक्विटी) = प्रदत्त शेयर पूंजी + फ्री रिजर्व एवं आधिक्य - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

13 निवेश पर प्रतिफल = ब्याज/निवेश, कर एवं लाभांश से पूर्व कुल लाभ जहां निवेश = प्रदत्त पूंजी + फ्री रिजर्व + दीर्घ कालीन ऋण।

14 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम।

2000-01 से आरम्भ कर दी थी जबकि हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रिज पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड के सम्बंध में परिसमापन प्रक्रिया अभी आरंभ की जानी थी। अक्रियाशील कम्पनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे रही थी तथा न ही अपने अभिप्रेत उद्देश्यों की पूर्ति कर रही थी और सरकार इन कम्पनियों को शीघ्रतापूर्वक बंद करने पर विचार कर सकती है।

लेखा टिप्पणियां

1.20 18 क्रियाशील कम्पनियों ने अक्तूबर 2016 से सितम्बर 2017 तक प्रधान महालेखाकार को अपने 21 लेखापरीक्षा किए गए लेखे अग्रेषित किए थे जिनका अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मुद्रा मूल्यों का ब्यौरा नीचे **तालिका 1.9** में दिया गया है।

तालिका-1.9: क्रियाशील कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	4	21.87	6	4.99	8	7.49
2	हानि में वृद्धि	5	2,105.11	2	6.34	3	21.22
3.	हानि में कमी	2	2.22	2	1.29	3	1.17
4	लाभ में वृद्धि	-	-	2	0.66	1	0.09
5	सामग्री तथ्यों का गैर-उद्घाटन	2	19.64	2	3.93	-	-
6	वर्गीकरण की अशुद्धियां	2	4.47	2	0.34	-	-

लेखा टिप्पणियों के परिणास्वरूप वर्ष 2016-17 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के पन्द्रह उपक्रमों की हानि में ₹ 27.45 करोड़ की समग्र वृद्धि हुई।

वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों के लिए प्रतिकूल प्रमाणपत्र[15] तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के एक लेखे के लिए अस्वीकरण[16] दिया था। शेष 14 लेखों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों ने योग्य प्रतिवेदन जारी किये थे। नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान 17 लेखों के लिए टिप्पणी युक्त योग्य प्रतिवेदन दिये थे और तीन कम्पनियों के चार लेखों के लिए शून्य टिप्पणियां जारी की गई थी। कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना खराब रही क्योंकि वर्ष के दौरान छः लेखों में गैर-अनुपालना के 24 उदाहरण थे।

1.21 इसी प्रकार, दो क्रियाशील सांविधिक निगमों ने अक्तूबर 2016 से सितम्बर 2017 की अवधि के दौरान अपने तीन लेखे अग्रेषित किए थे । इनमें से, हिमाचल पथ परिवहन निगम का एक लेखा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एकल लेखापरीक्षा से सम्बंधित था जो कि पूर्ण हो गई थी। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के शेष दो लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए थे और लेखापरीक्षा टिप्पणियां जारी की गई थी।

---

15 प्रतिकूल प्रमाण पत्र से तात्पर्य है कि लेखे सत्य एवं सही स्थिति को प्रकट नहीं करते।

16 अस्वीकृति से तात्पर्य है कि लेखापरीक्षक लेखाओं पर अपना मत देने में असमर्थ हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मुद्रा मूल्य का ब्यौरा नीचे **तालिका 1.10** में दिया गया है।

तालिका 1.10: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	हानि में वृद्धि	2	41.60	1	49.19	1	2.50*
2	हानि में कमी	-	-	1	0.04	2	0.47
3	सामग्री तथ्यों का गैर-उद्‌घाटन	1	5.27	1	0.57	-	-

* हानि में ₹ 2.50 करोड़ की वृद्धि हिमाचल पथ परिवहन निगम के मामले में हुई थी।

लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षा तथा परिच्छेद

1.22 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों पर भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन के लिए सम्बंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 13 अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद छः हफ्तों के भीतर उत्तर देने के अनुरोध के साथ जारी किए गए थे । तथापि राज्य सरकार से निष्पादन लेखापरीक्षा तथा आठ अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों के सम्बंध में उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2017)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

बकाया उत्तर

1.23 नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सांविधिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा प्रस्तुत करता है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी अधिकारी से उचित तथा समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने समस्त प्रशासनिक विभागों को नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में प्रस्तुत करने के तीन मास की अवधि के भीतर उनमें सम्मिलित परिच्छेद/समीक्षाओं पर उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां निर्धारित प्रारूप में लोक उपक्रम समिति से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना जमा करवाने के निर्देश जारी किए थे (फरवरी 1994)।

व्याख्यात्मक टिप्पणियों की प्राप्ति की स्थिति नीचे **तालिका 1.11** में दी गई है।

तालिका 1.11: 30 सितम्बर 2017 तक प्राप्त नहीं हुई व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (आर्थिक क्षेत्र) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं परिच्छेद		निष्पादन लेखापरीक्षाओं /परिच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद
2012-13	फरवरी 2014	2	12	0	0
2013-14	अप्रैल 2015	1	10	0	1
2014-15	अप्रैल 2016	2	12	2	9
2015-16	मार्च 2017	1	11	1	11
योग		**6**	**45**	**3**	**21**

51 परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से छः विभागों के सम्बंध में 24 परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं (47 *प्रतिशत*) की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2017)।

लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

1.24 30 सितम्बर 2017 तक निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा परिच्छेदों जो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (आर्थिक क्षेत्र) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हुए तथा जिन पर लोक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की गई, की प्रास्थिति नीचे **तालिका 1.12** में दी गई है।

तालिका 1.12: 30 सितम्बर 2017 तक निष्पादन लेखापरीक्षाएं/परिच्छेद जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हुए हैं और जिन पर चर्चा की गई

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/परिच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित		परिच्छेद जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद
2010-11	1	15	0	15
2011-12	1	13	1	9
2012-13	2	12	0	9
2013-14	1	10	0	2
2014-15	2	12	0	1
2015-16	1	11	0	0
योग	**8**	**73**	**1**	**36**

लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

1.25 दिसम्बर 2013 से मार्च 2017 के मध्य राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए गए लोक उपक्रम समिति के 27 प्रतिवेदनों से सम्बंधित 42 परिच्छेदों के प्रति एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त नहीं हुए थे

(नवम्बर 2017) जैसा कि नीचे **तालिका 1.13** में इंगित किया गया है।

तालिका 1.13: लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन का वर्ष	लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	परिच्छेदों की कुल संख्या	लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जहां एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त नहीं हुए
2013-14	2	2	8	8
2014-15	10	16	65	65
2015-16	8	18	27	16
2016-17	7	6	58	58
योग	**27**	**42**	**158**	**147**

लोक उपक्रम समिति के इन प्रतिवेदनों में पांच[17] विभागों से सम्बंधित परिच्छेदों जो वर्ष 2005-06 से 2014-15 के लिए नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल थे, के सम्बंध में सिफारिशें सम्मिलित थीं।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार (क) लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर प्रारूप परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा एक्शन टेकन नोट्स के प्रति उत्तर भेजना तथा (ख) समयबद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया की प्रणाली को ठीक करना।

लेखापरीक्षा के उद्धरणों पर की गई वसूलियां

1.26 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई वसूलियों से अंतर्ग्रस्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष आगामी जांच के लिए लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकार को प्रेषित किये जाते हैं।

वर्ष 2016-17 में लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन को ₹ 51.69 करोड़ की वसूलियां सूचित की गई थी जोकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। इस राशि के प्रति वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 40.53 करोड़ राशि की वसूली की गई थी जिसमें से ₹ 40.44 करोड़ की वसूली मात्र हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बंधित थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना तथा निजीकरण

1.27 वर्ष 2016-17 के दौरान सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के निजीकरण का कोई मामला नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित सरकारी इक्विटी के विनिवेश हेतु कोई नीति तैयार नहीं की है।

इस प्रतिवेदन की व्याप्ति

1.28 इस प्रतिवेदन में ₹ 846.91 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्ग्रस्त हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और एक विषयगत परिच्छेद सहित 13 परिच्छेद सम्मिलित हैं।

---

[17] विद्युत, वित्त, सेवा अवसंरचना तथा कृषि एवं समवर्गी।

अध्याय - II

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित

एकीकृत काशंग जल विद्युत परियोजना

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (कम्पनी) परिपालक एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना है जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 195 मेगावाट (स्टेज-I, 65 मेगावाट और स्टेज-II एवं III, 130 मेगावाट) होगी। आंकलित लागत ₹ 966.21 करोड़ थी तथा परियोजना को नवम्बर 2015 तक पूरा किया जाना था। नवम्बर 2017 तक केवल स्टेज-I प्रतिष्ठापित (सितम्बर 2016) किया गया है और स्टेज-II एवं III निष्पादनाधीन थे। अब तक ₹ 1,169.75 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं जो कि अनुमानित लागत से ₹ 203.54 करोड़ अधिक है। जनवरी 2021 तक प्रतिष्ठापन पूरा किये जाने का पूर्वानुमान लगाया गया था। परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में स्टेज-I की योजना, निर्माण तथा परिचालन क्रियाकलाप तथा स्टेज-II एवं III की योजना और निर्माण क्रियाकलाप आवृत थे। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की परिकल्पना और तैयार करने में कमियां तथा संविदाकार को परिहार्य/अतिरिक्त भुगतान और परियोजना के लिए अतिरिक्त लागत की बुकिंग के मामले पाये गये। इसके परिणामस्वरूप स्टेज-I की पूर्णता पर उत्पादन लागत वर्तमान बिक्री दर ₹ 2.20 प्रति यूनिट के प्रति ₹ 2.85 से ₹ 4.78 प्रति यूनिट तक बढ़ गई जिससे परियोजना वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य हुई।

मुख्य बातें

भारत सरकार द्वारा एशिया विकास बैंक से प्राप्त ऋण को 90 *प्रतिशत* अनुदान (₹ 498.99 करोड़) एवं 10 *प्रतिशत* ऋण (₹ 55.44 करोड़) के रूप में जारी किया गया जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 100 *प्रतिशत* ऋण में परिवर्तित कर दिया गया जिससे परियोजना लागत पर ₹ 152.83 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 651.82 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

(परिच्छेद 2.7.2)

स्टेज-I में 30 महीनों की समय वृद्धि बाधामुक्त कार्यस्थल की अनुपलब्धता, स्थानीय लोगों द्वारा कार्य बन्द करवाने, परियोजना सड़कों को बन्द करवाने, संविदाकार के दोष के कारण अधिक रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समय तथा प्रतिष्ठापन से पूर्व संयंत्र को नुकसान के कारण थी। परियोजना के स्टेज-I को ₹ 311.82 करोड़ की लागत वृद्धि सहित पूर्ण किया गया। फलत: स्टेज-I की पूर्णता तक प्रति यूनिट उत्पादन लागत वर्तमान बिक्री[1] दर ₹ 2.20 प्रति यूनिट के प्रति ₹ 2.85 से ₹ 4.78 प्रति यूनिट तक बढ़ गई।

(परिच्छेद 2.8)

1 दर जिससे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को ऊर्जा का विक्रय किया गया।

लेखापरीक्षा में निम्नवत् तथ्य भी पाये गये:

- स्टेज-I में संविदाकार को ₹ 27.72 करोड़ की सहायता के अतिरिक्त ₹ 8.30 करोड़ का अतिरिक्त व्यय, ₹ 1.99 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान, ₹ 6.77 करोड़ की अवसूली/अल्प वसूली विभिन्न संविदात्मक प्रावधानों की अनुपालना न करने के कारण की गई।
- विद्युत-यांत्रिकी कार्यों में ₹ 17.61 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान/परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया।
- इसके अतिरिक्त स्टेज-II एवं III में ₹ 9.32 करोड़ की अतिरिक्त ब्याज हानि, अतिरिक्त/परिहार्य व्यय किया गया।

(परिच्छेद 2.10, 2.17 एवं 2.21)

2.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में काशंग खड्ड (सतलुज नदी की उपनदी) पर नदी विकास को चलाने के लिए एकीकृत काशंग जल विद्युत परियोजना (परियोजना) पर विचार किया गया। व्यास तथा सतलुज नदी घाटियों में जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन हेतु जल विद्युत विकास निगम नाम के रूप में एक विशेष साधन का सृजन किया गया (मार्च 2003) जिसका बाद में अगस्त 2007 में हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (कम्पनी) के साथ विलय कर दिया गया। परियोजना सतलुज नदी घाटी में निष्पादित किये जाने वाली दो[2] परियोजनाओं का एक भाग थी। 195 मेगावाट (स्टेज-I, 65 मेगावाट एवं स्टेज-II एवं III, 130 मेगावाट) की प्रतिष्ठापन क्षमता वाली परियोजना के लिए तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दो भागों अर्थात् स्टेज-I (जुलाई 2008) ₹ 478.02 करोड़ तथा स्टेज-II एवं III (सितम्बर 2009) ₹ 488.19 करोड़ हेतु प्रदान की गई। वित्तीय प्रबंधन स्पष्टतया ऋण इक्विटी अनुपात सहित 70:30 (ऋण ₹ 676.35 करोड़ एवं इक्विटी ₹ 289.86 करोड़) के थे। परियोजना के लिए पहले दो वर्षों के दौरान एक इकाई 238.62 मिलियन यूनिटों तथा तत्पश्चात 713 मिलियन यूनिटों का उत्पादन करने के लिए बनाई गई थी। परियोजना की दोनों स्टेजों का निर्माण कार्य जनवरी 2014 एवं नवम्बर 2015[3] के मध्य पूर्ण किये जाने के लिए अनुसूचित किया गया था। निर्माण कार्य अप्रैल 2009 के दौरान प्रारम्भ किया गया तथा 48 महीनों के अंदर पूरा करना निश्चित किया गया था परंतु परियोजना की पहली इकाई ही केवल सितम्बर 2016 तक स्थापित की जा सकी।

2.2 संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई थी। एक निदेशक मण्डल कम्पनी का प्रबन्धन करती है। प्रबन्धन निदेशक, निदेशक मण्डल का अध्यक्ष होता है तथा कम्पनी के व्यापार के पर्यवेक्षण के लिए चार अन्य निदेशक होते हैं। परियोजना के सिविल एवं विद्युत-यांत्रिकी कार्यों का निष्पादन एक महाप्रबंधक के समग्र नियंत्रणाधीन है जिनकों तीन सहायक महाप्रबंधकों, सिविल, यांत्रिकी एवं विद्युत द्वारा सहयोग दिया जाता है।

---

2 (i) कशांग जल विद्युत परियोजना व (ii) शोंगटोंग-कड़छम जल विद्युत परियोजना।

3 विद्युत-यांत्रिक कार्यों सहित।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित निर्धारित करना था कि:

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निष्पादित की जाने वाली सभी मदों की समुचित मात्रा सम्मिलित करके तैयार किया गया था;
- परियोजना के निष्पादन के दौरान संविदा के नियम एवं शर्तों को सख्ती से लागू किया गया था;
- परियोजना का निष्पादन मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावकारी तरीके से किया गया था;
- परियोजना के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए पाई गई त्रुटियों के निवारण हेतु शोधन उपाय एवं तत्काल प्रत्युत्तर के लिए अनुश्रवण व्यवस्था मौजूद थी; तथा
- परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य थी अर्थात् बाजार मूल्य जिस पर विद्युत बेची जाएगी उत्पादन लागत को पूरा करेगी।

2.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा स्टेज-I की योजना, कार्य प्रदान किये जाने एवं निष्पादन तथा परिचालन क्रियाकलापों तथा परियोजना की स्टेज-II एवं III की योजना एवं कार्य प्रदान किये जाने तथा निष्पादन क्रियाकलापों की प्रारम्भ से 2016-17 तक को सम्मिलित करने के लिये की गई। लेखापरीक्षा जांच में परियोजना के अभिकल्प एवं निर्माण कार्य के सम्बंध में निगमित निगम के मुख्यालय तथा रिकांगपीओ में स्थित परियोजना व कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल थी।

हिमाचल प्रदेश सरकार तथा कम्पनी को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को बताने के लिए अप्रैल 2017 में निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए आरम्भिक सम्मेलन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा कम्पनी/प्रबंधन को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की सूचना दी गई (जुलाई 2017), तथापि उनका उत्तर अपेक्षित है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (एम0पी0पी0 व पावर)/कम्पनी के प्रबंधन के साथ आयोजित समापन सम्मेलन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की विवेचना की गई (अगस्त 2017)। प्रबंधन के उत्तर जहां प्राप्त हुए है उन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल कर दिया गया है।

2.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करने के लिए अपनाये गये लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित से निकाले गये:

- परियोजना की योजना के सम्बंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मानदण्ड/दिशानिर्देश;
- केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देशन;
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, परियोजना तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अन्वेषण के लिए भू-विज्ञानी के प्रतिवेदन;
- मितव्यय, दक्षता एवं प्रभावकारिता के संदर्भ में संविदाएं प्रदान करने हेतु मानक प्रक्रियाओं तथा एशियन विकास बैंक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश; तथा
- परियोजना के निष्पादन हेतु संविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई निर्माण अनुसूची एवं कार्यपद्धति।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

परियोजना के निष्पादन को दो भागों में बांटा गया अर्थात् स्टेज-I तथा स्टेज-II एवं III इसी प्रकार लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी स्थूल रूप से दो भागों अर्थात् स्टेज-I तथा स्टेज-II एवं III में विभाजित किया गया है।

2.7 वित्तीय प्रबंधन

2.7.1 निधियन

परियोजना के लिए विद्युत वित्त निगम द्वारा 11 *प्रतिशत* वार्षिक ब्याज दर पर ₹ 200 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया था (फरवरी 2003)। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा ₹ 200 करोड़ के स्वीकृत ऋण के प्रति केवल ₹ 30.00 करोड़ कम्पनी को परियोजना का निर्माण कार्य सपुर्द किये जाने से पूर्व निष्पादित किये गये आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिए प्राप्त किये गये। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास कार्यक्रम (नवम्बर 2008) के अन्तर्गत परियोजना के निष्पादन हेतु ₹ 708.16 करोड़ का ऋण (सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी कार्यों का संविदा मूल्य) एशियन विकास बैंक से लिया गया। शुल्क निर्धारण हेतु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित 70:30 के मानदण्ड के प्रति ऋण इक्विटी अनुपात 51:49[4] पर ₹ 1,169.75 करोड़ का व्यय कम्पनी द्वारा परियोजना पर मार्च 2017 तक किया गया।

2.7.2 अनुदान पर ब्याज प्रभारित करना

लंदन इंटर बैंक द्वारा प्रस्तावित दर से 0.20 *प्रतिशत* अधिक ब्याज दर पर एशियन विकास बैंक से संस्वीकृत ₹ 708.16 करोड़ ऋण के प्रति भारत सरकार ने मार्च 2017 तक राज्य सरकार के जरिये 90 *प्रतिशत* अनुदान तथा 10 *प्रतिशत* ऋण के रूप में ₹ 554.44 करोड़ की निधियों का अंतरण किया। तथापि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुदान का अपवर्तन किया तथा अनुदान की राशि को कम्पनी के लिए 10 *प्रतिशत* वार्षिक ब्याज दर पर ऋण के रूप में मान लिया। ₹ 498.99 करोड़ के अनुदान को ऋण में रूपांतरित करने के परिणामस्वरूप परियोजना लागत पर अगस्त 2016 तक ₹ 152.83 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 651.82 करोड़ का सकल अतिरिक्त बोझ पड़ा जिससे भारत सरकार द्वारा वहनीय दरों पर स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए जारी की गई अनुदान का यथार्थ प्रयोजन विफल रहा तथा उत्पादन लागत में वृद्धि हुई।

2.8 समय एवं लागत वृद्धि

195 मेगावाट की प्रतिस्थापित क्षमता युक्त परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दो भागों में अर्थात् स्टेज-I (जुलाई 2008) ₹ 478.02 करोड़ हेतु तथा स्टेज-II एवं III (सितम्बर 2009)

---

4 ऋण ₹ 596.91 करोड़ व इक्विटी ₹ 572.84 करोड़।

₹ 488.19 करोड़ के लिए प्रदान की गई । इसमें समय एवं लागत की वृद्धि थी जैसाकि नीचे तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1: 31 मार्च 2017 को समय एवं लागत की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

कार्य/पैकेज का नाम	आकलित लागत	अवार्ड के अनुसार पूर्णता की देय तिथि	वर्तमान स्थिति	वास्तविक व्यय	लागत वृद्धि	समय वृद्धि (महीनों में)
स्टेज-I से सम्बंधित	478.02	फरवरी 2014	सितम्बर 2016 में पुरा हुआ	789.84	311.82	30
स्टेज-II एवं III से सम्बंधित	488.19	नवम्बर 2014*	कार्य प्रगति पर	379.91	---	28

* केवल सिविल निर्माण कार्य

जैसा उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है कि स्टेज-I को ₹ 311.82 करोड़ की लागत वृद्धि सहित ₹ 789.84 करोड़ में पूरा किया गया। 30 महीनों की समय वृद्धि, बाधा रहित कार्य स्थल की अनुपलब्धता, स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण कार्य रोकना, परियोजना मार्गों को रोकना, संविदाकार की त्रुटियों के कारण अधिक रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समय तथा प्रतिस्थापित करने से पूर्व संयंत्र को नुकसान के कारण था। समय वृद्धि और परियोजना के प्रबंधन में कमी के कारण मुख्यत: उच्च दरों पर निर्माण कार्य हेतु भुगतान करने के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय, संविदाकार से अवसूली/अल्प वसूली तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रमात्रा के अल्प प्रावधान होने के फलस्वरूप लागत वृद्धि हुई।

परियोजना लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप स्टेज-I की पूर्णता तक प्रति यूनिट उत्पादन लागत वर्तमान ₹ 2.20 प्रति यूनिट बिक्री दर[5] की तुलना में ₹ 2.85 से ₹ 4.78 प्रति यूनिट तक बढ़ गई। जिससे स्टेज-II एवं III की पूर्णता पर उत्पादन लागत और ज्यादा बढ़ जाएगी जो प्रत्यक्ष रूप से परियोजना की व्यवहार्यता को प्रभावित करेगी।

समय एवं लागत वृद्धि को लेखापरीक्षा में मुख्यतया निम्नवत् के कारण विश्लेषित किया गया:

(क) नियंत्रणीय: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान पर ब्याज प्रभारित करना, संविदाकारों को कार्य स्थलों को सपुर्द करने में विलम्ब, संविदाकार के दोष के कारण अधिक रिक्त को भरने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समय, तीन महीनों तक निकासी व्यवस्था की अनुपलब्धता, प्रतिष्ठापन से पहले संयंत्र को क्षति, प्रमात्रा के बिल का गलत आकलन, स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यकलापों पर मानकों से अधिक खर्चों एवं व्यय का गलत आवंटन।

(ख) अनियंत्रणीय: स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण कार्य का अवरोधन तथा सड़कों का अवरोधन एवं हिमस्खलन । इन कारकों के प्रभाव को निम्नवत् विवेचित किया गया है:

परियोजना की पूर्णता में दो वर्षों (फरवरी 2014 से अगस्त 2016) से अधिक के विलम्ब के फलस्वरूप न केवल लागत में वृद्धि हुई बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार को मुफ्त विद्युत शेयर ₹ 21.08 करोड़ (12 *प्रतिशत* की दर से) के स्थगन सहित ₹ 175.68 करोड़[6] मूल्य के संभाव्य 616.435 मेगा यूनिटों

---

5 दर जिस पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को ऊर्जा बेची जा रही है।

6 616.435 मैगा यूनिट x ₹ 2.85 प्रति यूनिट (डी0पी0आर0 दर) = ₹ 175.68 करोड़।

की सम्भावित हानि भी हुई। इसके अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र निवासियों को एक *प्रतिशत* अतिरिक्त मुफ्त विद्युत उपलब्ध करवाने के सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में विलम्ब हुआ।

2.9 स्टेज-I योजना

2.9.1 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं लागत आकलनों का निरूपण

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्माण हेतु परियोजना को प्राधिकृत करने के लिए मूल आधार प्रावधान है। परियोजना की पूंजीगत लागत में अंवेषण, अभिकल्प, निर्माण तथा निर्माण अवधि के दौरान अनुरक्षण से सम्बंधित सभी लागत सम्मिलित है। कार्य के कार्य क्षेत्र में बिना किसी परिवर्तन के लागत में विचलन एवं प्रमात्रा के बिल में मुख्य मदों का प्रावधान न होने को योजना एवं आकलन में कमियां कहा जा सकता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति से बचने के लिए कुछ सम्भाव्य आवश्यक मदों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में अपर्याप्त/प्रावधान न करके परियोजना की लागत को ₹ 500 करोड़ से कम रखा गया। स्टेज-I के प्रमात्रा के बिल में मदों का अपर्याप्त/प्रावधान न होने के कारण ₹ 250.45 करोड़ (बढ़ी लागत के अतिरिक्त) के सकल संविदा भुगतान के प्रति चालू बाजार/प्रदत्त दरों पर ₹ 65.46 करोड़ के भुगतान अतिरिक्त, विचलित एवं समरूप से भुगतान की गई मदों पर किया गया जो संविदा भुगतानों का 26.13 *प्रतिशत* बनता है। इस प्रकार इस सीमा तक आकलनों को तैयार करने का मुख्य प्रयोजन विफल रहा।

2.9.2 भूमि खरीद पर निष्फल व्यय

कम्पनी ने भवनों के निर्माण तथा भूमि की खरीद पर ₹ 18.09 करोड़ का परिहार्य व्यय/अतिरिक्त व्यय किया जिसकी चर्चा निम्नवत् की गई है:

(i) कम्पनी ने आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए पांगी में सितम्बर 2006 एवं जनवरी 2008 के मध्य ₹ 4.30 करोड़ की लागत पर 2.00.70 हैक्टेयर निजि भूमि का अधिग्रहण किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 2.80 करोड़ की लागत पर निर्मित भवनों के निर्माण से पहले कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया जो जून 2013 में आये भू-स्खलन के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। बाद में कम्पनी के भू-विज्ञानी से नवम्बर 2013 में सर्वेक्षण कराया गया जो दर्शाता है कि क्षेत्र अत्यधिक बोझ की मोटी परत/ग्लेशियर की नदी के बहाव के जमाव से ढका हुआ था तथा भवन निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं था। यदि भवनों के निर्माण से पहले कार्यस्थल का सर्वेक्षण किया होता तो ₹ 2.80 करोड़ के निष्फल व्यय से बचा जा सकता था।

महाप्रबंधक (परियोजना) ने बताया कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कार्यस्थल के भ्रमण (अगस्त 2016) के दौरान इंगित किया था कि असंगठित ठोस पदार्थ चट्टान पर ढांचा बनाने तथा उपयुक्त जल-निकास व्यवस्था की कमी के कारण समस्या पेश आई। इससे स्पष्ट होता है कि कॉलोनी का निर्माण उपयुक्त भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के पश्चात् नहीं किया गया।

(ii) 18.71.42 हैक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन हेतु किये गये ₹ 1.42 करोड़ के भुगतान के प्रति कम्पनी ने केवल 13.07.21 हैक्टेयर भूमि को वास्तव में प्राप्त किया। शेष 5.64.21 हैक्टेयर भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सका क्योंकि उसे अतिक्रमण के अन्तर्गत

बताया गया। इसके अतिरिक्त 3.25.28 हैक्टेयर तथा 3.734 हैक्टेयर भूमि क्रमशः परियोजना के ग्रहण (मुख) एवं अकपा गांव में खदान के लिये अपवर्तित कर दी गई इस बात को संज्ञान में लिए बिना कि निर्माण के दौरान खनन में निकाले गये पत्थरों का उपयोग निर्माण के दौरान बजरी एवं रेत बनाने की प्रक्रिया में किया जा सकता है। सिविल कार्यों के लिए निविदायें इस शर्त पर आमंत्रित की गई थी कि संविदाकार निकाले गये पत्थर का उपयोग करेगा। निर्माण के दौरान संविदाकार ने निकाली गई सामग्री का उपयोग बजरी एवं रेत के लिए किया। फलतः खदान स्थल के लिए अधिग्रहण की गई भूमि अप्रयुक्त रही (जून 2017)। ये कार्यस्थल भविष्य मे भी अप्रयुक्त रहेंगे क्योंकि स्टेज-I का निष्पादन पूर्ण हो चुका है तथा स्टेज-II एवं III के लिए निष्पादन कार्य हेतु खुदाई के दौरान प्राप्त पत्थर संविदाकार को मुफ्त में उपलब्ध करवाया गया है।

इस प्रकार उक्त भूमि के लिए निवल वर्तमान मूल्य तथा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु किया गया ₹ 0.96 करोड़ का भुगतान निष्फल हुआ।

(iii) इसी प्रकार दाखो गांव में सामान्य नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए ₹ 10.03 करोड़ की लागत पर जनवरी 2010 एवं अक्तूबर 2010 के मध्य अधिगृहीत की गई 3.49.85 हैक्टेयर माप की निजि भूमि को उपयोग में नहीं लाया जा सका। भूमि को अधिसूचना 125 एस0आर0ओ0 दिनांक 22 नवम्बर 2005 की उपेक्षा करके 1200 गज की दूरी के अंदर खरीदा गया जिसमें प्रावधान था कि किन्नौर जिले में सुरक्षाबलों के गोला-बारूद स्थल की परिधि से इस दूरी के भीतर पड़ी भूमि को भवनों से मुक्त रखा जाए। इससे कम्पनी पर ₹ 7.02 करोड़[7] का ब्याज का अतिरिक्त बोझ भी पड़ा।

2.10 सिविल निर्माण कार्यों को प्रदान करना एवं निष्पादन करना (स्टेज-I)

परियोजना के निष्पादन को सरल बनाने की दृष्टि से प्राथमिक निर्माण कार्यों की पूर्णता के पश्चात, निर्माण कार्यों को स्थूल रूप से तीन पैकेजों में विभाजित किया गया तथा विभिन्न संविदाकारों को प्रदान किया गया। स्टेज-I हेतु सिविल एवं हाइड्रो-यांत्रिकी कार्यों को फरवरी 2009 के दौरान ₹ 296.91 करोड़ में, स्टेज-II एवं III हेतु सिविल तथा यांत्रिकी कार्यों को अक्तूबर 2010 के दौरान ₹ 252.39 करोड़ में तथा विद्युत यांत्रिकी की आपूर्ति एवं स्थापना कार्यों के लिए मार्च 2010 में ₹ 120.79 करोड़ में, ई0यू0आर0ओ0 0.38 करोड़ में तथा स्विस फ्रेंकस (सी0एच0एफ0) ₹ 0.27 करोड़ में प्रदान किया गया।

निविदा प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् सिविल कार्यों को ₹ 296.91 करोड़ की लागत पर मैसर्ज हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (संविदाकार) को प्रदान किया गया (फरवरी 2009)। कार्य को जनवरी 2013 तक पूरा किया जाना था तथापि संविदाकार ने कार्य को 38 महीनों के विलम्ब के पश्चात मार्च 2016 में पूरा किया जो भरपूर रूप से संविदाकार को आरोप्य थी। कार्य के निष्पादन से सम्बद्ध संविदा अनुबंध एवं अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में संविदाकार को संविदात्मक विभिन्न प्रावधानों आदि का पालन न करने के कारण ₹ 27.72 करोड़ की सहायता के अलावा ₹ 8.30 करोड़ का अतिरिक्त

7 ऋण पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रभारित किये जा रहे 10 *प्रतिशत* वार्षिक दर से गणना की गई।

व्यय, ₹ 1.99 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान, ₹ 6.77 करोड़ की अवसूली/अल्पवसूली के मामले प्रकट हुए जिनकी चर्चा निम्नवत् हैं:-

2.10.1 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

(i) केन्द्रीय जल आयोग ने नदी घाटी परियोजनाओं (अध्याय 14.11) हेतु अपने दिशा-निर्देशों में बंधन क्लाज तथा भुगतानों पर नियंत्रण रखने के लिए भुगतानों हेतु ऊपरी सीमा बनाए रखने के लिए जहां मात्रा का निर्धारण पहले नहीं किया जा सका था के सन्निवेश करने का प्रावधान किया है। तथापि, संविदा अनुबंध के अध्याय-1 (मूल्य-सूची) में प्रावधान है कि 125 *प्रतिशत* से अधिक निष्पादित की गई मात्रा का विश्लेषण चालू बाजार दरों पर किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2017) कि ग्राउटिंग, शाटक्रीट बोल्ट आदि को बंधन क्लाज के क्षेत्र से बाहर रखा गया था तथा 125 *प्रतिशत* से अधिक होने पर भी संविदात्मक दरों पर भुगतान किया जा रहा था। कार्य के निष्पादन के दौरान हैड रेस टनल में दबाव शाफ्ट एवं ग्राउटिंग में प्रयुक्त रॉक बोल्ट की मात्राओं प्रदत्त मदों की तुलना में क्रमशः 612.98 तथा 151.97 *प्रतिशत* तक बढ़ गई थी। इन बढ़ी हुई मात्राओं के निष्पादन हेतु संविदाकार को लागत आकलन में विश्लेषित दरों ₹ 2,237 प्रति रनिंग मीटर तथा ₹ 638 प्रति सीमेंट बैग के प्रति क्रमशः संविदात्मक दरों ₹ 3,554.88 प्रति रनिंग मीटर तथा ₹ 1,149.96 प्रति सीमेंट बैग की दरों पर भुगतान किया गया। यदि इन मदों को 125 *प्रतिशत* के उपरोक्त दायरे में रखा गया होता तो 125 *प्रतिशत* से अधिक निष्पादित की गई मात्राओं पर किये गये ₹ 2.94 करोड़ के भुगतान से बचा जा सकता था।

(ii) संविदा अनुबंध की धारा 4.44 (खण्ड IV) में निर्धारित किया गया है कि कंकरीट का माप एवं भुगतान कंकरीट के विशेष मिश्र-डिजाइन की वास्तविक आयतन के आधार पर किया जाएगा। भूमिगत खुदाई में भू-वैज्ञानिक स्वीकार्य परित्याग की भुगतान-रेखा से अधिक कंकरीट की पृष्ठपूर्ति हेतु भुगतान एम-10 के मिश्रित डिजाइन हेतु निर्धारित दरों पर किया जाएगा।

प्रभारी अभियंता ने संविदाकार के अनुरोध पर अभिकल्प शाखा से बैक-फिल के लिए एम-10 लाइनिंग ग्रेड कंकरीट के बजाए एम-25 का प्रयोग करने की इजाजत देने का आग्रह किया (अगस्त 2012) क्योंकि एम-10 का प्रयोग किया जाना बहुत कठिन एवं समय लेने वाला था, तद्नुसार कम्पनी की डिजाइन शाखा ने बैक-फिल के लिए जहां रिब स्पोर्टस की आवश्यकता नहीं थी कंकरीट के लाइनिंग ग्रेड (एम-25) को अनुमोदित किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि हैड रेस टनल तथा संतुलन जलाशय में क्रमशः 4,367.484 घन मीटर एवं 4,488.113 घन मीटर का बैक-फिल एम-25 लाइनिंग कंकरीट के साथ किया गया जिसके लिए दरें एम-10 की तुलना में उच्चतर थी तथा तदानुसार भुगतान किया गया। कंकरीट के अनुमोदित डिजाइन एवं विधि में विचलन के परिणामस्वरूप ₹ 4.19 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

2.10.2 उच्चतर दरों पर कार्यों के लिए भुगतान

सिविल कार्यों के निष्पादन के दौरान कम्पनी ने इनपुट मदों के दरों से उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क तत्वों को सम्मिलित न करने, एंट्री टैक्स (जो अलग से भुगतान किया जा रहा है) को सम्मिलित न करने

के कारण गलत विश्लेषण, विचलित/फालतू/अतिरिक्त मदों के लिए उच्चतर भुगतान के कारण ₹ 1.99 करोड़ का अतिरिक्त/फालतू भुगतान किया जैसाकि ***परिशिष्ट-2.1*** में विवरणित है।

2.10.3 कार्य में प्रयुक्त पत्थर की अवसूली/अल्पवसूली

संविदा अनुबंध के खण्ड-6 की धारा-5 में अनुबंध है कि संविदाकार भूमिगत खुदाई से प्राप्त पत्थर को लागत का भुगतान करने के पश्चात् बजरी की पिसाई के लिए प्रयोग कर सकता है। लेखापरीक्षा में पाया कि कम्पनी ने संविदाकार द्वारा उपयोग में लाये गये पत्थर की वसूली की गणना करते समय कंकरीट, शाटकरीट एवं ग्राउटिंग की मात्रा का निष्पादन करने के लिए अपेक्षित एग्रीगेट तथा रेत की पिसाई के लिए प्रयुक्त पत्थर की समस्त मात्रा को ध्यान में नहीं रखा तथा संविदाकार द्वारा प्रयोग किये गये समस्त पत्थर की मात्रा को शामिल नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.77 करोड़ की अल्पवसूली हुई जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

(i) संविदाकार ने कंकरीट, ग्राउटिंग एवं शाटक्रीट कार्यों के लिए 1,21,268.41 घन मीटर एग्रीगेट पत्थर व रेत का प्रयोग किया जिसमें से 9,974 घन मीटर खुले बाजार से खरीदा गया था। स्पष्टतया 1,11,294.41 घन मीटर रेत व एग्रीगेट खुदाई से प्राप्त पत्थर से पीसा गया। संविदाकार द्वारा प्रयोग में लाई गई मात्रा के लिए 38 *प्रतिशत* अपव्यय को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित पत्थर की सकल मात्रा 1,79,507.11 घन मीटर आंकी गई जिसके प्रति केवल 70,957.646 घन मीटर की वसूली की गई फलतः ₹ 3.26 करोड़ की अल्प वसूली हुई।

(ii) इसके अतिरिक्त संविदाकार ने 26,186.10 घन मीटर की ओवर-ब्रेक (58,285.190 घन मीटर पत्थर से पीसे गये रेत एवं एग्रीगेट सहित) को अपनी लागत पर बैक-फिल किया तथा कार्य सुविधा के लिए बैंच (6,118.130 घन मीटर पत्थर) के अतिरिक्त क्षेपण स्थल पर 52,637.865 घन मीटर पत्थरों से 13,476.156 घन मीटर तार क्रेटों का निर्माण किया। उपरोक्त कार्यों के निष्पादन के लिए अपेक्षित पत्थर की मात्रा अपशिष्ट को छोड़कर भी 1,17,041.185 घन मीटर निकाली गई। ₹ 3.51 करोड़ मूल्य के पत्थरों की लागत वसूली नहीं गई थी।

2.11 संविदाकार को अनुचित सहायता का विस्तार

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदाकार को कार्य निष्पादन के दौरान ₹ 27.72 करोड़ की सीमा तक अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया जैसाकि निम्नवत् परिच्छेदों में विवेचना की गई है:

2.11.1 बीमा प्रभारों की वसूली न करना

संविदा की सामान्य शर्तों की शर्त 18.2 में अनुबंध किया गया है कि संविदाकार कार्यों, संयंत्र एवं सामग्री को हानि अथवा क्षति के प्रति बीमा कराएगा क्योंकि प्रदान की गई दरों में बीमा प्रभार शामिल थे तथा आगामी त्रुटि दायित्व अवधि की समाप्ति तक बीमा आवृति बनाई रखी जाएगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी द्वारा कुछ छोड़े हुए कार्यों सहित 31 मार्च 2016 को सिविल कार्यों को करने की जिम्मेदारी ली गई। निष्पादन जिम्मेवारी एवं त्रुटि दायित्व अवधि को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दिया गया, तथापि संविदाकार ने अप्रैल 2016 से आगे बीमा आवृति प्रदान नहीं की जिसके लिए ₹ 2.54 करोड़ की सीमा तक बीमा प्रभारों की लागत जो प्रदान की गई दरों में सम्मिलित थी वसूली नहीं गई थी (अक्तूबर

2017 तक)। कम्पनी को संविदा के अनुबंध एवं शर्तों के अनुसार संविदाकार से बीमा लागत की वसूली करने पर विचार करना चाहिए। परियोजना अप्रैल 2016 से अक्तूबर 2017 तक बीमा कवर रहित रही।

2.11.2 परियोजना प्राधिकार प्रमाण पत्र रद्द न करना

कम्पनी ने संविदाकार को 2,969.426 मीट्रिक टन स्टील प्लेटों के लिए सीमा शुल्क एवं उस पर आबकारी शुल्क से छूट पाने के लिए परियोजना प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किया। लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि परियोजना प्राधिकार प्रमाण पत्र की 2,969.426 मीट्रिक टन मात्रा के प्रति परियोजना स्थल पर वास्तव में केवल 2,762.699 मीट्रिक टन प्लेटों का उपयोग किया गया। संविदाकार ने 206.727 मीट्रिक टन अप्रयुक्त मात्रा पर ₹ 0.47 करोड़ की सीमा तक सीमा शुल्क एवं आबकारी शुल्क छूट का लाभ उठाया। यद्यपि कम्पनी ने मार्च 2016 में परियोजना कार्यों का जिम्मा लिया परन्तु अप्रयुक्त स्टील प्लेटों की मात्रा हेतु परियोजना प्राधिकार प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है (जून 2017)।

2.11.3 संविदात्मक प्रावधानों का पालन न करना

संविदाकार के साथ किये गये संविदा अनुबंध में शर्त है कि संविदाकार अपनी लागत पर अपेक्षित विद्युत के लिए डीजल जनरेटिंग सैटों का प्रबंध करेगा। लेखापरीक्षा में देखा गया (जून 2017) कि संविदाकार ने समस्त निर्माण कार्य कम्पनी की विद्युत व्यवस्था के माध्यम से कम्पनी के विद्युत कनेक्शन का प्रयोग करके पूर्ण किया। कम्पनी के विद्युत कनेक्शन एवं आपूर्ति व्यवस्था का प्रयोग करने से संविदाकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को ₹ 0.87 करोड़ के अवसंरचना विकास प्रभारों को बचाया तथा इन्हें कम्पनी को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का मूल उपभोक्ता होने के नाते विद्युत कनेक्शन के लिए वहन करना पड़ा।

2.11.4 समय का अनुचित विस्तार

कम्पनी द्वारा परियोजना का सिविल घटक कुछ परित्यक्त कार्यों सहित 31 मार्च 2016 को नियंत्रण में लिया गया। संविदाकार को आरोप्य 28 दिनों के विलम्ब सहित 31 मार्च 2016 तक अंतिम विस्तार के मामले की महाप्रबंधक, परियोजना द्वारा सिफारिश की गई थी (अक्तूबर 2016)। दबाव शाफ्ट घटक में कार्य की पूर्णता में अधिकतम विलम्ब था जहां अतिरिक्त 5,211.03 घनमीटर कंकरीट कार्य निष्पादित किया गया था, अन्य कारणों के अलावा विलम्ब के लिए 8.81 महीनों की समय अवधि पर विचार किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परिसमापन क्षतियों के उद्ग्रहण हेतु संविदाकार की ओर से वास्तविक विलम्ब की गणना करने के लिए महाप्रबंधक, परियोजना ने समय वृद्धि की सिफारिश करते समय संविदाकार की त्रुटि के कारण निष्पादित किये जाने वाले अपेक्षित अतिरिक्त/अधिक कार्यों को पूरा करने में बिताये गये समय की गणना नहीं की थी जैसाकि नीचे विवरणित है:

क) संविदाकार की त्रुटि के कारण 11,765.763 घन मीटर की ओवर ब्रेक को बैक-फिल करने के लिए अपेक्षित 19.89 महीने की समय अवधि।

ख) डीजल की कमी के कारण रात्रि पाली (शिफ्ट) के दौरान कार्य का निष्पादन न करना।

ग) गैस रोधित स्विच गीयर के फर्श तल में झुकाव के कारण संयंत्र की प्रतिष्ठापन में विलम्ब।

घ) संविदाकार की त्रुटि पर अन्य घटक में 14,420.337 घन मीटर की ओवर-ब्रेक तथा न्यून क्षमता पेनस्टाक का डिजाइन।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता था कि संविदाकार को आरोप्य इन मामलों पर बिताये गये समय को ध्यान में न रखने से संविदाकार को 28 दिनों तक विलम्ब सीमित रखने/परिसमापन क्षतियां प्रभार 10 *प्रतिशत* के बजाए दो *प्रतिशत* रखने से संविदाकार की मदद की गई। इससे संविदाकार को ₹ 23.75[8] करोड़ की मदद पहुंचाई गई।

2.12 भू-तकनीकी उपकरणों पर निष्फल/अतिरिक्त व्यय

(i) 30 महीने (अगस्त 2013) की निर्धारित पूर्णता अवधि सहित ₹ 2.94 करोड़ हेतु मैसर्ज प्रोग्रेसिव मशीन टूल्ज (जी0टी0आई0 संविदाकार) को विभिन्न परियोजना स्थलों पर आपूर्ति एवं भू-तकनीकी उपकरणों की स्थापना करने के लिए पूरा पैकेज प्रदान किया गया (जनवरी 2011)। इन उपकरणों का परिचालन एवं अनुरक्षण निर्माण फेज के दौरान तथा निर्माण के बाद अतिरिक्त छः महीने तक संविदाकार द्वारा किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि कम्पनी ने उपकरणों पर ₹ 1.17 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया संविदाकार द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर सिविल कार्यों को पूरा न करने, मैसर्ज प्रोग्रेसिव मशीन टूल्ज के लिए निष्पादन अवधि को जनवरी 2017 तक बढ़ाना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप अनुरक्षण, अनुश्रवण एवं विश्लेषण कार्य पर ₹ 1.17 करोड़ अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(ii) सभी उत्पादन इकाईयों के परिचालन से पहले ही 67 भू-तकनीकी उपकरणों, परियोजना के निर्माण के दौरान तथा निर्माण के छः महीने पश्चात् डाटा को रिकार्ड तथा विश्लेषण करने के लिए, अप्रैल 2011 से अगस्त 2015 के मध्य स्थापित, के काम न करने से उपकरणों की स्थापना हेतु किया गया ₹ 0.71 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, इन उपकरणों के जल प्रवाह के दौरान वाटर कंडक्टर सिस्टम की कार्यप्रणाली की निगरानी हेतु प्रतिष्ठापन का उद्देश्य विफल रहा था।

(iii) सिविल कार्यों की संविदा की सामान्य शर्तों की संविदा की धारा 17.1 (ख) में प्रावधान है कि संविदाकार किसी भी सम्पत्ति के लिए समस्त क्षति जो संविदाकार द्वारा कार्यों के निष्पादन के दौरान हुई हो के प्रति मालिक को सुरक्षित रखेगा। यह पाया गया कि अप्रैल 2011 एवं फरवरी 2014 के मध्य पावर हाऊस कम्पलेक्स में सिविल संविदाकार द्वारा ₹ 0.09 करोड़ मूल्य के 14 उपकरण क्षतिग्रस्त किये गये परंतु कम्पनी द्वारा उनकी लागत की वसूली नहीं की गई।

2.13 न्यून क्षमता पेनस्टॉक के अभिकल्पन के कारण अतिरिक्त व्यय

विद्युत-यांत्रिकी उपकरण के लिए मशीनों को बंद किये जाने के समय पानी का पीछे की ओर दबाव बढ़ने की सीमा 25 *प्रतिशत* थी जैसाकि विद्युत यांत्रिकी शाखा द्वारा सिविल/यांत्रिकी शाखा को सूचित (जून 2009) किया गया था। इस अवस्थिति को अनदेखा करके पेनस्टॉक के लिए नक्शा संरचना को 10.6 *प्रतिशत* के दबाव सीमा के साथ अनुमोदित किया गया (जुलाई 2010)। पेनस्टॉक की संरचना पूर्ण होने के पश्चात यह विसंगति पाई गई तथा इसे ₹ 0.20 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करके थ्रस्ट कालर उपलब्ध करवा कर, प्लेटों की अतिरिक्त मात्रा को प्राप्त करके, पहले निर्मित फेरूल एवं कंकरीट को तोड़ कर परिशोधित करना पड़ा।

---

8 ₹ 296.90 करोड़ के संविदा मूल्य का 8 *प्रतिशत* (10 *प्रतिशत* - दो *प्रतिशत* पूर्व प्रभारित)।

2.14 मात्रा में विचलन के कारण अतिरिक्त भुगतान

मुख्य प्रवाह सुरंग (हेड रेस टनल) में 8,295.999 घन मीटर सकल अनुमोदित ओवर ब्रेक मात्रा में से 355.832 घन मीटर को बैक-फिल के बिना छोड़ दिया गया था तथा 622.248 घन मीटर को शाटक्रीट के साथ आवृत किया गया जिसका अलग से भुगतान किया गया। इस प्रकार, बैक-फिल का निवल क्षेत्र ओवर ब्रेक में 7,317.919 घन मीटर था जिसके प्रति कम्पनी ने 8,765.559 घन मीटर कंकरीट के लिए भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.69 करोड़[9] का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसी प्रकार, संतुलन जलाशय के मामले में अनुमोदित ओवर ब्रेक की 4,918.169 घन मीटर मात्रा के प्रति 5,013.047 घन मीटर कंकरीट एवं 778.36 घन मीटर शाटक्रीट के लिए भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप 872.238 घन मीटर के लिए ₹ 0.36 करोड़[10] मूल्य का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

2.15 परियोजना लागत में वृद्धि में सहायक अन्य कारक

2.15.1 स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यकलापों पर अधिक व्यय

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई जल विद्युत नीति, 2006 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने परियोजना लागत का 1.5 *प्रतिशत* की दर पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए भुगतान करना था। तद्‌नुसार कम्पनी ने स्टेज-I के प्रति स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए ₹ 7.06 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत ₹ 3.51 करोड़ का व्यय भी किया जो स्थानीय पंचायतों से बिना किसी मांग के किया गया जो स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत व्यय की स्वीकार्यता से पहले आवश्यक थी। कम्पनी ने निदेशक ऊर्जा को व्यय के समायोजन हेतु स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रति आग्रह किया (मार्च 2012) परंतु वह स्थानीय लोगों से मांग के बिना किये गये व्यय के कारण असमायोजित रहा।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया (जून 2017) कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत निष्पादित किये गये ₹ 3.51 करोड़ के कार्यों को सम्मिलित करने के लिए मामला उपयुक्त प्राधिकारी के साथ उठाया गया है।

2.15.2 कार्मिक नीति से विचलन के कारण अतिरिक्त व्यय

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई (जुलाई 2007) अधिसूचना के अनुसार कम्पनी को सतलुज जल विद्युत परियोजनाओं की कार्मिक नीतियों का अनुसरण करना था। तथापि, कम्पनी ने मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते पर आधारित प्रतिशतता पर विशेष परियोजना स्थल भत्ते का भुगतान किया जबकि सतलुज जल विद्युत निगम सीमित विशेष परियोजना भत्ते का भुगतान निर्धारित दरों पर कर रहा था। जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2010 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.48 करोड़ (केवल मंहगाई भत्ता भाग पर) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

2.16 अनुश्रवण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

2.16.1 जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बंध में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का प्रबंधन करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों (अक्टूबर 2011) के अनुसार परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों

[9] 1447.64 घन मीटर X ₹ 4738 (हैड रेस टनल में भिन्नता दर एम0 25 एवं एम0 10) = ₹ 68,58,918 ।

[10] 872.238 घन मीटर X ₹ 4082 (संतोलन जलाशय में भिन्नता दर एम0 25 एवं एम0 10) = ₹ 35,60,475 ।

द्वारा आंदोलन के कारण कार्य बंद होने से परियोजना की स्थापना में विलम्ब के लिए विकासकर्ता को क्षतिपूर्ति का दावा पेश करने का हक था। इस प्रयोजन हेतु स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों को बंद किये जाने का विवरण राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाया जाना था। इस कारण हुई हानि की कटौती/समायोजन राजस्व से की जाएगी जो एक *प्रतिशत* मुफ्त बिजली से प्राप्त होगा, जो स्थानीय लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2017) कि प्रतिष्ठापन में 74 दिनों का विलम्ब स्थानीय जनता द्वारा आंदोलन के कारण था जिससे ₹ 14.55 करोड़ की उत्पादन हानि हुई। परियोजना की स्टेज-I 01 सितम्बर 2016 को प्रतिष्ठापित की जा चुकी है परंतु कम्पनी ने मामला राज्य स्तरीय समिति को सूचित (जून 2017) नहीं किया जिसके कारण कम्पनी परियोजना की प्रतिष्ठापन अर्थात् सितम्बर 2016 से उत्पादन हानि की वसूली नहीं कर सकी।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया (जून 2017) कि 52 दिनों का विलम्ब मई 2017 में कम्पनी के निगमित कार्यालय को सूचित कर दिया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य स्तरीय समिति को अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अभी तक (जून 2017) सूचित किया जाना है।

2.16.2 क्षतिपूर्ति की अवसूली

संविदा-अनुबंध की धारा 17.1 (ख) (भाग-7, खण्ड II) में अनुबंध किया गया है कि संविदाकार कार्यों के निष्पादन एवं पूर्णता के समय सभी दावों, क्षतियों, सम्पत्ति को कोई भी नुकसान, यदि संविदाकार के अभिकल्प के कारण है (यदि कोई है) के प्रति मालिक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

स्थानीय क्षेत्र विकास समिति एवं कम्पनी अभियंताओं द्वारा प्रस्तुत की गई संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पांगी गांव के 534 घरों के ढ़ांचों में क्षतियों के लिए कम्पनी ने ₹ 1.05 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना था। चूंकि संविदाकार ने कम्पनी को निर्माण के दौरान हुई ऐसी क्षतियों के प्रति क्षतिपूर्ति प्रदान करनी थी। इसलिए वसूली संविदाकार से की जानी चाहिए थी। इस प्रकार संविदा अनुबंध के अनुवधों एवं शर्तों के अनुसार गांव वालों को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली न करने से संविदाकार को सहायता प्रदान की गई।

2.16.3 गुणवत्ता नियंत्रण

किसी भी परियोजना का टिकाऊपन एवं परिचालन दक्षता उसके अभिकल्प विनिर्देशनों तथा निर्धारित स्तर के समस्त घटकों के निष्पादन पर मूलरूप से निर्भर करता है। इस दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना क्षेत्र के अंदर कम्पनी द्वारा नियमित गुणवत्ता नियंत्रण, उपयोग में लाई गई सामग्री की जांच, सभी गुणवत्ता पक्षों का पर्यवेक्षण स्थापित करना चाहिए। तथापि, दो में से एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला सुंदरनगर में स्थित है अर्थात् परियोजना क्षेत्र से लगभग 250 किलो मीटर जहां अपेक्षित जांच प्रयोगशाला में कराने में अधिक समय लगता है।

(i) विद्युत-यांत्रिकी उपकरण के निर्माण के दौरान गैस रोधित स्विचगीयर के तल झुकाव में लगभग 160 मिलीमीटर का दबाव सिविल संविदाकार की ओर से गलती के कारण पाया गया। इससे विद्युत-यांत्रिकी संविदाकार द्वारा निर्मित सोल प्लेटों के परिशोधन पर ₹ 8.61 लाख के अतिरिक्त व्यय के अलावा 14 दिनों का संयंत्र की स्थापना में विलम्ब हुआ जिसके लिए सिविल निविदाकार से कोई भी वसूली नहीं की गई थी।

(ii) समय-समय पर जांच किये गये पीसे हुए एग्रीगेट एवं रेत के प्रतिदर्श कंकरीट कार्य के लिए प्रतिकूल पाये गये। कम्पनी ने कंकरीट के लिए प्रतिकूल पाई गई पिसाई सामग्री को प्रयुक्त न किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं बनाया था।

2.16.4 परियोजना की सुरक्षा के लिए जोखिम

(i) हेड रेस टनल में 355.832 घन मीटर ओवर ब्रेक बैक-फिल के बिना छोड़ दी गई जोकि उत्तम निर्माण प्रक्रिया के विपरीत है तथा विपरीत दबाव के कारण धमाके/धंसने के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

(ii) संविदा अनुबंध की धारा 4.27 के अन्तर्गत तकनीकी विनिर्देशन में विचार किया गया है कि कंकरीट जो विनिर्देशन के अनुसार नहीं है एवं सघन नहीं है तथा कम दृढ़ घनत्व का पाया गया है जैसाकि प्रतिदर्श से निश्चित हुआ हो, को संविदाकार द्वारा अपनी लागत पर हटाया तथा बदला जाना चाहिए। कंकरीट मिक्स डिजाइन एम0 25 के ढलवा क्यूबों के 28 दिनों की जांच परिणामों से प्रदर्शित हुआ कि विभिन्न घटकों में प्रयोग किये गये ₹ 0.34 करोड़ लागत के 385.25 घन मीटर कंकरीट अपेक्षित दृढ़ता से कम के थे। जांच रिपोर्ट एक से तीन महीनों तक के विलम्ब से प्राप्त हुई थी तथा घटिया कंकरीट को बदलने के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया कि संविदाकार को सात दिनों की दृढ़ता की रिपोर्ट के आधार पर कंकरीट के लिए भुगतान किया जा चुका है, तथापि, ऐसे मामलों को निपटाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण शाखा से कोई भी निर्धारित प्रक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। इससे प्रतीत होता है कि कम्पनी ने कार्य की गुणवत्ता को जोखिम में डाला। लेखापरीक्षा का मानना है कि संविदाकार को न्यून स्ट्रेंथ कंक्रीट हेतु किये गये ₹ 0.34 करोड़ का भुगतान स्वीकार्य नहीं था।

(iii) दिसम्बर 2014 एवं जनवरी 2015 के दौरान संविदाकार द्वारा 578.248 घन मीटर कंकरीट (एम0-20) दबाव शाफ्ट में, कास्टिग क्यूब तथा उपयोग किये गये कंकरीट मिक्सिंग उपकरण में गुणवत्ता नियंत्रण अभियंता द्वारा इंगित की गई कुछ कमियों के बावजूद ओके कार्ड प्राप्त किये बिना डाला गया, संविदाकार को ₹ 0.40 करोड़ का भुगतान कंकरीट का मूल्य होने के नाते विधिवत रूप से किया गया। यह कार्य निष्पादन के दौरान कम्पनी के निष्प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सहित अपर्याप्त नियंत्रण को भी प्रदर्शित करता है।

(iv) भारतीय मानक 11309-1985 के अनुसार एंकर बार एवं बोल्टों पर पुल टेस्ट स्पष्ट करता है कि बेध-छिद्र का व्यास एंकर बार के व्यास से न्यूनतम दुगना होना चाहिए। भार उपयोग करने के मामले में दबाव 50 टन क्षमता के केन्द्रीय छिद्र जैक के साथ 250 किलोग्राम प्रति मिनट की एक समरूप धीमी दर सहित झटके से बचने के लिए जब तक कुल प्रसार 40 मिली मीटर से अधिक पहुंच जाए अथवा वोल्ट झुक जाए या टूट जाये जो भी पहले हो, डालना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि एंकर बार/वोल्ट डालने के लिए उपरोक्त मानकों का अनुसरण विनिर्देशनों को तैयार करते समय नहीं किया गया। 29 प्रतिवेदन प्रदर्शित करते है कि बोल्ट जांच में विफल रहे तथापि दोषपूर्ण वोल्टों को बदलने का कोई भी मामला अभिलेख में नहीं पाया गया। यह भी पाया गया कि 10 मामलों में बोल्ट विफल हुए सूचित किये जाने चाहिए थे तथापि, जांच प्रतिवेदनों में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। इस

प्रकार 1,950 (39 x 50) रॉक वोल्ट का बैच जो ₹ 0.82 करोड़[11] की लागत पर डाला गया निम्न-स्तर का रहा।

इसके अतिरिक्त 23 बोल्टों के पुल-टेस्ट के लिए एक दिन में 1,440 मिनटों के उपलब्ध समय के प्रति टेस्टिंग उपकरण के अंतरण के समय को छोड़कर 1,772 मिनटों की आवश्यकता थी। यह प्रदर्शित करता है कि पुल-टेस्ट गुणवत्ता नियंत्रण की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए जल्दबाजी की गई।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया कि पुल-टेस्ट गुणवत्ता आश्वासन एवं गुणवत्ता नियंत्रण संहिता के अनुसार आई0 एस0 11309 सहित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक दिन में 23 रॉक बोल्टों का पुल आउट टेस्ट अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता से सम्भव हो सकता है। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण पर संहिता भारतीय मानकों के अनुसार नहीं बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जहां तक संसाधनों की उपलब्धता का सम्बंध है, एक ही दल ने एक दिन में समस्त पुल आउट टेस्टों को किया है।

2.17 विद्युत-यांत्रिकी कार्यों का निष्पादन

विद्युत-यांत्रिकी कार्यों का पैकेज जिसमें आपूर्ति, परिवहन एवं जलोत्पादक उपकरण की प्रतिस्थापना एवं सम्बद्ध कार्यों का समावेश था मैसर्ज एड्रिज हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (संविदाकार) को ₹ 120.79 करोड़, 0.38 करोड़ यूरो एवं 0.27 करोड़ स्विस फ्रेंक्स की लागत पर प्रदान किया गया (मार्च 2010)। कार्य को फरवरी 2014 तक पूरा किया जाना था, तथापि वास्तविक रूप में संविदाकार द्वारा सितम्बर 2016 में पूरा किया गया। अभिलेख की छानबीन में ₹ 17.61 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान/परिहार्य अतिरिक्त व्यय के मामले इन कार्यों के निष्पादन पर पाये गये जैसाकि निम्नवत् विवेचना की गई है:

2.17.1 दोषपूर्ण धारा शामिल करने के कारण लागत वृद्धि का परिहार्य भुगतान

संविदा अनुबंध के परिशिष्ट 2(क) में निर्धारित किया गया कि संविदा का निष्पादन करने के दौरान संविदा की कीमत ± 20 *प्रतिशत* कीमत समायोजन की सीमा शर्त पर होगी। 20 *प्रतिशत* से अधिक की वृद्धि किसी भी स्टेज पर संविदाकार के खाते में जमा रखी जाएगी तथा जब भी वृद्धि का वास्तविक भुगतान पहले आपूरित संयंत्र एवं उपकरण की संचयी पूर्व कीमत से 20 *प्रतिशत* नीचे होगी तब इसे समायोजित किया जाएगा। इस धारा का उद्देश्य जमा को समायोजन द्वारा संविदा अवधि के दौरान आपूरित की गई किसी भी मद में कोई कमी आने के प्रति संविदाकार के वित्तीय लाभ की रक्षा करना था। तथापि, संविदा में स्पष्टत: मूल्य वृद्धि के इस धारा की सीमा से प्रयुक्त किए जाने वाले खरीदी गई मदों को और संविदाकार को दिए गए ₹ 13.65 करोड़ के ब्याज मुक्त अग्रिम छोड़ने के लिए प्रावधान नहीं था जैसा कि यू0एच0एल-III जल विद्युत परियोजना के संविदा अनुबंध में ब्याज घाटी विद्युत निगम द्वारा उपलब्ध करवाया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि उप-विक्रेता से प्राप्त हुई खरीदी गई मदों को अलग रखने के लिए उपयुक्त धारा को सम्मिलित न करने के कारण संविदाकार द्वारा ₹ 14.82 करोड़ मूल्य के मदों को

---

11 39 x 50 (50 में से एक टेस्ट किया गया) x 3.15 आर0एम0टी0 (न्यूनतम लम्बाई) x ₹ 1,340.64 (प्रदत्त दर) = ₹ 82,34,881 ।

₹ 23.72 करोड़ में (₹ 8.90 करोड़ अर्थात् 37.52 *प्रतिशत* की ऋणात्मक मूल्य भिन्नता) आपूर्ति की गई थी। इसके प्रति कम्पनी ने ₹ 1.55 करोड़ की लागत वृद्धि का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त मूल्य समायोजन सूत्र में, संविदाकार को अदा किये गये ब्याज मुक्त अग्रिम के घटक को अलग नहीं रखा गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.32 करोड़[12] का अतिरिक्त परिहार्य भुगतान हुआ।

महाप्रबंधक परियोजना ने बताया कि संविदाकार को मूल्य भिन्नता पूर्व कार्यों की कीमत के 85 *प्रतिशत* पर दी जा रही है तथा संविदा कीमत के 100 *प्रतिशत* पर नहीं, इस प्रकार अग्रिम भुगतान पर कोई भी समायोजन करने की स्वीकृति नहीं दी गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संविदाकार ने अपनी बोली में स्पष्ट रूप से सामग्री पर 15 एवं 85 *प्रतिशत* पर निर्धारित एवं परिवर्तनशील लागत का विश्लेषण दिया है। खरीदी गई मदों के मामले में यह बताया गया कि भविष्य में बोली दस्तावेजों को तैयार करते समय इनको प्रबंधन एवं निधियन एजेंसी के अनुमोदन के पश्चात ध्यान में रखा जाएगा।

2.17.2 सहमत सूची से पहले विद्युत यांत्रिक सामग्री की आपूर्ति करना

प्रदान किये गये कार्य को पूर्ण करने की दृष्टि से विद्युत यांत्रिक कार्यों के लिए संविदाकार ने उसे उपलब्ध कराये गये सिविल कार्यों को सहमत तिथियों के आधार पर करने के लिए यूनिट-1 एवं यूनिट-2 की खरीद, विनिर्माण, कार्यस्थल तक परिवहन करने, संभालने एवं भंडारण करने के लिए सूची प्रस्तुत की थी। लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2017) कि संविदाकार ने आपूर्ति अनुसूची का पालन नहीं किया क्योंकि ₹ 51.15 करोड़ मूल्य की मदें सहमत सूची से बहुत पहले (94 एवं 491 दिनों की अवधि के मध्य) आपूरित कर दी जिसके लिए कम्पनी को अग्रिम में भुगतान जारी करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.15 करोड़ सहमत सूची से पहले जारी करने से कम्पनी को ₹ 3.48 करोड़ के ब्याज की हानि हुई यद्यपि कार्य निर्धारित पूर्णता की तिथि से बहुत विलम्ब से पूर्ण किया गया।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया कि सहमत समय अनुसूची के अनुसार (दिसम्बर 2010) संविदाकार ने संप्रेषण अनुमति प्राप्त करने के पश्चात उपकरण के विनिर्माण एवं परिवहन का कार्य आरम्भ किया। तथापि, अनुबंध की वास्तविक प्रभावी तिथि के अनुसार अगस्त 2012 में कार्यक्रम के निष्पादन को अनुमोदित किया गया। यह कार्य के क्रियान्वयन/निष्पादन में दोष को सूचित करता है जिससे परियोजना की लागत पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ पड़ा।

2.17.3 दोष दायित्व अवधि का विस्तार

संविदा अनुबंध के अनुसार, 540 दिनों की दोष-दायित्व अवधि परिचालन स्वीकृति की तिथि से पूर्णता की तिथि अथवा एक वर्ष तक जो भी पहले हो उपलब्ध थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि सिविल भाग कार्य समय पर उपलब्ध न होने, साख-पत्र के विलम्ब से खुलने, सामग्री के भण्डारण हेतु स्थान उपलब्ध न होने, सड़कों के अवरोधन आदि के कारण प्रतिष्ठापन तिथियों को हासिल नहीं किया गया। संविदा की सामान्य शर्तों की उपधारा 27.2 के अनुसरण में संविदाकार ने जून 2017 तक अतिरिक्त लागत ₹ 3.36 करोड़ पर विस्तार आश्वासन के लिए प्रस्ताव किया (अक्तूबर 2015) जिसे बाद में कम्पनी के अनुमोदन (सितम्बर 2016) सहित मार्च 2018 तक ₹ 3.98 करोड़ तक संशोधित किया गया। इस प्रकार, परियोजना की पूर्णता में विलम्ब के कारण कम्पनी को दोष दायित्व अवधि के विस्तार पर ₹ 3.98 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

---

12 ₹ 13.65 करोड़ (संविदाकार को अग्रिम) x 85 *प्रतिशत* (भिन्नता मूल्य) x 20 *प्रतिशत* मूल्य वृद्धि = ₹ 2.32 करोड़।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया कि संविदाकार की लागत पर अभिकल्प, अभियान्त्रिकी, सामग्री एवं मजदूरी के कारण दोष को पूरा करने के लिए आश्वासन (वारंटी) का विस्तार आवश्यक था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी को सिविल कार्यों में विलम्ब के कारण इस अतिरिक्त लागत को वहन करना पड़ा।

2.17.4 प्रवेश कर पर दण्ड का परिहार्य दायित्त्व

संविदा की विशेष शर्त की धारा 14 में प्रदत्त है कि संविदा लागत में सभी कर, शुल्क एवं अन्य उद्ग्रहण सम्मिलित है तथा उन्हें वास्तविक आधार पर नियोक्ता द्वारा प्रतिपूरित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2010 के अनुसार राज्य के बाहर से लाई गई सामग्री पर प्रवेश कर संविदाकार द्वारा जमा करवाया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि संविदाकार ने कम्पनी के टिन का उपयोग करके राज्य के बाहर से कुछ माल लाया तथा प्रवेश कर जमा नहीं करवाया। आबकारी एवं कराधान विभाग से मांग प्राप्त होने पर कम्पनी ने मार्च एवं अप्रैल 2014 के दौरान ₹ 5.06 करोड़ राशि का प्रवेश शुल्क जमा कराया। कर समय पर जमा न कराने के कारण आबकारी एवं कराधान विभाग ने जनवरी 2015 में ब्याज एवं शास्ति की ₹ 3.78 करोड़ की राशि रोपित की जिसके प्रति कम्पनी ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त के समक्ष अपील दायर की थी (जनवरी 2015) तथा उसका निर्णय अभी तक (जून 2017) प्रतिक्षित था।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि सिविल कार्यों के निष्पादन हेतु संविदाकार ने ₹ 35.14 करोड़ लागत की 6,144.527 मीट्रिक टन स्टील का प्रयोग पेनस्टॉक के सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण के लिए किया जिस पर संविदाकार द्वारा प्रवेश कर का दावा नहीं किया गया। इस प्रकार ₹ 1.41 करोड़ं राशि के प्रवेश कर पर बाद में शास्ति की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया कि यदि निर्णय कम्पनी के खिलाफ घोषित होता है तो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति संविदाकार से वसूली जाएगी जिसने गलत तरीके अपनाये तथा प्रथमतया प्रवेश कर जमा नहीं कराया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह सुनिश्चित करना कम्पनी का दायित्त्व था कि करों का भुगतान संविदाकार द्वारा कर दिया गया था।

2.17.5 सेवा कर का अतिरिक्त भुगतान

सड़क द्वारा माल का परिवहन सेवा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिसम्बर 2004 तथा जनवरी 2005 में अधिसूचना के अन्तर्गत आवृत था। माल परिवहन एजेंसी सेवा के विशेष स्वरूप के दृष्टिगत भारत सरकार ने मार्च 2008 में संशोधन करके प्रावधान किया कि सेवा कर माल भाड़े के 25 *प्रतिशत* पर भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि उपरोक्त आदेशों के प्रावधानों के अनुसार 25 *प्रतिशत* के बजाए ₹ 4.66 करोड़ के परिवहन प्रभारों की पूरी लागत पर सेवा कर का भुगतान कम्पनी ने किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.46 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

उत्तर में (जून 2017) यह बताया गया कि कम्पनी द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना के बारे तथा परिवहन सेवाओं के 25 *प्रतिशत* मूल्य को लागू किये जाने के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय को कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये गये थे। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि संविदाकार ने अपनी बोली

में विशेषरूप से फुटनोट दिया है जिसमें 25 *प्रतिशत* मूल्य पर सेवा कर के उद्ग्रहण की गणना की गई है।

2.17.6 दस्तावेजी प्रमाण के बिना सेवा कर का भुगतान

मुख्य संविदाकार ने उपकरण के परिवहन एवं स्थापित करने के कार्य को आगे उप-संविदाकार को प्रदान कर दिया। उप-संविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये गये डाटा से यह पाया गया कि उप-संविदाकार ने कार्य के परिवहन एवं स्थापना पर सेवा कर जमा कराया था जिसके प्रति कम्पनी ने ₹ 1.55 करोड़ की सीमा तक के सेवा कर की प्रतिपूर्ति मुख्य संविदाकार को, जमा का अपेक्षित दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त किये बिना कर दी। समस्त संविदा मूल्य हेतु उप-संविदाकार द्वारा भुगतान किये गये वास्तविक सेवा कर को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। कुल प्रतिपूर्ति संदेहास्पद रही क्योंकि कम्पनी के अभिलेख में सेवाकर के भुगतान के प्रति कोई भी दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

उत्तर में (जून 2017) यह बताया गया कि कम्पनी की विद्युत संविदा कक्ष एवं निगमित वित्त शाखा के दृष्टिकोण को लेने के पश्चात मामले में कार्रवाई की जाएगी।

2.17.7 संविदाकार से अवसूली

संविदा अनुबंध की धारा 13 में निर्धारित किया गया है कि साख-पत्र का मूल्य प्रत्येक तिमाही के लिए भुगतान अनुसूची के अनुसार होगा तथा परिपूर्ण सीमा तक सम्बद्ध तिमाही हेतु साख-पत्र को उपयोग करने की संविदाकार की जिम्मेदारी होगी। साख-पत्र के अप्रयुक्त भाग तथा अवधि जिसके लिए यह अप्रयुक्त रहा, के लिए प्रभारों को संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने दिसम्बर 2016 तक साख-पत्र की अप्रयुक्त मात्रा पर संविदाकार का शेयर होने के नाते ₹ 0.49 करोड़ के साख-पत्र प्रभारों की वसूली नहीं की थी।

उत्तर में यह बताया गया कि साख-पत्र प्रभारों को वसूल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

2.18 संयंत्र को क्षति के कारण उत्पादन हानि

इकाई संख्या-III की प्रतिष्ठापन जांच के दौरान 30.06.2016 को जब मशीन शुरू की गई तो स्टेटर एवं रोटर क्षतिग्रस्त हो गये। जांच करने पर रोटर पोल छोर के कनेक्शन पर एक बाह्य कण पाया गया। मशीन को क्षति की वास्तविक वजह जानने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तकनीकी कमेटी का गठन किया गया (अगस्त 2016)। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंगित किया कि 45 मिनट तक मशीन का लगातार परिचालन किया जाना मशीन को क्षति पहुंचने का कारण था जबकि पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा प्राप्ति जो ₹ 35.42 करोड़ की लागत पर प्रतिष्ठापित किया गया था लेकिन इसकी उपेक्षा की गई थी के द्वारा जमीनी त्रुटि का पता चल चुका था। यह मानक अभियांत्रिकी प्रक्रिया के विरूद्ध था।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि यूनिट-III को हुई क्षति का कारण असावधानी/चूक थी जो उत्पादन यूनिट के निर्माण, भरने एवं प्रतिष्ठापित करने के दौरान अपनाये गये विभिन्न सुरक्षा उपायों का अनुसरण करने में हुई। इस प्रकार, कम्पनी की ओर से असावधानी के परिणामस्वरूप 39.77 मिलियन यूनिट[13] लागत

[13] 238.62 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष/ 12 महीने x 2 महीने = 39.77 मिलियन यूनिट।

मूल्य पर अभिकल्प क्षमता/विलम्ब अवधि के अनुसार ₹ 11.61 करोड़[14] की उत्पादन हानि हुई। आगे पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा प्राप्ति की उपेक्षा से स्वयं सिस्टम की उपयोगिता पर प्रश्न खड़ा होता है तथा इससे कम्पनी की अगंम्भीरता इंगित हुई।

उत्तर में यह बताया गया कि चूंकि यूनिट संख्या-III जांच के अन्तर्गत था, न कि वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत था इसलिए कम्पनी को कोई उत्पादन हानि नहीं हुई। कम्पनी का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि असावधानी के कारण वाणिज्यिक प्रचालन में दो महीनों का विलम्ब होने के परिणामस्वरूप कम्पनी को राजस्व की हानि हुई।

2.19 न्यायसंगत आधार पर दर का संशोधन न करना

संविदा की सामान्य शर्तों के भाग-7 की धारा 39.2.4 में निर्धारित है कि यदि किसी परिवर्तन की दरें न्यायसंगत नहीं है तो उसके लिए दोनो दल परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए विशेष दरों पर सहमति करेंगे। फेज़ I की मद संख्या 1.7 के आपूर्ति भाग में दो सेट 11 के0वी0 जनरेटर सर्कट ब्रेकर तथा एक सेट 3 (तीसरे) यूनिट के लिए एवं अनिवार्य स्पेयर पार्ट शामिल थे जो संविदा के अनुसार 5,45,409 यूरो की कुल लागत पर आयात किये जाने थे। बस डक्ट गैलरी के आकार में परिवर्तन के कारण मैसर्ज पावर गीयर लिमिटेड बंगलौर से पूर्ण क्यूबिकल जुड़े हुए पुर्जों सहित बस डक्ट गैलरी के कम परिमाप में ए0बी0बी0 के जनरेटर सर्कट ब्रेकरों में फिट करने के लिए संविदाकार का संशोधित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। जैसाकि सामग्री को अभिकल्प में परिवर्तन के पश्चात भारत के अंदर प्राप्त किया जाना था, कम्पनी ने संविदाकार को व्यय में हुई बचत के कारण हुए वित्तीय लाभ को कम्पनी को अंतरण करने को कहा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदाकार ने मैसर्ज पावर गीयर लिमिटेड, बंगलौर से ₹ 3.20 करोड़ में खरीदने के पश्चात सामग्री को ₹ 4.49 करोड़ की कीमत पर आपूरित किया। तथापि संविदाकार ने परिमाण बिल दरों पर बातचीत के दौरान (अक्तूबर 2013) में केवल एक *प्रतिशत* की छूट देने की बात मान ली थी। संविदाकार का लाभ 20 *प्रतिशत* एवं अतिरिक्त प्रभारों को स्वीकृत करने के पश्चात भी संविदाकार को इस कारण किया गया अतिरिक्त भुगतान ₹ 0.65 करोड़ आंका गया जिसमें से केवल ₹ 3.76 लाख (एक *प्रतिशत*) कम्पनी को अंतरित किया गया। यह इस बात का सूचक था कि कम्पनी ने दरों पर अल्प रूप से बातचीत की तथा परिवर्तन के लिए दरों में संशोधन न्यायसंगत आधार पर नहीं किया।

2.20 स्टेज-II व III

योजना

अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य प्रदान करना

एकीकृत स्कीम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से स्टेज-I और स्टेज-II व III के लिए कार्यों को फरवरी 2009 तथा सितम्बर 2010 में क्रमश: 45 एवं 48 महीनों में पूर्ण करने की अवधि सहित प्रदान किया गया। विद्युत-यांत्रिकी उपकरण हेतु कार्य मार्च 2010 में पहले इकाई की प्रतिष्ठापन की लक्षित तिथि जनवरी 2014 सहित प्रदान किया गया। पहली इकाई प्रतिस्थापना वास्तव में सितम्बर 2016 में की गई।

14 39.77 मिलियन यूनिट* ₹ 2.92 प्रति यूनिट।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि स्टेज-II एवं III के लिए कार्य स्थानीय पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं वन भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदन प्राप्त किये बिना प्रदान किया गया (सितम्बर 2010)। भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदन वास्तविक रूप में जून 2011 में दिया गया तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2013 में वास्तविक रूप से कब्जा सौंपा गया जिसके लिए कम्पनी ने मार्च 2017 तक ₹ 15.81 करोड़ जमा करवाये थे। इसके अतिरिक्त स्टेज-II एवं III हेतु विद्युत यांत्रिकी उपकरण के निर्माण पर ₹ 146.72 करोड़ का व्यय करने के पश्चात कार्य को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार स्थानीय पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र न प्राप्त करने के आधार पर रोक लगाने के कारण बंद किया गया है तथा संविदाकार अंतर्ग्राही संरचना से सम्बंधित कार्य को आरम्भ करने में समर्थ नहीं था।

इस प्रकार अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य प्रदान करने के परिणामस्वरूप कार्य को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ जिसके लिए स्टेज-II एवं III के विद्युत-यांत्रिकी उपकरण के निर्माण हेतु ₹ 146.72 करोड़ उपयोग की गई निधियां अवरूद्ध रही। इसके अतिरिक्त स्टेज-I के अन्तर्गत तीन ईकाइयों को चलाने के लिए ₹ 255.67 करोड़ की लागत से निर्मित जल संचालन प्रणाली को भी इसकी अभिकल्पित क्षमता तक उपयोग में नहीं लाया जा सका।

2.21 *सिविल कार्यों को प्रदान करना एवं निष्पादन करना*

स्टेज-II एवं III हेतु सिविल कार्य जिनमें इनटेक, हेड रेस टनल एवं संतुलन जलाशय के कार्यों का समावेश था मैसर्ज पटेल इंजिनियरिंग लिमिटेड (संचालक) को ₹ 252.39 करोड़ के लिए नवम्बर 2014 तक पूर्णता की अनुसूची सहित प्रदान किये गये (6 सितम्बर 2010)। संविदा अनुबंध एवं अभिलेखों की छानबीन से विभिन्न कार्यों के निष्पादन से सम्बंधित ₹ 9.32 करोड़ के ब्याज हानि, अतिरिक्त/परिहार्य व्यय के मामले उद्‌घाटित हुए इसके अतिरिक्त ₹ 62.94 करोड़ मूल्य की मात्रा के अपर्याप्त प्रावधान भी पाये गये जैसाकि आगामी परिच्छेदों में विवेचना की गई है:-

2.21.1 *ब्याज हानि*

कम्पनी ने परियोजना के तीन[15] मुख्य घटकों के निष्पादन हेतु संविदाकार को ब्याज मुक्त अग्रिम की ₹ 6.30 करोड़ की पहली किस्त जारी की (नवम्बर 2010)। इस अग्रिम की वसूली के लिए कम्पनी ने समयबद्ध वसूली योजना बनाने के बजाय इसके वित्तीय हितों की उपेक्षा की तथा वसूली को कार्य की प्रगति से सम्बद्ध कर दिया (संविदा राशि की 30 *प्रतिशत* भुगतान के बाद)।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2017) कि अग्रिम की पहली किस्त की वसूली धीमी प्रगति (4.92 *प्रतिशत*) के कारण अक्तूबर 2012 तक आरम्भ नहीं की जा सकी फिर भी (₹ 3.15 करोड़) अग्रिम की दूसरी किस्त कम्पनी द्वारा जारी कर दी गई थी (अक्तूबर 2012)। जैसाकि संविदाकार द्वारा संतुलन जलाशय-III का कार्य अक्तूबर 2014 से अक्तूबर 2015 के दौरान स्थगित रखने से न्यूनतम वित्तीय प्रगति की अप्राप्ति के कारण, अग्रिम की वसूली लेखापरीक्षा की तिथि (मई 2017) तक नहीं की

15 केरंग-काशंग सम्पर्क सुरंग का ऊपरी प्रवाह कार्य: ₹ 93.38 करोड़, ख) केरंग-काशंग सम्पर्क सुंरंग का नीचे प्रवाह कार्य- ₹ 78.24 करोड़, ग) संतोलन जलाश्य-III –₹ 80.77 करोड़।

जा सकी। इस प्रकार, दूसरी किस्त को जारी करने के अविवेकी निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़[16] की ब्याज हानि हुई।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया (जून 2017) कि संविदा के प्रावधान कम्पनी को एक पक्षीय रूप से संविदा के प्रावधानों का विचलन करके अग्रिम की वसूली करने की शक्ति प्रदान नहीं करते और संविदाकार को वसूली आरम्भ करने के लिए सम्बद्ध संविदा प्रावधानों का संशोधन करने के लिए अपनी सहमति देने के लिए कहा गया है (जनवरी 2017)।

2.21.2 बिल मात्राओं में अपर्याप्त प्रावधान के कारण अतिरिक्त भुगतान

ग्राउटिंग, कंक्रीटिंग एवं शाटक्रीटिंग एकल मद के लिए केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों पर आधारित स्टेज-II एवं III के निष्पादन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था। तथापि, बोली आमंत्रण हेतु तैयार किये गये लागत आकलन में सम्मिश्रण की मद जो अन्यथा इन मदों का अभिन्न अंग था उसे पृथक मद दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, सम्मिश्रण की मात्रा की वास्तविक आधार/मानदण्डों के अनुसार गणना नहीं की गई थी। प्रमात्रा बिल के अनुसार 1,13,845 घन मीटर कंकरीट, 4,060 मीट्रिक टन सीमेंट ग्राउटिंग एवं 1,03,200 घन मीटर शाटक्रीट के निष्पादन के लिए वास्तविक आवश्यकता 10.04 लाख किलोग्राम के प्रति 5,990 किलोग्राम सम्मिश्रण हेतु प्रावधान रखा गया है। यहां पर यह कहना उपयुक्त है कि नवम्बर 2016 तक 21 *प्रतिशत* की समग्र वित्तीय प्रगति के प्रति 67,737.435 किलोग्राम का उपयोग किया गया। उपरोक्त मदों से सम्मिश्रण को अलग–अलग करने पर इसे केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों तथा अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन से विपरीत पाया गया। इसके अतिरिक्त, निविदा हेतु बहुत कम मात्रा का आकलन करने के कारण संविदाकार ने ₹ 52/– प्रति किलोग्राम आकलित लागत के प्रति अत्यधिक ₹ 550/- की दर बताई। तथापि कार्य के निष्पादन के दौरान इससे परियोजना की लागत पर ₹ 54.92 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा क्योंकि सम्मिश्रण की मात्रा में विशाल रूप से वृद्धि होना परिबद्ध है। कम्पनी ने इस विचलन के लिए पहले ही ₹ 3.62 करोड़ का भुगतान नवम्बर 2016 तक कर दिया था।

2.21.3 इसी प्रकार भूमिगत संतुलन जलाशय के निर्माण हेतु स्टील प्रबलन के लिए प्रावधान केवल 70 मीट्रिक टन पर रखा गया। संविदाकार ने चार *प्रतिशत* छूट सहित ₹ 65,000 प्रति मीट्रिक टन की दर बताई।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि निष्पादन के दौरान (कार्य अभी पूरा नहीं हुआ) स्टील की वास्तव में मात्रा 976.684 मीट्रिक टन (1,295 *प्रतिशत* का विचलन) तक बढ़ गई जिसमें ₹ 8.02 करोड़ की अतिरिक्त लागत शामिल थी। कम्पनी ने प्रदान की गई ₹ 65,000 प्रति मीट्रिक टन की दरों की तुलना में ₹ 90,204 प्रति मीट्रिक टन की विश्लेषित दरों के आधार पर विचलित मात्रा के लिए भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.47 करोड़ (मई 2017 तक) का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इस प्रकार, मात्रा के बिल के गलत आकलन के कारण कम्पनी को उच्चतर प्रभारों का भुगतान करना पड़ा।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्टील एवं सम्मिश्रण हेतु दरों के विश्लेषण में सामग्री लागत से आबकारी शुल्क घटक को अलग नहीं किया गया था तथा सेवा कर केवल मजदूरी घटक के बजाए मूल लागत पर उद्ग्रहित किया गया था। परियोजना भत्ता, टनल भत्ता एवं जनजातीय क्षेत्र के लिए उच्चतर प्रभार भी केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों के विपरीत संचालन एवं रखरखाव प्रभारों के एक

16 ₹ 6.31 करोड़* 10 *प्रतिशत* *900 दिन/365 दिन + ₹ 3.15 करोड़ * 10 *प्रतिशत* * 1653 दिन/365 दिन।

मुश्त प्रावधान पर जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, स्टील प्रबलन के मामले में सामग्री की लागत एवं खुली कार्यशाला में परिनियोजित मजदूरी पर टनल भत्तों के अस्वीकार्य घटक का भार डाला गया जिसके परिणामस्वरूप स्टील प्रबलन एवं सम्मिश्रण की दरों का क्रमशः ₹ 14,750.25 प्रति मीट्रिक टन एवं ₹ 73.95 प्रति किलोग्राम की उच्चतर दरों का निर्धारण हुआ। फलतः, संविदाकार को ₹ 1.80 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया। यहां पर यह कहना भी प्रासंगिक है कि सम्मिश्रण के गलत विश्लेषण के परिणामस्वरूप समस्त प्रदान की गई कंक्रीट एवं ग्राउटिंग की मात्रा के निष्पादन करने में ₹ 7.38 करोड़ का कुल अतिरिक्त भुगतान होगा।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया (जून 2017) कि आबकारी शुल्क को अलग करने/वसूल करने जैसा भी मामला होगा के सम्बंध में कार्रवाई की जाएगी। तथापि, सेवा कर के घटक पर 5.80 *प्रतिशत* की दर पर विचार किया गया है तथा हाइड्रो, जन जातीय एवं टनल भत्ता को हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रभारित किया गया है। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि दरों की गणना केवल मजदूरी घटक के बजाए मूल लागत पर 15 *प्रतिशत* सेवा कर प्रभारित करके की गई थी तथा अन्य प्रभार केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके उद्ग्रहित किये गये थे। इसके अतिरिक्त, उत्तर ने बी0ओ0क्यू0 के गलत अनुमान के आयामों को आवृत नहीं किया।

2.22 शुल्क छूट प्राप्त न करने के कारण अतिरिक्त भुगतान

भारत सरकार द्वारा अगस्त 1995 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी एशियन विकास बैंक निधियन परियोजनाओं को आबकारी एवं सीमा-शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी। बोली दस्तावेज तैयार करने के लिए भी एशियन विकास बैंक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि संविदा के अन्तर्गत कार्यों की बोली तैयार करते समय बोलीदाता सभी शुल्क, कर को ध्यान में रखेगा।

संविदाकार को प्रदान किये गये सिविल निर्माण कार्यों से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना-जांच से प्रदर्शित हुआ कि कम्पनी ने संविदाकार को परियोजना प्राधिकार प्रमाण पत्र इस बहाने से जारी नहीं किया था कि बोलीदाता (सेक्शन-I) को अनुदेशों के अनुसार संविदाकार द्वारा भुगतान योग्य सभी शुल्क, कर एवं अन्य उद्ग्रहण प्रदान की गई दरों में शामिल थे। यह इस तथ्य का सूचक था कि कम्पनी ने बोलियों का मूल्यांकन करते समय संविदाकर द्वारा शुल्क सहित दर्शाई दरों पर विचार किया था। जैसे कि एशियन विकास बैंक निधियन परियोजना को शुल्क से छूट दी गई थी इसलिए शुल्क शामिल करके दरें प्रदान करने के कारण कम्पनी इस छूट का लाभ उठाने में विफल रही तथा स्टील, सीमेंट एवं सम्मिश्रणों पर ₹ 11.20 करोड़ की सीमा तक कर छूट के लाभ उठाने से स्वयं वंचित रही।

महाप्रबंधक, परियोजना ने बताया (जून 2017) कि जनहित सेवा का विशेष प्रयोजन जो भारत सरकार की अधिसूचना में निर्धारित था बोली की अवस्था में पूरा हुआ प्रतीत होता है तथा ऐसी छूट का लाभ परियोजना को स्पर्धात्मक बोली के माध्यम से अपने आप प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शुल्क की छूट प्राप्त करने के लिए कम्पनी से संविदाकार को परियोजना प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना अपेक्षित था जो इस मामले में जारी नहीं किया गया था।

2.23 *अन्य रूचिकर प्रसंग*

2.23.1 *मानक दिशानिर्देशों से विचलन*

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं प्रोग्राम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2005 में जारी किये गये घरेलू बोली लगाने हेतु मानक संविदा की धारा-10 (मूल्यवृद्धि) में निर्धारित किया गया है कि 24 महीनों तक की सभी अल्प अवधि संविदाओं को निर्धारित मूल्य आधार पर प्रदान किया जाएगा तथा किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि की कोई भी शर्त नहीं होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2017) कि कम्पनी ने परियोजना हेतु सड़कों एवं भवनों के निर्माण के लिए निविदायें जारी करते समय उपरोक्त दिशा-निर्देशों पर विचार नहीं किया तथा छ: एवं 14 महीनों के मध्यावधि की पूर्णता सहित अल्प अवधि संविदाओं पर ₹ 0.31 करोड़ के मूल्यवृद्धि का भुगतान किया। दिशानिर्देशों से विचलन के परिणामस्वरूप परियोजना लागत पर परिणामी अतिरिक्त व्यय बोझ सहित ₹ 0.31 करोड़ के लागत मूल्यवृद्धि का परिहार्य भुगतान हुआ।

2.23.2 *समेकित लागत से कम विद्युत की बिक्री*

कम्पनी के संघ के ज्ञापन एवं अनुच्छेद के अनुसार, इसकी परियेाजनाओं से ऊर्जा के उत्पादन को हिमाचल प्रदेश सरकार एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के मध्य शेयर किया जाना था। विद्युत की बिक्री के लिए व्यवस्था की मजबूती के लिए बैठक आयोजित की गई (फरवरी 2012), बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने उच्चतर स्तरीय शुल्क के कारण इसके 40 *प्रतिशत* शेयर को खरीदने के लिए अनिच्छा प्रकट की तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित शुल्क पर रॉयल्टी केवल 12 *प्रतिशत* सरकारी शेयर को खरीदने की सहमति दी। इसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी विद्युत को अन्य पावर वितरण कम्पनियों (डिस्काम) को दीर्घ अवधि पावर खरीद अनुबंध के द्वारा बेचने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत में अन्य डिस्काम के साथ मामला उठाने के बावजूद कोई भी खरीददार दीर्घ अवधि पावर खरीद अनुबंध पर आधारित विद्युत की खरीद करने के लिए आगे नहीं आया। इसके अतिरिक्त, पावर खरीद अनुबंध को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण कम्पनी सम्बद्ध नियामक के पास टैरिफ याचिका दायर नहीं कर सकी। अंत में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित समेकित उत्पादन लागत ₹ 4.78 प्रति यूनिट (कम्पनी द्वारा लगाये गये सलाहकार द्वारा परिकल्पित) के स्थान पर ₹ 2.92 प्रति यूनिट (मई 2017 से ₹ 2.20 प्रति यूनिट तक संशोधित) के पूर्व-निर्धारित दर पर कम्पनी से विद्युत खरीदने के लिए सहमत हो गया।

इस प्रकार उत्पादन लागत से कम पावर बेचने के परिणामस्वरूप ₹ 1.36[17] करोड़ के सम्भाव्य उत्पादन[18] के कारण हानि सहित सितम्बर 2016 से सितम्बर 2017 तक की अवधि के दौरान 190.55 मिलियन यूनिटों की बिक्री पर ₹ 45.91 करोड़ की कुल राजस्व हानि हुई।

---

17 संभाव्य उत्पादन = 46,68,900 यूनिट* ₹ 2.92 *प्रति यूनिट* ।

18 संभाव्य उत्पादन नदी परियोजनाओं को चलाने के लिए एक प्रकार की क्षतिपूर्ति है जब विद्युत परियोजना विद्युत उत्पादन के लिए तैयार होती है लेकिन उत्पादन नहीं होता तथा क्रेता से मांग न होने के कारण जल का फैलाव हो जाता है।

2.23.3 प्रमाणित उत्सर्जन घटाव के विक्रय में विफलता के कारण हानि

एशियन विकास बैंक की न्यासधारिता के अन्तर्गत यू0एस0डी0 5,945,000 मूल्य से प्रति प्रमाणित उत्सर्जन घटाव के विक्रय के लिए कम्पनी तथा फ्यूचर कार्बन फण्ड के मध्य एक प्रमाणित उत्सर्जन घटाव खरीद अनुबंध (सिरपा) पर हस्ताक्षर किये गये (मई 2010) जिसे 01 अप्रैल 2015 से 01 अप्रैल 2021 तक समर्पित किया जाना था। प्रमाणित उत्सर्जन घटाव खरीद अनुबंध के अनुसार भुगतान का जारी किया जाना कुछ पूर्ववर्ती शर्तों एवं मीलपत्थरों की शर्तों को पूरा किये जाने की शर्तों पर था। प्रमाणित उत्सर्जन घटाव खरीद अनुबंध (सिरपा) की *धारा 3.4 (सनसैट तिथि)* में अनुबंधित है कि यदि अनुबंध में निर्धारित कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है अथवा सिरपा के तिथि से 12 महीनों के अंदर न्यासी द्वारा हटा नहीं दी जाती तो इस अनुबंध को परियोजना इकाई को लिखित सूचना द्वारा न्यासी रद्द कर सकता है। कम्पनी से यह अपेक्षित था कि जलाशयों पर विश्व आयोग के अनुबंध एवं शर्तों पर न्यासी से मान्यता प्राप्त करवा ली जाती जैसाकि पूर्ववर्ती शर्तों में से यह एक थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने जलाशयों (पूर्ववर्ती शर्त 3.1.4) पर विश्व आयोग को परियोजना की अनुपालना के सम्बंध में कार्यवाही मान्यक की नियुक्ति द्वारा (मेसर्ज़ टी0यू0वी0 रीनलैंड) जून 2012 के दौरान 13 महीनों के विलम्ब के पश्चात् आरम्भ की। मान्यक ने अपना प्रतिवेदन 31 मई 2013 में प्रस्तुत किया। तथापि, फ्यूचर कार्बन फंड ने लिप्पा गांव से सम्बन्धित पर्यावरण मामले को शामिल न किये जाने के कारण मान्यता प्रतिवेदन को रद्द कर दिया (सितम्बर 2013) जो राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के पास तथा एशियन विकास बैंक को प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों सहित सामंजस्य प्रतिवेदन के साथ लम्बित था।

मीलपत्थरों (लक्ष्यों) के प्राप्त होने एवं अनुवर्ती शर्तों को पूरा करने पर कम्पनी ने प्रमाणित उत्सर्जन घटाव की वास्तविक सुपुर्दगी से पहले अथवा परियोजना की प्रतिस्थापन से पहले मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा सभा के पास जमा की गई ₹ 0.58 करोड़ की पंजीकरण फीस की प्रतिपूर्ति सहित ₹ 31.50 करोड़[19] को भी प्राप्त किया होता। तथापि, सिरपा के रद्द होने के कारण उपरोक्त मील पत्थर (लक्ष्यों) की पूर्ति के बावजूद भी उनकी वसूली नहीं की जा सकी।

यद्यपि सिरपा के रद्द होने से मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढ़ांचा सभी के साथ पंजीकरण पर तथा इसकी मान्यता पर प्रभाव नहीं पड़ता फिर भी सिरपा के अनुसार प्राप्त की गई प्रतिभूति समाप्त हो जाती है। सिरपा के साथ अनुबंध के रद्द होने (सितम्बर 2013) के पश्चात प्रमाणित उत्सर्जन घटाव हेतु बाजार में गिरावट आ गई (अगस्त 2013 से अप्रैल 2017 के दौरान प्रमाणित उत्सर्जन घटाव का औसतन मूल्य 0.24 लाख यूएसडी एवं 0.72 यूएसडी के मध्य रहा)। इस प्रकार कम्पनी निर्धारित प्रति 7.25 यूएसडी प्रमाणित उत्सर्जन घटाव की दर पर प्रमाणित उत्सर्जन घटावों को बेचने में समर्थ नहीं हो सकी यद्यपि इसने इसे अन्य खरीददारों को बेचने को प्रयास भी किये।

निष्कर्ष

काशंग जल विद्युत परियोजना से सम्बंधित कार्य ₹ 708.16 करोड़ की लागत पर फरवरी 2009 एवं अक्तूबर 2010 के मध्य नवम्बर 2014 तक की पूर्णता अनुसूची के साथ प्रदान किये गये थे। लंदन इण्टर बैंक द्वारा प्रस्तावित दर से 0.20 *प्रतिशत* अधिक ब्याज दर पर एशियन विकास बैंक से संस्वीकृत

[19] (यूएसडी 5,945,000 x ₹ 52.99 *प्रति* डालर, संयुक्त ढ़ांचा सभा मौसम परिवर्तन के पास जमा की गई फीस हेतु तिथि पर लागू मुद्रा रूपांतरण दर।

₹ 708.16 करोड़ ऋण के प्रति भारत सरकार ने मार्च 2017 तक राज्य सरकार के जरिए 90 *प्रतिशत* अनुदान तथा 10 *प्रतिशत* ऋण के रूप में राशि को राज्य सरकार द्वारा (हिमाचल प्रदेश सरकार) नौ *प्रतिशत* वार्षिक ब्याज की दर पर ₹ 554.44 करोड़ की निधियों का अंतरण किया। राज्य सरकार ने अनुदान में अपवर्तन किया तथा अनुदान की राशि को 10 *प्रतिशत* वार्षिक ब्याज दर पर ऋण के रूप में मान लिया। मार्च 2017 तक ₹ 1,169.75 करोड़ व्यय करने के पश्चात् भी परियोजना अभी तक अपूर्ण है और तीन ईकाइयों में से केवल एक को वाणिज्यिक रूप से परिचालित किया जा सका। परियोजना की स्टेज-I ₹ 478.02 करोड़ के डी.पी.आर. लागत के प्रति ₹ 789.84 करोड़ में पूर्ण की गई जिससे ₹ 311.82 करोड़ की लागत वृद्धि के लिए उच्च दरों पर निर्माण कार्य हेतु भुगतान संविदाकार से अवसूली/अल्प वसूली तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रमात्रा के अल्प प्रावधान जिम्मेदार है तथा 30 महीने की देरी के लिए बाधा रहित कार्यस्थल की उपलब्धता, स्थानीय लोगों द्वारा आन्दोलन, परियोजना मार्गों का अवरोधन, संविदाकार की त्रुटियों के कारण अधिक रिक्त को भरने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समय तथा प्रतिष्ठापन से पूर्व संयंत्र को नुकसान जिम्मेदार है।

अत: स्टेज-I की पूर्णता तक प्रति यूनिट उत्पादन लागत ₹ 2.20 प्रति यूनिट के प्रचलित बिक्री[20] दर के प्रति ₹ 2.85 से ₹ 4.78 प्रति यूनिट तक बढ़ गई थी। परियोजना की स्टेज-II एवं स्टेज-III अब जनवरी 2021 में पूर्ण की जानी निर्धारित की गई है तथा पूर्णता पर उत्पादन लागत में और वृद्धि होने की सम्भावना है।

सिफारिशें

कम्पनी यह सुनिश्चित करने पर विचार करें:

- आगामी परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लागत आकलन तथा वास्तविक आधार पर अभिकल्प तैयार करने;
- सभी अनिवार्य अनुमति प्राप्त करने के पश्चात कार्य प्रदान करने;
- संविदाकार को अतिरिक्त/परिहार्य भुगतान से बचने के लिए प्रभावकारी तंत्र तैयार करने;
- शास्ति से बचने के लिए संविदाकार द्वारा करों के भुगतान के सम्बंध में अनुबंध में उपयुक्त धारा सम्मिलित करने; तथा
- अतिरिक्त समय एवं लागत वृद्धि से बचने के लिए स्टेज-II एवं III के कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने।

राज्य सरकार विचार करे:

- भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को परियोजना लागत में वृद्धि से बचने के लिए शीघ्र सीधे कम्पनी को अंतरण करने पर।

20 दर जिसपर 1 अप्रैल 2017 से हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित को ऊर्जा का विक्रय किया जा रहा है।

अध्याय - III

लेन-देन की लेखापरीक्षा

अध्याय-III

लेन-देन की लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित

3.1 *निश्चित प्रभारों की गलत माफी*

कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 के सम्बन्ध में ₹ 5.06 करोड़ के निश्चित मांग प्रभार माफ किये थे।

हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड, 2009[1] में प्रावधान है कि एच.टी.[2]/ई.एच.टी.[3] आपूर्ति के मामले में जहां अनुज्ञप्तिधारक ने आवेदक को विद्युत आपूर्ति हेतु अपेक्षित कार्य पूर्ण कर लिया है लेकिन आवेदक विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है अथवा विलम्ब करता है अथवा सम्पूर्ण संस्वीकृत संविदा मांग को प्राप्त नहीं करता है, वहां अनुज्ञप्तिधारक सम्बन्धित दर सूची आदेश के अनुसार, साठ दिनों के नोटिस के बाद, यथानुपात आधार पर संस्वीकृत संविदा मांग पर निश्चित मांग प्रभार प्रभारित करेगा।

एक उपभोक्ता से आवेदन तथा अनुबंध[4] की प्राप्ति (दिसम्बर 2011) पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी), ने फरवरी 2012 में 4,600 के.वी.ए. की संविदा मांग के साथ 4,600 किलोवाट हेतु विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति दी थी। कम्पनी ने अपेक्षित अवसंरचना का निर्माण पूर्ण किया था (अगस्त 2012) और उपभोक्ता को आपूर्ति लेने के लिए सूचित किया था (अगस्त 2012), जिसमें विफल रहने पर सम्बन्धित दर सूची आदेश के अनुसार संस्वीकृत संविदा मांग के आधार पर निश्चित मांग प्रभार प्रभारित किये जाएंगे। उपभोक्ता ने साठ दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आपूर्ति प्राप्त नहीं की थी लेकिन कम्पनी द्वारा आपूर्ति कोड के प्रावधानों के अनुसार कोई यथानुपातिक निश्चित मांग प्रभार प्रभारित नहीं किये गये थे। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने (दिसम्बर 2013) पर कम्पनी ने उपभोक्ता को आपूर्ति कोड के आधार पर निश्चित मांग प्रभारों की वसूली हेतु नोटिस जारी किया था।

उपभोक्ता ने भूमि पर निर्माण से सम्बन्धित सशस्त्र बलों के साथ उनके विवाद/अदालती मामलें जिसके कारण आपूर्ति की प्राप्ति नहीं की जा सकती थी, के मद्देनजर निश्चित मांग प्रभारों के उद्ग्रहण से छूट हेतु आवेदन किया था (मार्च 2015)। कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने, अनुरोध पर विचार करते हुए, नवम्बर 2015 तक वसूली योग्य ₹ 4.10 करोड़ और उपभोक्ता को कनेक्शन जारी करने तक वसूलनीय ₹ 8.05 लाख प्रति माह की दर पर निश्चित मांग प्रभार माफ किये (अप्रैल 2016)। उसी समय, कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग से भी सम्पर्क स्थापित किया (अप्रैल 2016) और ऐसे विशेष मामलों के लिए सक्षमकारी प्रावधान को सम्मिलित कर सम्बन्धित खण्ड में संशोधन के लिए कहा। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का निर्णय प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।

कम्पनी ने उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन जारी किया था (नवम्बर 2016), तब तक वसूलनीय निश्चित मांग प्रभार ₹ 5.06 करोड़ हो गये थे।

---

1 अध्याय 3 का खण्ड 3.9 ।

2 उच्च टैंशन (66 किलोवाट तक)।

3 अतिरिक्त उच्च टैंशन (132 किलोवाट तथा अधिक)।

4 स्थायी और तत्काल कनेक्शन के लिए अनुरोध।

अत: कम्पनी ने आपूर्ति कोड 2009 को लागू न करके अपने वित्तीय हितों की अनदेखी कर गलत ढंग से ₹ 5.06 करोड़ के निश्चित मांग प्रभारों को माफ किया था।

सरकार ने बताया (अगस्त 2017) कि कम्पनी हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के साथ खण्ड 3.9 के संशोधन हेतु मामले पर चर्चा कर रही है।

3.2 *सिस्टम की विफलता के कारण धोखाधड़ी का पता न चलना*

विभिन्न फील्ड इकाइयों से प्राप्त मासिक लेखों की कम्पनी के मुख्य बैंक खाते के साथ अनिवार्य मैनुएल मिलान का संचालन करने अथवा एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. मोड के माध्यम से प्राप्त भुगतानों का स्व-चालित मिलान करने हेतु इसके सिस्टमों में मॉड्यूल डिजाइन करने में विलम्ब से उपभोक्ता निधियों के अंतरण के संबंध में झूठी रसीदें उत्पन्न करने में सक्षम हुआ जिनको पकड़ा नहीं गया, परिणामत: ₹ 5.36 करोड़ की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (कम्पनी) के उपभोक्ता जुलाई 2008 तक अपने विद्युत बिल मात्र कैश अथवा चैक के माध्यम से जमा करा सकते थे। अगस्त 2008 में कम्पनी ने अपने उपभोक्ताओं को उनके विद्युत बिल नेशनल इलैक्ट्रॉनिक फण्डस ट्रांसफर (एन.ई.एफ.टी.)/रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से कम्पनी के मुख्य बैंक खाते में सीधे जमा करवाने की स्वीकृति दी। तथापि कम्पनी ने विद्युत बिलों को जमा करवाने की इस प्रणाली को स्वीकृति देते समय ऐसे मॉडयूल को डिजाइन नहीं किया था जो एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. माध्यम से प्राप्त राशि का सिस्टम में स्वचालित मिलान करता। ऐसा न होने पर प्राप्तियों का मिलान कम्पनी के बैंकिंग मैनुएल के अनुसार किया जा रहा था जिसमें प्रावधान था कि वसूली खाते हेतु बैंक मिलान विवरणी मासिक अन्तरालों पर तैयार की जानी चाहिए। उपभोक्ताओं जो अपने विद्युत बिल एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. मोड के माध्यम से जमा करवा रहे थे, से अनिवार्य रूप से अपेक्षित था कि वे कम्पनी के खाते में निधियों के अन्तरण के साक्ष्य के रूप में उनके बैंक द्वारा उत्सर्जित उनके संबंधित यूनीक ट्रान्जेक्शन रैफरेन्स नम्बर (यू.टी.आर.) सम्बन्धित उप-मण्डल में जमा करवायेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युत उप-मण्डल, धौला कुंआ के एक उपभोक्ता[5] ने दावा किया था कि उसने मार्च 2014 से जून 2014 के दौरान फरवरी 2014 से मई 2014 का अपना ₹ 4.50 करोड़ का विद्युत बिल आर.टी.जी.एस. मोड से जमा करवाया था। उपभोक्ता ने जमा के साक्ष्य के रूप में विद्युतीय उप-मण्डल को इन लेन-देनों के पांच यू.टी.आर. प्रस्तुत किये थे। कम्पनी ने प्राप्तियों का मिलान करते समय (नवम्बर/दिसम्बर 2014) पाया कि कथित उपभोक्ता द्वारा अन्तरण का दावा की गई राशि इसके बैंक खाते में क्रेडिट नहीं की गई थी और उपभोक्ता के बैंक के समक्ष मामला लाया गया था (अप्रैल 2015)। प्रत्युत्तर में (मई 2015) बैंक ने बताया कि कथित यू.टी.आर. उनके द्वारा जारी नहीं की गयी थी जिसने इंगित किया कि उपभोक्ता ने झूठी यू.टी.आर. उपलब्ध करवायी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखा विंग द्वारा बैंक मिलान का संचालन करने में अनिवार्य मासिक अन्तर के स्थान पर छ: महीनों का विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप समय पर धोखाधड़ी को पकड़ा नहीं जा सका। अत: नियंत्रण प्रक्रिया अर्थात विभिन्न फील्ड् इकाइयों से प्राप्त लेखों का मासिक अन्तरालों पर कम्पनी के मुख्य बैंक खाते के साथ मिलान का संचालन करना, की अनुपालना के विलम्ब ने उपभोक्ता को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से निधियों के अन्तरण हेतु झूठे यू.टी.आर. प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 4.50 करोड़ की हानि हुई।

5 मैसर्ज इंडियन टैक्नोमैक कम्पनी लिमिटेड।

जून 2014 के बाद उपभोक्ता द्वारा विद्युत की कोई खपत नहीं की गयी थी और कम्पनी ने जनवरी 2015 में विद्युत आपूर्ति काट दी थी (दिसम्बर 2014)। आगे, समय-समय पर लागू दर सूची के अनुसार यदि उपभोक्ता अपना बिल देय तिथि के भीतर जमा करवाने में विफल रहता है तो ऐसे उपभोक्ताओं से स्थायी कटौती आदेश के प्रभावित होने की तिथि तक देय राशि (विद्युत शुल्क को छोड़कर) पर 2 *प्रतिशत* प्रति मास की दर पर विलम्बित भुगतान सरचार्ज वसूली योग्य है। उपर्युक्त मामले में यद्यपि झूठे यू.टी.आर. के कारण कम्पनी के खाते में भुगतान जमा नहीं हुआ था, तथापि कम्पनी दर सूची के प्रावधान के अनुसार स्थायी कटौती आदेश की तिथि तक (जनवरी 2015) चूककर्त्ता उपभोक्ता से देय ₹ 0.86 करोड़ का विलम्बित भुगतान सरचार्ज का उद्ग्रहण/वसूली नहीं कर सकी थी।

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अनुसार उपभोक्ता ने अग्रिम खपत जमा के प्रति कम्पनी को ₹ 60 लाख की बैंक प्रतिभूतियां उपलब्ध करवायी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने उनकी वैधता नहीं बढ़वायी थी और वो 14.04.2014 तथा 26.06.2014 को समाप्त हो गयी थी। अतः बैंक प्रतिभूतियों की वैधता को न बढ़वाने से कम्पनी बैंक प्रतिभूतियों को भुनाने के द्वारा ₹ 60 लाख की वसूली के अवसर से वंचित हुई।

अतः मासिक अन्तरालों पर वसूली राशि के मिलान की आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया अथवा सिस्टम में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. मोड के माध्यम से प्राप्त राशि के स्वचालित मिलान हेतु मॉडयूल बनाने की गैर-अनुपालना से उपभोक्ता को कम्पनी के साथ धोखा करने का अवसर मिला, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.36 करोड़ की हानि हुई। कम्पनी ने व्यपगतों के उत्तरदायित्व को निश्चित करने के लिए कोई आन्तरिक जांच संचालित नहीं की थी।

सरकार ने बताया (जुलाई 2017) कि एक पुलिस शिकायत दायर की गई है और चूककर्त्ता उपभोक्ता के विरूद्ध वसूली मामला माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है। कम्पनी ने अपने उपभोक्ताओं जो अपने बिल आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. माध्यम से जमा करवाने के इच्छुक हैं, अपने बिल मात्र कम्पनी की वैबसाइट के माध्यम से अथवा केन्द्रीकृत खाते के स्थान पर सम्बन्धित विद्युत उप-मंडल के सम्बन्धित बैंक खाते में जमा करवाने का निर्देश दिया था (जून 2017)। उत्तर में बैंक प्रतिभूतियों को नवीकृत नहीं करवाने का पहलू/कारण सम्मिलित नहीं थे।

3.3 *उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण के कारण अल्प वसूली*

कम्पनी ने गलत ढंग से एक बल्क आपूर्ति उपभोक्ता को वाणिज्यिक वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.76 लाख की अल्प वसूली हुई।

समय-समय पर हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर सूची के अनुसार एक उपभोक्ता से सामान्य अथवा मिश्रित भार हेतु बल्क आपूर्ति दर प्रभारित है जहां मुख्य उपभोक्ता द्वारा विभिन्न आवासीय अथवा गैर-आवासीय भवनों को विद्युत का आगामी वितरण किया जाना है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) ने एक उपभोक्ता के पक्ष में अन्तर्राज्यीय बस अड्डा, टूटी कण्डी, शिमला हेतु 650 के.वी.ए. की संविदा मांग सहित 650 किलोवाट की स्वीकृति दी थी जिसमें परिसरों से संचालित विभिन्न वाणिज्यिक (दूकानें/मल्टीपलेक्स/होटल), गैर-वाणिज्यिक (यूनियन कार्यालय/पुलिस पोस्ट) इकाइयों की आवश्यकतायें सम्मिलित थीं। मार्च 2012 में उपभोक्ता को बिलिंग उद्देश्य से वाणिज्यिक वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत करके 11 के.वी. का कनेक्शन जारी किया

गया था। यह इस तथ्य के बावजूद था कि स्वयं उपभोक्ता द्वारा एकल प्वाइंट/मीटर आपूर्ति से विद्युत आगे विभिन्न उपभोक्ताओं को वितरित की जा रही थी। अत: लागू दर सूची के अनुसार उपभोक्ता को बल्क आपूर्ति दर के अन्तर्गत वर्गीकृत तथा प्रभारित किया जाना चाहिये था।

गलत वर्गीकरण के सामने आने (जनवरी 2014) पर कम्पनी ने उपभोक्ता से अप्रैल 2012 से जनवरी 2014 की अवधि के लिए बल्क आपूर्ति तथा वाणिज्यिक वर्ग हेतु प्रयोज्य दरों पर ₹ 15.66 लाख की अंतर राशि प्रभारित की थी (फरवरी 2014)। तथापि दर सूची उद्देश्य हेतु उपभोक्ता के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उप-मण्डल के संदर्भ (जुलाई 2014) पर कम्पनी के मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने स्पष्टीकरण दिया (सितम्बर 2014) कि अगस्त 2014 से आगे मल्टीपलैक्सों को हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर सूची में वाणिज्यिक वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है और विगत अवधि के लिए भी उपभोक्ता को वाणिज्यिक वर्ग के अन्तर्गत प्रभारित किया जाना चाहिए क्योंकि अन्य सभी वर्ग जो किसी अन्य दर सूची में सम्मिलित नहीं होते, वो वाणिज्यिक वर्ग के अन्तर्गत आते हैं, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि उपभोक्ता एकल प्वाइंट आपूर्ति प्राप्त कर रहा था और परिसरों से परिचालित समस्त वाणिज्यिक/गैर-वाणिज्यिक स्थापनाओं की आवश्यक्ताओं की पूर्ति कर रहा था। प्राप्त सलाह के आधार पर विद्युत उप-मंडल ने पुन: उपभोक्ता का वर्ग बल्क आपूर्ति से बदलकर वाणिज्यिक वर्ग कर दिया और पहले वसूली गयी दरों पर अन्तर की राशि लौटा दी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने दर सूची के आधार पर उपभोक्ता को बल्क आपूर्ति के स्थान पर वाणिज्यिक वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत करने की गलती की थी क्योंकि मुख्य उपभोक्ता बस अड्डे का संचालन कर रहा था और आगे उन्ही परिसरों में विभिन्न स्थापनाओं को विद्युत वितरण कर रहा था। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 30.76 लाख के विद्युत प्रभारों की अल्प वसूली हुई (जुलाई 2017 तक)।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2017) कि उपभोक्ता पर लागू किया गया वाणिज्यिक आपूर्ति वर्ग शॉपिंग मॉलों/मल्टीपलैक्स हेतु सही है।

उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उपभोक्ता एकल प्वाइंट पर विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहा था और उन्हीं परिसरों में विभिन्न वाणिज्यिक/गैर वाणिज्यिक स्थापनाओं को इसका वितरण कर रहा था, और, इसलिए उसको दर सूची तथा आपूर्ति कोड 2009 के आधार पर बल्क आपूर्ति उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये।

3.4 *विद्युत कनेक्शन को काटने में विलम्ब के कारण हानि*

कम्पनी ने एक मामले में बिल राशि के भुगतान की समय पर निगरानी नहीं की थी और अस्थायी कटौती आदेश जारी करने में 25 महीने लिये थे और तब तक उपभोक्ता से वसूली योग्य विद्युत प्रभारों की राशि ₹ 1.62 करोड़ तक बढ़ गई थी।

हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड[6], 2009 में प्रावधान है कि जहां उपभोक्ता देय तिथि तक अनुज्ञप्तिधारक के पास बिल राशि अथवा कोई अन्य विद्युत प्रभार जमा करवाने में विफल रहता है, वहां अनुज्ञप्तिधारक न्यूनतम पंद्रह दिनों का नोटिस देने के बाद ऐसी राशि की वसूली और/अथवा उपभोक्ता

6 हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड 2009 का खण्ड 7.1.2 ।

की आपूर्ति अस्थायी रूप से काटने की कार्रवाही कर सकता है। यह भी कि जहां भुगतानों में चूक प्रथम देय भुगतान की तिथि से छः महीनों की अवधि तक जारी है, वहां आपूर्ति स्थायी रूप से काटी जा सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2017) कि एक बृहत् आपूर्ति उपभोक्ता[7] जुलाई 2013 से पूर्ण बिल राशियों के भुगतान में लगातार चूक कर रहा था लेकिन कम्पनी ने सितम्बर 2015 तक 25 महीनों के लिए उपभोक्ता के विरूद्ध कोई कार्रवाही आरम्भ नहीं की थी। अक्तूबर 2015 में अस्थायी रूप से विद्युत आपूर्ति काट दी गई परन्तु इस समय तक चूक राशि ₹ 2.05 करोड़ तक जमा हो गयी थी। उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति स्थायी रूप से कटने (अप्रैल 2016) तक विलम्बित भुगतान सरचार्ज सहित वसूली योग्य राशि ₹ 2.22 करोड़ तक बढ़ गयी थी। कम्पनी ने विद्युत आपूर्ति को स्थायी रूप से काटने पर उपभोक्ता के ₹ 60 लाख की अग्रिम खपत जमा को समायोजित किया था। इस प्रक्रिया से ₹ 1.62 करोड़ की राशि वसूली रहित रही। अतः यदि कम्पनी ने अगस्त 2013 में जब चूक पहली बार हुई थी, अस्थायी रूप से विद्युत आपूर्ति काट दी होती तथा जुलाई 2013 तक ₹ 60.81 लाख की वसूलनीय राशि के प्रति उपलब्ध अग्रिम खपत जमा में से ₹ 60 लाख की वसूली की होती, तो यह ₹ 1.62 करोड़ की परिहार्य हानि से बचा जा सकता था।

मामला सरकार/प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2017)।

3.5 *विद्युत प्रभारों की कम बिलिंग*

अपने बिक्री सर्कुलर की गलत प्रयोज्ता तथा एक ही परिसर में दो भिन्न कनेक्शन जारी करने के द्वारा कम्पनी ने एक उपभोक्ता पर लोअर वॉल्टेज आपूर्ति सरचार्ज के आधार पर ₹ 25.58 लाख तथा एच.टी.-2 श्रेणी पर लागू योग्य उच्च दर सूची के आधार पर ₹ 16.22 लाख का बिल नही लगाया था।

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) ने अपने बिक्री सर्कुलर (अप्रैल 2001) द्वारा अनुबद्ध किया कि जब भी एक विद्यमान उपभोक्ता एक परिसर (स्वतंत्र निर्माण/इकाई जिसकी भिन्न पहचान है) में नवीन कनेक्शन हेतु आवेदन करता है, इसको स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये और उपभोक्ता से विद्यमान भार में वृद्धि/विस्तार हेतु आवेदन के लिए कहा जाना चाहिये। जब भी एक उपभोक्ता द्वारा नवीन परिसर में विद्यमान परिसर से निकालकर अथवा जुडी हुई भूमि/परिसर की खरीद द्वारा नवीन कनेक्शन के लिए आवेदन किया जाता है, इसको भार में विस्तार समझा जाना चाहिये। आगे अगस्त 2014 से लागू योग्य दर सूची में वृहत औद्योगिक विद्युत आपूर्ति वर्ग के अन्तर्गत बिलिंग उद्देश्य हेतु दो नवीन उप-वर्ग (एच.टी.-1[8] तथा एच.टी.-2[9]) शुरू किये गये थे। ऐसे मामले में जहां विद्युत आपूर्ति निर्धारित मानक आपूर्ति वॉल्टेज से कम वॉल्टेज पर प्राप्त की गयी है, वहां उपभोक्ता निर्दिष्ट और हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दरों पर कम वॉल्टेज आपूर्ति सरचार्ज के भुगतान हेतु दायी था।

7 मैसर्ज टी.आई. स्टील प्राईवेट लिमिटेड।

8 1000 के.वी.ए. की संविदा मांग तक के उपभोक्ता।

9 1000 के.वी.ए. की संविदा मांग से अधिक के उपभोक्ता।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 880 के.वी.ए. की संविदा मांग सहित 1,730 किलोवाट के संयोजित भार का विद्युत कनेक्शन गांव काठा (खसरा संख्या 137 तथा 138), बद्दी, जिला सोलन में मैसर्ज जूपीटर इनोवेशन सीमित के पक्ष में विद्यमान था। मैसर्ज जूपीटर इन्टनेशनल सीमित द्वारा उसी परिसर (खसरा संख्या 137/8, 138/2 तथा 138/4) हेतु 700 के.वी.ए. की संविदा मांग सहित 1,500 किलोवाट के संयोजित भार से युक्त एक अन्य कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया था (अगस्त 2007) जो दिसम्बर 2010 में जारी किया गया था। तथापि दूसरा कनेक्शन जारी करते समय कम्पनी इस तथ्य का संज्ञान लेने में विफल रही कि मैसर्ज जूपीटर इनोवेशन सीमित जिसके नाम पर पहला कनेक्शन जारी किया गया था, को माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता के आदेशों (अगस्त 2006) के अनुसार 01 अप्रैल 2005 के प्रभाव से मैसर्ज जूपीटर इन्टरनेशनल सीमित में मिला दिया गया था। मैसर्ज जूपीटर इन्टरनेशनल सीमित को दूसरा कनेक्शन जारी करने के बाद परिसर में कुल संयोजित भार 1,580 के.वी.ए. की संविदा मांग सहित 3,230 किलोवाट तक बढ़ गया था और इसलिए एच.टी.-2 के रूप में वर्गीकृत किये जाने हेतु दायी था। अत: प्रथम कनेक्शन को भी मैसर्ज जूपीटर इन्टरनेशनल सीमित के नाम से तथा दूसरे को भार के विस्तार के रूप में समझा जाना चाहिये और दोनों कनेक्शन जो 11 किलोवाट पर जारी किये गये थे, 33 किलोवाट पर निर्धारित मानक आपूर्ति वॉल्टेज के अन्तर्गत जारी किये जाने चाहिये थे जिस पर दर सूची में न्यून वॉल्टेज आपूर्ति सरचार्ज को निर्धारित किया गया है।

एक परिसर में एक ही इकाई को दो भिन्न कनेक्शन जारी करना कम्पनी के बिक्री सर्कुलर का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप कम वॉल्टेज आपूर्ति सरचार्ज के आधार पर ₹ 25.58 लाख[10] की कम बिलिंग हुई तथा इसके साथ-साथ एच.टी.-2 वर्ग पर लागू योग्य उच्च दर सूची के आधार पर ₹ 16.22 लाख[11] की कम बिलिंग हुई। नवम्बर 2015 के दौरान परिसर में एक विद्युत आपूर्ति कनेक्शन काट दिया गया था।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 2017) कि विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 की अधिसूचना के अनुसार आपूर्ति कोड के प्रावधान 2001 में जारी बिक्री सर्कुलर पर लागू होंगे और आपूर्ति कोड 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिसम्बर 2010 के दौरान दूसरा कनेक्शन जारी किया गया था। सरकार का उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि आपूर्ति कोड एक ही परिसर में दो कनेक्शन दिए जाने के संबंध में कुछ नहीं कहता। अत: कम्पनी के बिक्री सर्कुलर के ऐसे प्रावधान भी लागू होंगे, जिन पर आपूर्ति कोड कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं करवाता।

3.6 *वित्तीय लाभ का अनाहरण*

कम्पनी ने कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा संशोधित वेतन तथा भत्तों के लाभ वापिस लेते हुए ब्याज के रूप में भुगतान किये गये ₹ 37.05 लाख के वित्तीय लाभ का आहरण नहीं किया।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी), (भूतपूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड), ने 1 जनवरी 1986 से अपने कनिष्ठ अभियन्ताओं के वेतनमान में ₹ 1800 - ₹ 3200 से ₹ 2000 - ₹ 3500 का संशोधन (जनवरी 1996) इस शर्त के साथ किया था कि वे 9 तथा 16 वर्षों के बाद

---

10 ₹ 8,52,77,592 (जनवरी 2011 से मार्च 2014 तक के विद्युत प्रभार) x 3 *प्रतिशत्* ।

11 1,422 के.वी.ए. (1,580 के.वी.ए. का 90 *प्रतिशत्*) x ₹ 150 x 16 महीने (8/14 से 11/15) - (5968900 के.वी.ए.एच. x ₹ 0.30) = ₹ 16,22,130 ।

समयबद्ध पदोन्नति पाने के लिए पात्र नहीं होंगे। वेतनमान में संशोधन के परिणामस्वरूप देय बकाया जो जनवरी 1986 से आदेशों को जारी करने की तिथि तक प्रभावित थे, सम्बन्धित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किये जाने थे।

कम्पनी ने आगे निर्णय लिया (मई 2003) कि उन सहायक अभियंताओं/सहायक अधिशाषी अभियन्ताओं/वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ताओं जो अभियन्ता संस्थान के सम्बद्ध सदस्य थे, को आरम्भ में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रूप में नियुक्ति दी जाये और इसके अनुवर्ती ए.एम.आई.ई. कोटा के प्रति सहायक अभियन्ताओं के रूप में पदोन्नत किये जायें अथवा 9/16 वर्षों की सेवा के बाद समयबद्ध पदोन्नति मान के लाभों को प्राप्त करने के उनके विकल्प को प्रयोग करते हुए 01 जनवरी 1996 के प्रभाव से सीधी भर्ती के प्रति सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्ति दी जाये। निर्णय था कि कर्मचारी द्वारा इस विकल्प को प्रयोग करने पर सहायक अभियन्ताओं द्वारा पूर्वता प्राप्त किये गये उच्च वेतनमान के लाभ, जैसा कि ऊपर इंगित किये गये हैं, वापिस लिये जायेंगे। ऐसे विकल्प को प्रयोग करने का अवसर नवम्बर 2009 में पुन: खोला गया था। अभिलेखों की लेखापरीक्षा समीक्षा में उजागर हुआ कि 48 सहायक अभियन्ताओं जो ₹ 2000 - ₹ 3500 का संशोधित वेतनमान ले रहे हैं, ने 9/16 वर्षों के बाद समयबद्ध पदोन्नति लाभ का विकल्प दिया था और 1.1.1986 से 17.1.1996 की अवधि के लिये भुगतान किये गये बकायों, जो 1996 तथा 1997 के दौरान उनके सम्बन्धित सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा किये गये थे, को लौटाने पर सहमत हुए थे। कम्पनी ने 27 अभियन्ताओं को 9/16 वर्षों का लाभ स्वीकृत करने के पश्चात् भुगतान योग्य बकायों में से विगत संशोधन के लाभों का समायोजन करते हुए, सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा किये गये मात्र मूलधन को ही वापिस लिया था (अक्तूबर 2010 - अगस्त 2015) लेकिन बकायों पर प्रोद्भुत ब्याज वापिस नहीं लिया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 27 सहायक अभियन्ताओं को ₹ 37.05 लाख के ब्याज के लाभ जिसको अभ्यर्पित किये जाने की सहमति हुई थी, को वापिस न लेने के परिणामस्वरूप एक अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया जिसमें भविष्य में और वृद्धि होगी।

मामला सरकार/प्रबंधन को प्रेषित किया गया था (जून 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2017)।

3.7 *राजस्व का अनुद्ग्रहण*

विद्युत के संस्वीकृत भार की तुलना में अधिक आहरण को पकड़ने का तंत्र विद्यमान न होने के परिणामस्वरूप ₹ 36.78 लाख की राजस्व हानि हुई।

भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, कि धारा 126 (1) में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के निरीक्षण के बाद निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा व्यक्ति विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग में संलिप्त है, तो वह स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसे उपयोग द्वारा लाभान्वित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य सर्वोत्तम विद्युत प्रभारों का अस्थायी रूप से निर्धारण करेगा। आगे उपर्युक्त अधिनियम की धारा 126 की उप-धारा (6) में प्रावधान है कि इस धारा के अन्तर्गत निर्धारण सम्बन्धित श्रेणी हेतु लागू योग्य दो गुणी टैरिफ दरों के बराबर दर पर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 में संशोधन करते हुए (जून 2014) स्पष्टीकरण दिया था कि धारा 126 की आवश्यकता

नहीं होगी यदि संयोजित भार में वृद्धि संस्वीकृत संयोजित भार के 10 *प्रतिशत* की सीमा से अधिक नहीं हो या अधिकतम 200 किलोवाट हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युत उप-मण्डल, टाहलीवाल के अन्तर्गत दो उपभोक्ताओं ने संस्वीकृत संयोजित भार के 10 *प्रतिशत* से अधिक भार का आहरण किया था जैसा कि उनके सम्बन्धित विद्युत मीटरों पर अभिलिखित अधिकतम मांग से स्पष्ट था। अगस्त 2012 से जनवरी 2015 के दौरान इन दो उपभोक्ताओं द्वारा अधिक आहरण संस्वीकृत संयोजित भार के अतिरिक्त औसतन 32 के.वी.ए. और 216 के.वी.ए. के मध्य था। तथापि कम्पनी, दो उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत के अधिक आहरण को पकड़ने में विफल रही और परिणामत: उपर्युक्त अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कोई निर्धारण नहीं किया जा सका था। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 36.78 लाख की राजस्व हानि हुई, जैसा कि ***परिशिष्ट-3.1*** में ब्यौरा दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि कम्पनी में एक संस्थागत निगरानी तंत्र विद्यमान नहीं था जो उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत के अधिक आहरण को पकड़ने में सहायता करता। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 126 की उप-धारा (5) में प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहां उस अवधि जिसके दौरान विद्युत का ऐसा अप्राधिकृत उपयोग हुआ है, को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, वहां ऐसी अवधि को निरीक्षण की तिथि से ठीक पहले बारह महीनों की अवधि तक सीमित किया जायेगा। चूंकि इन मामलों में अवधि निरन्तर नहीं है, 12 महीनों की अधिकतम अवधि को निरीक्षण की तिथि से कवर किया जा सकता है जो समाप्त हो चुकी है और वसूली कालातीत हो गयी है।

मामला सरकार/प्रबंधन को प्रेषित किया गया था (जून 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2017)।

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित

3.8 *बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित द्वारा फलों की उपार्जन/प्रसंस्करण तथा निपटान की विषयक लेखापरीक्षा*

कम्पनी को सेब जूस मिश्रण/सेब रस के कम उत्पादन, सेब के खराब होने, ईंधन की अधिक खपत तथा वितरक को कमीशन के भुगतान के कारण बाजार हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन पर ₹ 2.61 करोड़ की हानि होने के अतिरिक्त बागवानों को समय पर भुगतान जारी न करने से इसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

3.8.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश सरकार खराब होने वाले बागवानी उत्पादों जैसे सेब, खट्टे फलों तथा आम (फलों) के उत्पादकों के हितों की रक्षा करने हेतु प्रत्येक वर्ष उच्च आगमन अवधि के दौरान समर्थन मूल्यों हेतु बाजार हस्तक्षेप स्कीम क्रियान्वित करती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाजार हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित (कम्पनी) और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ सीमित, शिमला (हिमफेड) को नामित किया है। कम्पनी प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निश्चित दरों पर उत्पादकों से फलों का उपार्जन करती है। कम्पनी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपने तीन फल प्रसंस्करण संयन्त्रों में प्रसंस्करण

हेतु अपेक्षित फलों की मात्रा भी रखती है और शेष को नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में बेच देती है। उद्ग्रहित औसत नीलामी मूल्य/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निश्चित माने गये मूल्य के आधार पर कम्पनी अपने प्रसंस्करण संयन्त्रों में प्रसंस्कृत फलों की मात्रा हेतु भुगतान करती है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उपार्जन मूल्य तथा उद्ग्रहित मूल्य/प्रभारित माने गये मूल्य के मध्य अन्तर कम्पनी को पुनर्भुगतान योग्य है। कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों के आधार पर उत्पादकों को उपार्जन मूल्य, हिमाचल प्रदेश सरकार से इसकी प्राप्ति के बाद, भुगतान किया जाता है अथवा कम्पनी द्वारा उत्पादकों को बागवानी सम्बन्धित औजारों/सामानों की बिक्री के बदले समायोजित किया जाता है। बाजार विपणन स्कीम के क्रियान्वयन हेतु संचालन प्रभार, जैसा कि समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निश्चित किये जाते हैं, कम्पनी को लौटाये जाते हैं।

कम्पनी फलों के उपार्जन हेतु उपार्जन केन्द्र खोलती है जैसा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है और इसके विपणन चैनलों के माध्यम से बिक्री हेतु फलों का इन हाउस प्रसंस्करण करती है।

बाजार हस्तक्षेप स्कीम, कम्पनी द्वारा उत्पादों के प्रसंस्करण तथा बिक्री की प्रभावशीलता तथा सक्षमता का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा ने 2014-17 की अवधि के दौरान शुरू की गयी गतिविधियों की समीक्षा की थी।

3.8.2 *बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत फलों का उपार्जन*

बाजार हस्तक्षेप स्कीम प्रचालन में उपार्जन लागत तथा इसके कल्पित बिक्री उद्ग्रहण में अन्तर निहित है। 31 मार्च 2017 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान उपार्जित सेबों की मात्रा तथा मूल्य और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिड़ी के रूप में जारी अन्तर निम्न **तालिका 3.1** में दिये गये हैं:

तालिका 3.1: सेबों के लिये बाजार हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी सब्सिडी का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपार्जित मात्रा (मीट्रिक टन में)	उपार्जन लागत[12]	हैंडलिंग प्रभार[13]	कुल उपार्जन लागत (3+4)	बिक्री/प्रसंस्करण मात्रा की बिक्री से आय	राज्य सरकार द्वारा जारी सब्सिड़ी (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
2014-15	7,001	4.55	1.54	6.09	1.73	4.36
2015-16	20,135	13.09	4.43	17.52	7.56	9.96
2016-17	8,337	5.42	2.29	7.71	3.06	4.65
योग	**35,473**	**23.06**	**8.26**	**31.32**	**12.35**	**18.97**

(स्रोत: कम्पनी द्वारा आपूरित आंकड़े)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेबों के लिये बाजार हस्तक्षेप स्कीम के परिणामस्वरूप 2014-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार से ₹ 18.97 करोड़ का परिव्यय हुआ। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2015-17 के दौरान संचालित सेब संग्रहण केन्द्रों की स्थापना लागत हेतु ₹ 2.16 करोड़ भी लौटाये थे।

---

12 वर्ष 2014-17 के दौरान सेबों का उपार्जन मूल्य ₹ 6.50 प्रति किलो था।

13 सेबों के लिए हैंडलिंग शुल्क वर्ष 2014-16 के दौरान ₹ 2.20 प्रति किलो एवं 2016-17 के दौरान ₹ 2.75 प्रति किलो था।

कम्पनी ने 2014-17 के दौरान बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत ₹ 13.02 लाख मूल्य के 147 मीट्रिक टन खट्टे फल (किन्नू तथा गलगल) का भी उपार्जन किया था। कम्पनी खुले बाजार में उनकी बिक्री/इसके अपने संयत्रों में प्रसंस्कृत फलों की लागत द्वारा मात्र ₹ 5.09 लाख की वसूली कर सकी थी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ₹ 7.93 लाख का अन्तर कम्पनी को लौटा दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2015 से आगे फसली मौसम से बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत फलों के उपार्जन हेतु नियुक्त स्टाफ की लागत लौटायी थी। तथापि कम्पनी ने 2015-17 की अवधि के दौरान खट्टे फलों के उपार्जन हेतु नियुक्त इसके कर्मचारियों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार को ₹ 10.85 लाख का दावा प्रस्तुत नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.85 लाख के कम दावे हुए।

प्रबंधन ने स्वीकार किया था (जुलाई 2017) कि सरकार ने 2015 से आगे फसली मौसम से स्टाफ लागत को लौटाना आरम्भ कर दिया था। तथापि उत्तर ₹ 10.85 लाख के अल्प-दावे के संबंध में कोई सूचना नहीं देता है।

3.8.3 सेबों का अधिक खराब होना

बाजार हस्तक्षेप स्कीम गतिविधि में इवापो-परिवहन हानियों को कवर करने हेतु 2.5 *प्रतिशत* अधिक फलों के उपार्जन का कार्य शुरू किया गया है। उत्पादकों को 102.5 किलोग्राम फलों की डिलीवरी के प्रति 100 किलोग्राम फल हेतु भुगतान किया जाता है। कम्पनी ने बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत 35,473 मीट्रिक टन सेबों का उपार्जन किया जिसमें से 808.395 मीट्रिक टन को फल प्रसंस्करण संयन्त्रों द्वारा खराब दर्शाया गया था। 2014-17 के दौरान 2.5 *प्रतिशत* अतिरिक्त उपार्जन को छोड़ने के बाद फल प्रसंस्करण संयन्त्रों में फलों की खराबी 1.73 से 8.50 *प्रतिशत* के मध्य थी जिसका मूल्य ₹ 27.35 लाख था जो कम्पनी पर बोझ था।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (जुलाई 2017) कि फलों को अवैज्ञानिक ढ़ंग से संग्रहित किया गया था और यह भी कि प्रसंस्करण संयन्त्रों तक फलों के परिवहन में विलम्ब के परिणामस्वरूप फलों की गुणवत्ता में कमी हुई। प्रबंधन के उत्तर को स्कीम के अन्तर्गत 2.5 *प्रतिशत* अधिक फलों के उपार्जन के मानदण्डों के प्रकाश में देखा जाना है जिनको सूखे के तत्वों, प्रक्रिया में विलम्ब के आधार पर हानियों से बचने के लिये बनाया गया था और इंगित की गई हानि इन घटकों पर विचार करने के बाद है।

3.8.4 उत्पादकों को भुगतान

कम्पनी हिमाचल प्रदेश सरकार से दावों की प्राप्ति के बाद बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत उपार्जित सेबों हेतु उत्पादकों को भुगतान करती है। 2014 से 2017 की अवधि के दौरान कम्पनी ने ₹ 23.06 करोड़ मूल्य के 35,473 मीट्रिक टन सेबों का उपार्जन किया था।

उत्पादकों को किये गये भुगतानों का वर्षवार ब्यौरा नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2: उत्पादकों के लम्बित भुगतानों का ब्यौरा

फसली समय	उपार्जित सेब (मीट्रिक टन)	हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त उपार्जन लागत	उत्पादकों को किया गया भुगतान	भुगतान जो अभी किया जाना है (अप्रैल 2017)	हिमाचल प्रदेश सरकार से भुगतान प्राप्ति का महीना
		(₹ लाख में)			
2014	7,001	455.07	444.85	10.22	मार्च 2015
2015	20,135	1,308.71	1,176.37	132.34	अप्रैल 2016
2016	8,337	541.88	398.13	143.75	मार्च 2017
योग	**35,473**	**2,305.66**	**2,019.35**	**286.31**	

(स्रोत: कम्पनी द्वारा आपूरित आंकड़े)

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि यद्यपि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी दावे जारी कर दिये थे, लेकिन कम्पनी ने उत्पादकों को ₹ 2.86 करोड़ जारी नहीं किये थे, जिससे इंगित हुआ कि कम्पनी ने इस राशि का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया था।

लेखापरीक्षा ने पहले भी मार्च 2008 को समाप्त वर्ष हेतु नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), हिमाचल प्रदेश सरकार के परिच्छेद संख्या 2.13 पर मामले को हाईलाइट किया था, जिसमें सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति को विश्वास दिलाया था कि कम्पनी को हिमाचल प्रदेश सरकार से भुगतानों की प्राप्ति के एक महीने के भीतर उत्पादकों को भुगतान जारी करने के उचित निर्देश दिये जायेंगे। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति को दिलाया गया विश्वास क्रियान्वित नहीं किया गया था जिससे उत्पादकों को समस्या हुई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कम्पनी द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पादकों को किये गये ₹ 20.19 करोड़ के कुल भुगतान में से मात्र ₹ 0.49 करोड़ नकद रूप में जारी किये गये थे और शेष ₹ 19.70 करोड़ इसके अपने उत्पादों तथा बागवानी सम्बन्धित औजारों एवं उत्पादों के बिक्री मूल्य के प्रति समायोजित किये गये थे। 2014-17 के दौरान उत्पादकों को किये गये नकद भुगतान की प्रतिशत्ता शून्य से 13.98 के मध्य रही जबकि उसी अवधि के दौरान उत्पादों की बिक्री के प्रति समायोजित दावों की प्रतिशत्ता 73.47 से 92.24 के मध्य रही।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि कम्पनी ने नकद आधार पर बिक्री हेतु और बाजार हस्तक्षेप स्कीम दावों के प्रति समायोजन हेतु स्प्रे-तेल (टी.एस.ओ./एच.एम.ओ.) तथा सेब पेकिंग सामग्री (डिब्बे/सप्रेटर/ट्रे) के लिये विभिन्न दरें निश्चित की थी। बाजार हस्तक्षेप स्कीम भुगतान के अन्तर्गत आपूरित सामग्री हेतु प्रभारित दरों की तुलना में नकद बिक्री की दरें कम थी। सात[14] ब्रांच कार्यालयों में कम्पनी नकद बिक्री हेतु निश्चित दरों की तुलना में उच्च दरों पर स्प्रे-तेल तथा प्रसंस्करण सामग्री की बिक्री द्वारा उत्पादकों से ₹ 25.39 लाख अधिक समायोजित किए थे।

प्रबंधन ने स्वीकार किया तथा बताया (जुलाई 2017) कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप भुगतानों में विलम्ब हुआ। तथापि उत्तर उत्पादकों के देयों का भुगतान सामग्री के रूप में करने और वो भी नकद बिक्री हेतु निर्धारित दरों की तुलना में उच्च दरों पर, के पहलू को कवर नहीं करता था।

3.8.5 सेब जूस/गाढ़े जूस की कम उत्पादकता

कंपनी के पास परवाणू और जरोल में फल प्रसंस्करण के दो कारखाने हैं। जरोल के फल प्रसंस्करण कारखाने में एक किलोग्राम सेब से 650 मिलीलीटर सेब जूस निकालने का मानक निर्धारित हुआ। परन्तु एक किलोग्राम सेब के प्रसंस्करण से 568 से 604 बीच जूस निकला जिससे 2014-17 के दौरान सेब जूस की 14034 लीटर कम उत्पादकता के रूप में परिवर्तित हुई जो कि ₹ 6.31 लाख के समतुल्य है।

एक किलोग्राम गाढ़े सेब जूस के उत्पादन के लिए फल प्रसंस्करण कारखाना परवाणू व जरोल में क्रमशः 9.5 किलोग्राम से 10.5 किलोग्राम तथा 11.5 किलोग्राम से 12.5 किलोग्राम सेब मानक के रूप में निर्धारित हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि फल प्रसंस्करण संयंत्र, परवाणू ने 1,243 मीट्रिक टन गाढ़े सेब जूस उत्पादन के लिए 13,780 मीट्रिक टन सेब का प्रसंस्करण किया था। 732 मीट्रिक टन सेब

14 भूंतर, रोहड़ू, चौपाल, जुब्बल, टूटूपानी, गुम्मा, और ओड़ी ।

की खपत अधिक हुई जबकि जरोल संयंत्र में 140 मीट्रिक टन गाढ़े सेब जूस के उत्पादन के लिए मानक की तुलना में 33 मीट्रिक टन सेब की अधिक खपत हुई। इसके परिणामस्वरूप 2014-17 की अवधि के दौरान ₹ 0.82 करोड़ मूल्य के गाढ़े सेब जूस का कम निष्कर्षण हुआ।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2017) कि पुरानी मशीनरी, 72^0 ब्रिक्स पर गाढ़े सेब जूस के प्रसंस्करण व उपलब्ध प्रसंस्करण ग्रेड सेब की कम गुणवत्ता के कारण उत्पादकता घटी।

(i) मानक से अधिक लेमिनेट पेपर का उपयोग

टेट्रा पैक में लेमिनेट पेपर के उपयोग के लिए क्षय मानक 2.50 *प्रतिशत* निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2014-17 के दौरान फल प्रसंस्करण संयंत्र, परवाणू में वास्तविक क्षय निर्धारित मानक क्षय (2.5 *प्रतिशत*) से 1.67 से 4.85 *प्रतिशत* तक अधिक था जोकि 2013-14 और 2015-17 में ₹ 16.49 लाख के समतुल्य था। 2014-15 के दौरान क्षय, मानकों के अंतर्गत था।

दक्ष तकनीकी/पर्यवेक्षी कर्मचारियों की कमी और पैक होने वाले उत्पादों के प्रकारों में बार-बार बदलाव के कारण अधिक क्षय हुआ जिसके लिए क्लीन -इन-प्लेस प्रक्रिया अपेक्षित थी तथा जिसकी सफाई में हर बार टेट्रा पैक के 175 पाउच से अधिक के समतुल्य क्षय सम्मिलित है।

प्रबंधन ने स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2017) कि यांत्रिक त्रुटियों व संयंत्रों में उत्पाद मिश्रण में बार-बार बदलावों के कारण क्षय बढ़ता है।

(ii) ईंधन की अधिक खपत

कंपनी ने सितंबर 2014 में तेल का अधिक मूल्य बताकर परवाणू स्थित अपने दो में से एक ऑयल फायरड बॉयलर को वुड फायरड बॉयलर से बदल दिया।

कंपनी द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार एक मीट्रिक टन गाढ़े सेब जूस के निष्कर्षण व टेट्रा पैक के 4,000 ट्रे की पैकिंग के लिए क्रमश: 440 व 1,300 लीटर फरनेस तेल की आवश्यकता थी। कंपनी ने अपने वुड फायरड बायलर में वुड ब्रिकेटों की खपत के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया था। तथापि, कंपनी द्वारा वुड फायरड बॉयलर खरीदते समय किए गए लागत लाभ विश्लेषण के अनुसार एक लीटर फरनेस तेल के प्रति 3.08 किलोग्राम वुड ब्रिकेटों की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फल प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन के लिए दक्ष पर्यवेक्षी/तकनीकी कर्मचारियों की कमी, फल प्रसंस्करण संयंत्र व टेट्रा पैक मशीन को चलाने के लिए बायलर द्वारा अनुरक्षित भाप दाब के अपर्याप्त उपयोग के कारण गाढ़े सेब जूस के निष्कर्षण एवं पैकिंग के लिए उपयोग किए गए फरनेस तेल व ब्रिकेटों की खपत कंपनी द्वारा निर्धारित मानक से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.61 करोड़ के समतुल्य ईंधन की अधिक खपत हुई (***परिशिष्ट-3.2***)

प्रबंधन ने स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि उत्पादक कर्मचारियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

3.8.6 गुणवत्ता नियंत्रण

कंपनी ने अपने उत्पाद की बिक्री के लिए कोई नीति सूत्रबद्ध नहीं की। चूंकि कंपनी के उत्पाद नश्वर प्रकृति के हैं इसलिए कम्पनी को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए प्रथम आवक-प्रथम जावक की नीति अपनानी चाहिए थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2017 तक, फरवरी 2014 से अक्तूबर 2014 के मध्य फल प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा उत्पादित ₹ 35.50 लाख[15] मूल्य का ऑरेंज पल्प व गाढ़ा सेब जूस विगत 29 से 37 महीनों तक विक्रयहीन पड़ा रहा। चूंकि उत्पाद नश्वर प्रवृत्ति के हैं, इसलिए विक्रयहीन भंडार के उपयोग की अवधि समाप्त हो गई तथा यह मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.50 लाख की हानि हुई।

प्रबंधन ने मामले को स्वीकार किया (जुलाई 2017)।

3.8.7 विपणन में कमियां

कंपनी में कोई विपणन नीति सूत्रबद्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए किसी सक्रिय विपणन युक्ति का अनुसरण नहीं किया था।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2017) कि मार्च 2017 के दौरान एक नवीन विपणन नीति अनुमोदित की है।

वितरक की निष्फल नियुक्ति

अपने प्रसंस्करित फल उत्पादों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के खुदरा बाजार पर प्रभाव के मद्देनजर कंपनी ने अपने उत्पादों की बिक्री के लिए मई 2013 के दौरान एकक पूर्ण वितरक[16] नियुक्त किया। संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार वितरक कुल बिक्री मूल्य के 10 *प्रतिशत* की दर से कमीशन का हकदार था। वितरक के लिए ₹ 4 करोड़ प्रति वर्ष का लक्ष्य निर्धारित था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने वर्षों से अपने पूर्व स्थापित कियोस्कों/विक्रताओं के नेटवर्क के माध्यम से 2010-11 से 2012-13 के दौरान ₹ 2.75 करोड़ से ₹ 4.31 करोड़ की बिक्री की तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 31 मार्च 2013 तक 71 कियोस्क/विक्रेता थे। वितरक ने कंपनी के वितरण नेटवर्क का उपयोग किया और इसमें आगे वृद्धि नहीं की। वितरक मई 2017 तक समाप्त विगत चार वर्षों के दौरान ₹ 1.12 करोड़ से ₹ 2.05 करोड़ के मध्य बिक्री कर सका। इसके अतिरिक्त, वितरक की नियुक्ति के पश्चात् दिल्ली कार्यालय में तैनात कर्मचारियों में कमी नहीं की गई और वितरक ने कंपनी परिसर को अपने बिक्री कार्यालय के रूप में भी उपयोग किया।

अत:, वितरक की नियुक्ति के बावजूद कंपनी उत्पादों की बिक्री घटी, फिर भी कंपनी को संविदा की शर्तों अनुसार ₹ 84.37 लाख कमीशन वितरक को देना पड़ा जबकि वितरक की नियुक्ति से पहले कंपनी की बिक्री अधिक थी तथा यह कोई बिक्री कमीशन भी नहीं दे रही थी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि की वितरक के साथ हुए अनुबंध के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में संपूर्ण बिक्री वितरक के माध्यम से की जानी थी तथा वितरक के लिए जून से आरंभ होकर मई तक ₹ 4 करोड़[17] प्रतिवर्ष बिक्री लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अनुबंध के अन्तर्गत शर्तों के उल्लंघन के

---

15 ₹11.50 लाख मूल्य का 48 मीट्रिक टन ऑरेंज पल्प तथा ₹ 24.00 लाख मूल्य का 20 मीट्रिक टन गाढ़ा सेब जूस ।

16 ग्लेशियर मार्केटिंग नेटवर्क (जी एम एन), दिल्ली।

17 कियोस्क बिक्री के लिए ₹ 1.25 करोड़ एवं बाजार बिक्री के लिए ₹ 2.75 करोड़।

मामले में, कंपनी को ₹ 3 लाख की निष्पादन प्रतिभूति जब्त करने का अधिकार था। लक्ष्यों की अनुपलब्धि के बावजूद अनुबंध को उन्हीं निबंधनों व शर्तों पर अनुवर्ती वर्षों में मई 2017 तक नवीकृत किया गया और कंपनी द्वारा निष्पादन प्रतिभूति की जब्ती के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। इस प्रकार, वितरक की नियुक्ति का उद्देश्य अर्थात् अपने प्रसंस्करित फल उत्पादों की बिक्री में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के खुदरा बाजार पर प्रभाव व कर्मचारी लागत में कमी, विफल रहा और कंपनी को ₹ 84.37 लाख कमीशन का परिहार्य भुगतान भी वहन करना पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2017) कि मामले को राज्य सरकार के पास विचार के लिए प्रेषित किया गया है।

निष्कर्ष

बाजार हस्तक्षेप स्कीम का मुख्य उद्देश्य राज्य में अत्यधिक फसल उत्पादन के कारण बिक्री मूल्य में गिरावट से फल उत्पादकों के हितों की रक्षा करना था। तथापि, यह लक्ष्य सीमित तरीके से प्राप्त हुआ। कंपनी ने 2014-17 के दौरान सेब उत्पादकों को देय ₹ 20.19 करोड़ में से मात्र 2.43 *प्रतिशत*-₹ 0.49 करोड़ का नकद भुगतान किया तथा शेष के लिए उत्पादकों को कंपनी से उत्पाद खरीदने पड़े। गाढ़े सेब जूस/जूस के कम उत्पादन, सेब के खराब होने, ईंधन की अधिक खपत तथा वितरक को कमीशन के भुगतान के कारण कंपनी को एम0आई0एस0 के क्रियान्वयन पर ₹ 2.61 करोड़ की हानि के अतिरिक्त उत्पादकों को समयबद्ध भुगतान जारी न करने से इसके उद्देश्य की अनुपलब्धि हुई।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित

3.9 संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करना

मूल अनुबंध में सम्मिलित चरणवार भुगतान सूची को अग्रवर्ती करने के बाद संविदाकार के साथ हुए पूरक अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ₹ 15.54 करोड़ ब्याज की वसूली के लिए कोई कार्रवाई न करके कंपनी ने संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (कंपनी) ने 100 मेगावाट की सैंज जल विद्युत परियोजना के लिए सिविल व हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य ₹ 431 करोड़ लागत पर एक फर्म[18] को दिया (जून 2010)। जिसके पूर्ण करने की नियत तिथि 01 अगस्त 2014 थी। संविदाकार को भुगतान कार्य की चरणवार पूर्णता पर किया जाना था। परियोजना की पूर्णता में विलम्ब के कारण संविदाकार ने सहमत हुए चरणवार भुगतान में संशोधन के लिए कंपनी से अनुरोध किया (अगस्त 2012)। कंपनी ने संविदाकार का अनुरोध स्वीकार करते हुए संविदाकार के साथ एक पूरक अनुबंध किया (जनवरी 2013)। पूरक अनुबंध का अनुच्छेद 2 प्रावधान करता है कि संविदाकार की 02 जून 2015 तक संपूर्ण कार्य पूर्ण करने में विफलता की स्थिति में, कारणों के लिए संविदाकार जिम्मेदार हो तो, संविदाकार 11 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज भुगतान के लिए उत्तरदायी था, जिसकी गणना प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को ब्याज प्रभारित करने के द्वारा वार्षिक दरों पर की गई थी।

18 मैसर्ज हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, मुंबई।

लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि चरण-वार भुगतानों से सम्बन्धित शर्त निविदा दस्तावेज में सम्मिलित की गई थी और सभी निविदाकारों ने तद्नुसार निधियों के प्रवाह पर विचार करते हुए अपनी निविदाएं प्रस्तुत की थी। अनुबंध की धारा-6 के परिच्छेद 1.3.4 के साथ पठित संविदा की सामान्य शर्तों का उप-खंड 4.12 प्रावधान करता है कि ऐसा माना जाएगा कि संविदाकार ने जोखिमों, आकस्मिकताओं व अन्य परिस्थितियां जो कार्य को प्रभावित कर सकती है, से सम्बन्धित समस्त सूचना प्राप्त कर, कार्य का सफलतापूर्वक पूर्णता में आने वाली सभी बाधाओं का अनुमान लगा लिया है। संविदाकार के कारणों जिसमें बार-बार मशीनों का बिगड़ना, अपेक्षित निर्माण सामग्री की व्यवस्था न होना तथा कार्यस्थल पर दक्ष श्रम शक्ति की कमी सम्मिलित है, से कार्य आरम्भ से ही नियत समय से पीछे था। इसलिए कार्य सौंपे जाने के 32 महीने बाद संविदाकार का भुगतान समयावधि को अग्रवर्ती करने का अनुरोध स्वीकार करना न्यायोचित नहीं था। संविदाकार भुगतान समयावधि को अग्रवर्ती करने के बाद भी निजी कारणों से सहमत तिथि जून 2015 तक कार्य पूरा नहीं कर सका। संशोधित सूची से 24 महीने की देरी के पश्चात् परियोजना 19 जून 2017 को आरम्भ हो गई। सहमत तिथि पर कार्य की अपूर्णता के मद्देनजर संविदाकार मार्च 2016 तक अग्रिम रूप में जारी ₹ 396 करोड़ की राशि पर ₹ 15.54 करोड़ ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी था। यहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि कंपनी को भुगतान समय को अग्रवर्ती करने के कारण अतिरिक्त ब्याज भुगतान वहन करना पड़ा, तथापि संविदाकार ने कम्पनी की लागत व व्यय पर निधियों की पूर्व प्राप्ति का लाभ प्राप्त करने के बावजूद भी सहमत समय के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया था।

आगे, कम्पनी ने विभिन्न शर्तों जो संविदा अनुबंध की धारा-6 के परिच्छेद 1.3.4 के साथ पठित संविदा की सामान्य शर्तों के उप खण्ड 4.12 के अनुसार स्वीकार्य नहीं थी, सहित विभिन्न कारणों के आधार पर समय विस्तार प्रदान किया था।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रेषित किया गया था (जून 2017); उनके उत्तर प्रतिक्षित थे (नवम्बर 2017)।

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित

3.10 परिहार्य हानि

कम्पनी ने एक अपूर्ण संचार लाईन का उपयोग किया और अपेक्षित क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए संविदाकार को ₹ 0.78 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सिमित (भूतपूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड) ने एक संविदाकार[19] को काशंग से भाबा तक 220 किलोवाट डबल सर्किट संचार लाईन का निर्माण कार्य सौंपा था (जून 2005)।

संविदा की विशेष शर्त के परिच्छेद 1.19 में प्रावधान था कि संविदाकार निम्नतम कंडक्टर से न्यूनतम तकनीकी ग्राउंड क्लीयरेंस व साइड क्लीयरेंस सुनिश्चित करेगा जैसा कि संविदा के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है। कम्पनी ने कार्यों के निरीक्षण के दौरान पाया (जुलाई 2009) कि विभिन्न स्थानों पर अपर्याप्त ग्राउंड क्लीयरेंस के कारण उस चरण पर पूर्ण रेटिड क्षमता तक लाईन चार्ज नहीं की जा सकती थी तथा संविदाकार को कार्य पूर्ण करने की सलाह दी।

19 मैसर्ज ज्योती स्ट्रक्चर लिमिटिड, गुडगांव।

इसी दौरान, एक निजी जल विद्युत परियोजना से विद्युत निकालने के लिए राज्य संचार उपयोगिता समन्वय समिति ने 10 सितम्बर 2010 को आयोजित अपनी बैठक में लाइन को 22 किलोवाट पर चार्ज करने का निर्णय लिया तथा मई 2011 के दौरान लाइन के एक सर्किट का विद्युतीकरण किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बार-बार नोटिसों (अक्तूबर 2010 तथा अप्रैल 2011) के बावजूद संविदाकार ने लाइन को इसकी 220 किलोवाट की पूर्ण रेटिड क्षमता तक चार्ज करने के विनिर्देशों के अनुसार लाइन के अपेक्षित कार्य निष्पादित नहीं किए थे क्योंकि अपेक्षित ग्राउंड/साइड क्लीयरेंसेस प्राप्त नहीं की गई थी। कम्पनी, अब लाइन का उपयोग करना शुरू कर चुकी है, आवश्यक क्लीयरेंसेस प्राप्त करने के लिए डिस्ट्रिंगिंग व रिक्ट्रिंगिंग कंडक्टर के साथ-साथ अर्थ वायर, कुछ टावरों को उतारने व पुन: खड़ा करने पर ₹ 0.78 करोड़ का व्यय करना पड़ा था। लाइन के उपयोग से पहले अपेक्षित क्लीयरेंसेस सुनिश्चित करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 0.78 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ क्योंकि क्लीयरेंसेस संविदा के दायरे में थी और कम्पनी को लाइन का उपयोग करने से पहले सुनिश्चित करना चाहिए था।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रेषित किया गया था (अक्तूबर 2017); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2017)।

हिमाचल प्रदेश सड़क व अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित

3.11 एक संविदाकार को मूल्य वर्द्धित कर का भुगतान

कम्पनी ने स्वीकृति पत्र के निबंधनों व शर्तों में अनुवर्ती संशोधन के द्वारा एक संविदाकार को ₹ 49.87 लाख मूल्य वर्द्धित कर का भुगतान किया।

हिमाचल प्रदेश सड़क व अन्य अवसंरचना विकास निगम (कम्पनी) विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित "जिला मण्डी में पैकेज 02 सड़कों के अनुरक्षण के लिए आउटपुट व निष्पादन आधारित सड़क संविदा" कार्य के निष्पादन के लिए कार्यान्वन अभिकरण था। परियोजना को लोक निर्माण विभाग के मण्डलों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना था। मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, मण्डी जोन (मुख्य अभियन्ता) ने इस कार्य के निष्पादन के लिए राज्य सरकार की ओर से निविदा आमंत्रित की थी (नवम्बर 2013)। धारा-। (बोलीकर्त्ताओं को निर्देश) का खंड 14.7 अनुबद्ध करता है कि मूल्य सभी शुल्कों, करों व अन्य उगाही को मिलाकर उद्धृत करने थे। संविदा अधिनिर्णय से पहले 19 जुलाई 2014 को मुख्य अभियन्ता, (मण्डी जोन) के कार्यालय में एक पूर्व-अधिनिर्णय बैठक आयोजित हुई थी जिसमें संविदाकार सभी करों सहित ₹ 38.33 करोड़ में कार्य के निष्पादन हेतु सहमत हुआ था। पूर्व अधिनिर्णय बैठक के कार्यवृत्तों के अनुसार कार्य निष्पादन हेतु संविदाकार की तैयारी के संबंध में उससे एक शपथ-पत्र प्राप्त करने के बाद (29 अगस्त 2014) मुख्य अभियंता ने स्वीकृति पत्र जारी किया (02 सितम्बर 2014) जिसमें इंगित था कि अंतिम रूप प्राप्त दरों में समस्त कर सम्मिलित है, और तद्नुसार सभी करों से युक्त ₹ 38.33 करोड़ में सम्पूर्ण कार्य को निष्पादन के लिए संविदाकार व राज्य सरकार के मध्य एक संविदा अनुबंध हुआ (31 अक्तूबर 2014)।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अप्रैल 2016) कि निविदा डाटा शीट के खंड आई0टी0बी0 14.7 तथा संविदा की विशेष शर्तों के अन्तर्गत खंड 52.1, 52.4 तथा 52.4.1 में दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर संविदाकार ने राज्य सरकार से मूल्य वर्द्धित कर के भुगतान की मांग की (फरवरी 2015)। इसके प्रत्युत्तर में मुख्य अभियन्ता ने सितम्बर 2014 में संविदाकार को जारी स्वीकृति पत्र में "संविदाकार द्वारा भुगतान

योग्य सभी शुल्क, कर व अन्य उगाहियां सम्मिलित" शब्दों को बदलकर "संविदाकार द्वारा भुगतान योग्य सभी शुल्क, कर (मूल्य वर्द्धित कर के अतिरिक्त) व अन्य उगाही सम्मिलित" करके एक शुद्धि पत्र जारी (मई 2015) किया। जारी संशोधन केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी (नवम्बर 2002) दिशा-निर्देशों के विपरीत था जो बताता है कि भुगतान शर्तें सुस्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए तथा संविदा के अधिनिर्णय के पश्चात् इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्वीकृति पत्र अक्तूबर 2014 में किए गए संविदा अनुबंध द्वारा अधिक्रमित हो गया था जिसमें संशोधन नहीं किया गया है और स्वीकृति पत्र (अनुबंध का अनुलग्नक) तथा संविदा के खण्ड में अन्तर की स्थिति में बाद वाला प्रचलन में रहेगा। आगे, संविदा अनुबंध के निष्पादन के पश्चात् स्वीकृति पत्र के निबंधन एवं शर्तों में संशोधन केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के विपरीत था तथा संविदा अनुबंध में संशोधन के बिना इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है जो न केवल बाध्यता थी अपितु विधि द्वारा प्रवर्तनीय भी था ।

कम्पनी ने संविदाकार को संविदा अनुबंध में सहमत दरों के अनुसार भुगतान जारी करने, जो कि दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी तथा विधि द्वारा प्रवर्तनीय था, के स्थान पर सहमत दरों से अधिक मूल्य वर्द्धित कर का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप, संविदाकार को ₹ 49.87 लाख[20] (कम्पनी द्वारा ₹ 35.15 लाख व लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹ 14.72 लाख) मूल्य वर्द्धित कर का अतिरिक्त भुगतान हुआ। कम्पनी ने जून 2016 तक भुगतान जारी कर दिये थे और इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा संस्वीकृत निधियों के समाप्त होने के बाद, शेष कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा भुगतान किया जा रहा था।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रेषित किया गया था (मई 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2017)।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित

3.12 रेलवे टिकट की बुकिंग पर सेवा प्रभारों की अवसूली के कारण नुकसान

यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्रों के सशक्तीकरण के लिए अनुबंध करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं से सेवा प्रभारों की वसूली के लिए निबंधनों व शर्तों को परिभाषित करने में कम्पनी की विफलता से ₹ 18.87 लाख की हानि हुई।

उत्तर रेलवे ने हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध (नवम्बर 2005) पर दूर-दराज भाग के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू व मण्डी में दो नान-रेलहेड यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्र खोले। राज्य सरकार ने प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित (कम्पनी) के परामर्श से यात्री आरक्षण प्रणाली उपकरण के साथ बुकिंग काउन्टर, फर्नीचर व उपकरण रखने के लिए नि:शुल्क जगह देने की सहमति (नवम्बर 2005) दी। इन यात्री आरक्षण प्रणाली के संचालन के लिए श्रम शक्ति भी कम्पनी द्वारा प्रदान की जानी थी। तथापि, इस यात्री आरक्षण प्रणाली के संचालन के लिए सेवा प्रभार विनियमन हेतु निबंधनों व शर्तों को परिभाषित करने वाला कोई अनुबंध नहीं हुआ। कम्पनी ने टिकटों की बुकिंग से आने वाला नकद समय-समय पर रेलवे प्राधिकारियों को हस्तांतरित किया था। रेलवे प्राधिकारियों के साथ कोई अनुबंध न होने से, यह सेवा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता से कोई सेवा प्रभार वसूल नहीं किए गए।

---

20 कम्पनी द्वारा जून 2015 व जून 2016 के मध्य (14वें रनिंग बिल तक) ₹ 35.15 लाख दिया गया तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा (20वें रनिंग बिल तक) ₹ 14.72 लाख दिया गया।

मई 2016 में राज्य सरकार के माध्यम से कम्पनी ने रेलवे प्राधिकारियों के साथ मामले पर चर्चा की। इसके प्रत्युत्तर में, मुख्य वाणिज्यिक प्रबन्धक, उत्तर रेलवे ने कम्पनी को सूचित किया (जुलाई 2016) कि ग्राहकों से द्वितीय श्रेणी स्लीपर टिकट की बुकिंग के लिए ₹ 15, तृतीय श्रेणी वातानुकूलित कुर्सीयान के लिए ₹ 20 तथा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित व प्रथम श्रेणी के लिए ₹ 30 की दर पर सेवा प्रभार का उद्ग्रहण किया जा सकता है जैसा कि सितम्बर 2007 में डाक प्राधिकारियों को स्वीकृत था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया (मार्च 2016) कि कम्पनी ने सितम्बर 2007 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणी की ₹ 11.98 करोड़ मूल्य की 1,25,800 टिकटें बुक की थीं। चूंकि कम्पनी ने श्रेणी-वार टिकटों की बिक्री से सम्बन्धित कोई डाटा अनुरक्षित नहीं किया था, इसलिए 1,25,800 टिकटों की बुकिंग पर वसूल न किए गए सेवा प्रभारों की वास्तविक हानि को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि, द्वितीय श्रेणी स्लीपर की टिकट बुकिंग के लिए लागू ₹ 15 सेवा प्रभार की न्यूनतम दर को मानते हुए जैसा कि डाक प्राधिकारियों को स्वीकृत है, 1,25,800 टिकटों पर सेवा प्रभारों की अवसूली के कारण ₹ 18.87 लाख की कुल हानि हुई।

इस प्रकार, इन यात्री आरक्षण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुबंध करने में कम्पनी की विफलता के साथ-साथ इसके वित्तीय हितों की सुरक्षा के बिना यात्री आरक्षण प्रणाली का संचालन को जारी रखने से ₹ 18.87 लाख राजस्व का नुकसान हुआ। कम्पनी में आगे इस आधार पर राजस्व हानि जारी रही क्योंकि सेवा प्रभारों की वसूली से सम्बन्धित रेलवे प्राधिकारियों की सलाह, जो कम्पनी को दी गयी थी (जुलाई 2016), अब तक (अप्रैल 2017) उपेक्षित रही।

सरकार का उत्तर (अक्तूबर 2017) इस परिप्रेक्ष्य में मुद्दे पर प्रकाश नहीं डालता।

3.13 किराए के संशोधन में विलम्ब

दिल्ली-शिमला व दिल्ली-मनाली मार्ग पर चलने वाली लक्जरी वातानुकूलित बसों के किराए के संशोधन में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 0.98 करोड़ के राजस्व की संभावित हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित (कम्पनी) ने दिल्ली-शिमला व दिल्ली-मनाली मार्गों पर कांट्रैक्ट कैरियर के रूप में अपनी लक्जरी वातानुकूलित बस सेवाओं का परिचालन कर रही है। ये दो बस मार्ग हरियाणा क्षेत्र में क्रमशः 211 व 189 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। प्रति यात्री/किलोमीटर किराया यात्रा की दूरी, देय करों तथा अन्य उपरिव्यय के मद्देनजर निर्धारित किया जाता है। कम्पनी ने प्रायोज्य बस किराया परिवहन विभाग तथा विनिर्दिष्ट दरों (अगस्त 2013) पर सड़क कर आबकारी व कराधान विभाग, हरियाणा के पास जमा करवाया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि (दिसम्बर 2016) कि हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त 2013 से लक्जरी वातानुकूलित बसों का प्रति किलोमीटर बस किराया बढ़ाकर ₹ 1.08 से ₹ 1.88 कर दिया। इसके मद्देनजर कंपनी से दिल्ली-शिमला व दिल्ली-मनाली मार्ग पर हरियाणा भाग से सम्बन्धित अपने लक्जरी वातानुकूलित बस किराए में संशोधन अपेक्षित था। हरियाणा सरकार द्वारा किराए में इस वृद्धि के मद्देनजर दिल्ली-शिमला व दिल्ली-मनाली मार्ग पर हरियाणा क्षेत्र के लिए प्रति टिकट कुल प्रभाव क्रमशः ₹ 168.50 व ₹ 151.20 है। तथापि कम्पनी ने 30 सितम्बर 2014 तक उपर्युक्त दो मार्गों पर पर्यटकों से प्रभारित किए जा रहे कुल किराए में इस वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं दिया। कम्पनी द्वारा इस

आधार पर 1 अक्तूबर 2014 मात्र से लक्जरी वातानुकुलित बसों के लिए किराए में संशोधन किया गया। सितम्बर 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान कम्पनी की लक्जरी वातानुकूलित बसों में 61,730 पर्यटकों (शिमला-दिल्ली-शिमला: 25,968 व दिल्ली-मनाली-दिल्ली: 35,762) ने यात्रा की।

इस प्रकार, हरियाणा क्षेत्र के लिए बस किराए में वृद्धि में विलंब के कारण कम्पनी 61,730 पर्यटकों जिन्होंने सितम्बर 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान कम्पनी की लक्जरी वातानुकूलित बसों में यात्रा की थी, ₹ 0.98 करोड़ के अतिरिक्त संभावित राजस्व का उद्ग्रहण नहीं कर सकी।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रेषित किया गया था (जून 2017); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे नवम्बर 2017)।

(कुलवन्त सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक : 12 मार्च 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 14 मार्च 2018

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ परिच्छेद 1.11)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी जिनके लेखे बकाया में हैं

(कॉलम 4 एवं 6 से 8 के आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लेखों की अवधि जिनके लेखे बकाया हैं	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों के दौरान किया गया निवेश, जिनके लेखे बकाया हैं		
					इक्विटी	ऋण	अनुदान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क	**क्रियाशील सरकारी कम्पनियां**						
1	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2012-13	10.28	2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	0.72 0.80 0.67 0.75	- -	- -
2	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2013-14	7.19	2014-15 2015-16 2016-17	0.65 0.75 0.75	- - -	- - 0.61
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013-14	9.39	2014-15 2015-16 2016-17	1.30 0.66 0.75	- - -	0.11 0.12 0.13
4	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2015-16	1585.16	2016-17	191.25	-	-
5	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित	2015-16	239.23	2016-17	23.75	120.00	
6	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	2014-15	553.30	2015-16 2016-17	62.50 50.00	-	330.00 0.70
7	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	2015-16	9.25	2016-17	-	-	8.35
8	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2015-16	0.01	2016-17	0.01	--	0.99
9	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2015-16	12.30	2016-17	-	-	0.60
10	हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम	2014-15	11.71	2015-16 2016-17			
11	हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	2014-15	18.85	2015-16 2016-17		12.92	
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2015-16	3.51	2016-17			
13	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	2015-16	30.82	2016-17			
14	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	2015-16	7.16	2016-17		2.97	
15	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2015-16	38.76	2016-17		8.00	
16	ब्यास घाटी विद्युत सीमित	2015-16	300.00	2016-17			
	योग क: (क्रियाशील सरकारी कम्पनियां)		**2836.92**		**335.31**	**143.89**	**341.61**
ख	**क्रियाशील सांविधिक निगम**						
1	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2015-16	625.49	2016-17		-	
	योग ख: (क्रियाशील सांविधिक निगम)		**625.49**				
	कुल योग: (क + ख)		**3462.41**				

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ परिच्छेद 1.15 एवं 1.16)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम अन्तिम वित्तीय विवरणों/ लेखाओं के अनुसार सारांशित वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम

(कॉलम 5 से 12 के आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र /कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लम्बी अवधि के बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/हानि (-)	कुल बिक्री	लाभांश, कर एवं ब्याज से पूर्व निवल लाभ (+)/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों[1] का शुद्ध प्रभाव	निवेश[2]	निवेश[3] पूंजी पर प्रतिफल	जन शक्ति	ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
क.													
कृषि एवं समवर्गी													
1	हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	2015-16	2017-18	18.85	6.35	(-)18.88	60.57	1.27	0.49	25.20	0.05	118	
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2015-16	2016-17	38.76	20.00	(-) 80.14	72.20	(-) 2.11	0.06	58.76	(-) 0.04	250	1.03
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2014-15	2017-18	11.71	35.72	(-) 52.75	182.90	(-) 2.58	0.53	47.43	(-) 0.05	1930	1.51
क्षेत्रवार योग:				**69.32**	**62.07**	**(-)151.77**	**315.67**	**(-) 3.42**	**1.08**	**131.40**	**(-) 0.03**	**2298**	**2.54**
4	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2012-13	2015-16	10.28	16.50	6.29	2.57	0.90	-	26.78	0.03	18	0.29
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2013-14	2016-17	7.19	-	1.22	0.62	0.20	-	7.19	0.03	2	-

(कॉलम 5 से 12 के आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र /कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लम्बी अवधि के बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/हानि (-)	कुल बिक्री	लाभांश, कर एवं ब्याज से पूर्व निवल लाभ (+)/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों[1] का शुद्ध प्रभाव	निवेश[2]	निवेश[3] पूंजी पर प्रतिफल	जन शक्ति	ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013-14	2016-17	9.39	11.19	(-) 4.77	0.68	0.42	0.09	20.58	0.02	14	0.39
क्षेत्रवार योग :				**26.86**	**27.69**	**2.74**	**3.87**	**1.52**	**0.09**	**54.55**	**0.03**	**34**	**0.68**
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित	2016-17	2017-18	25.00	-	-	-	-[4]	-	25.00	-	2	0.35
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	2015-16	2016-17	30.82	-	34.46	25.46	13.14	0.49	63.66	0.21	138	-
क्षेत्रवार योग :				**55.82**	**-**	**34.46**	**25.46**	**13.14**	**0.49**	**88.66**	**0.21**	**140**	**0.35**
9	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	2015-16	2016-17	7.16	4.83	14.25	56.75	8.59	0.28	26.17	0.33	139	0.21
क्षेत्रवार योग :				**7.16**	**4.83**	**14.25**	**56.75**	**8.59**	**0.28**	**26.17**	**0.33**	**139**	**0.21**
10	ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित	2015-16	2016-17	300.00	652.22	-	-	-[5]	-	952.22	-	175	-
11	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2015-16	2016-17	1585.16	1748.24	(-) 58.98	1.65	(-) 17.92	12.20	3333.40	(-) 0.01	702	-
12	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित	2015-16	2016-17	239.23	338.02	(-) 1.55	15.22	3.14	3.27	577.25	0.01	127	0
13	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	2014-15	2016-17	553.30	3090.72	(-) 1989.12	5584.34	(-) 113.51	8.96	3644.02	(-) 0.03	20535	535.52
क्षेत्रवार योग :				**2677.69**	**5829.20**	**(-) 2049.65**	**5601.21**	**(-) 128.29**	**24.43**	**8506.89**	**(-) 0.02**	**21539**	**535.52**

(कॉलम 5 से 12 के आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र /कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लम्बी अवधि के बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/हानि (-)	कुल बिक्री	लाभांश कर एवं ब्याज से पूर्व निवल लाभ (+)/हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों[1] का शुद्ध प्रभाव	निवेश[2]	निवेश[3] पूंजी पर प्रतिफल	जन शक्ति	ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2015-16	2016-17	3.51	-	32.81	1243.37	3.48	0.16	35.24	0.09	891	0.13
15	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	2015-16 2016-17	2016-17 2017-18	- 3.72	- 0.95	- 5.38	- 82.20	- 2.14	0.18	- 10.1	- 0.21	57	- 0.06
16	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	2015-16	2016-17	9.25	0	(-) 16.52	32.20	1.06	0.52	9.25	0.11	56	0.004
17	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2015-16	2016-17	12.30	-	(-) 22.08	90.89	2.05	0.09	12.30	0.17	1480	0.31
18	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2015-16	2016-17	0.007	-	0.003	-	0.03	-	0.007	4.29	38	-
19	हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित	2016-17	-	1.00	-		5.43			1.00		142	
क्षेत्रवार योग :				**29.787**	**0.95**	**(-) 0.407**	**1454.09**	**8.76**	**0.95**	**30.737**	**0.28**	**2664**	**0.504**
योग क (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सरकारी कम्पनियां)				**2866.637**	**5924.74**	**(-) 2150.377**	**7457.05**	**(-) 99.70**	**27.32**	**8791.377**	**(-) 0.01**	**26814**	**539.804**
ख.													
1	**हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम**	2016-17	2017-18	99.57	127.36	(-) 161.06	3.42	(-) 6.40	0.47	226.93	(-) 0.03	43	7.57
क्षेत्रवार योग :				**99.57**	**127.36**	**(-) 161.06**	**3.42**	**(-) 6.40**	**0.47**	**226.93**	**(-) 0.03**	**43**	**7.57**
2	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2015-16	2016-17	625.49	112.79	(-) 847.77	883.84	1.73	2.50	738.28	0.01	9213	24.15
क्षेत्रवार योग :				**625.49**	**112.79**	**(-) 847.77**	**883.84**	**1.73**	**2.50**	**738.28**	**0.01**	**9213**	**24.15**
योग ख (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सांविधिक निगम)				**725.06**	**240.15**	**(-) 1008.83**	**887.26**	**(-) 4.67**	**2.97**	**965.21**	**(-) 0.01**	**9256**	**31.72**
सकल योग (क+ ख)				**3591.697**	**6164.89**	**(-) 3159.207**	**8344.31**	**(-) 104.37**	**30.29**	**9756.587**	**(-) 0.01**	**36070**	**571.524**

(कॉलम 5 से 12 के आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र /कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लम्बी अवधि के बकाया ऋण	संचित लाभ (+)/हानि (-)	कुल बिक्री	लाभांश, कर एवं ब्याज से पूर्व निवल लाभ (+)/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों[1] का शुद्ध प्रभाव	निवेश[2]	निवेश[3] पूंजी पर प्रतिफल	जन शक्ति	ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ग.	**अक्रियाशील सरकारी कम्पनियां**												
1	कृषि औद्योगिक पैकेजिंग इंडिया सीमित	2013-14	2014-15	17.72	60.15	(-)78.23	-	(-)0.04	(-)5.58	77.87	(-)0.04	1	
क्षेत्रवार योग :				**17.72**	**60.15**	**(-)78.23**	-	**(-)0.04**	**(-)5.58**	**77.87**	**(-)0.04**	**1**	
2	हिमाचल वर्स्टेड मिल्ज सीमित	2000-01	2001-02	0.92	-	(-)5.44	-	(-)0.01	-	0.92	(-)0.01	-	
क्षेत्रवार योग :				**0.92**	-	**(-)5.44**	-	**(-)0.01**	-	**0.92**	**(-)0.01**	-	
योग ग (सभी क्षेत्रवार अक्रियाशील सरकारी कम्पनियां)				**18.64**	**60.15**	**(-) 83.67**	-	**(-) 0.05**	**(-) 5.58**	**78.79**	**(-) 0.01**	**1**	
सकल योग (क+ ख+ग)				**3610.337**	**6225.04**	**(-) 3242.877**	**8344.31**	**(-) 104.42**	**24.71**	**9919.50**	**(-) 0.01**	**36071**	**571.524**

1. लेखा टिप्पणियों के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का निवल प्रभाव शामिल है तथा लाभ (+) में वृद्धि/हानियों में कमी (-) लाभ में कमी/हानि में वृद्धि द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
2. नियोजित पूंजी अंशधारक निधि एवं दीर्घावधि उधारों को प्रदर्शित करती है।
3. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना लाभ एवं हानि लेखा को लाभ व प्रभारित ब्याज जमा करके की गई है।
4. आय से अधिक व्यय की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।
5. क्रम संख्या क-10 ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित में प्रदर्शित ने लाभ व हानि लेखे तैयार नहीं किए हैं ।

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ परिच्छेद 2.10.2)

विचलित मदों के लिए दरों के गलत विश्लेषण के कारण उच्च दरों को प्रदान करने का विवरण (स्टेज-I)

क्रमांक	घटक के नाम	संलिप्त विचलित मदों के नाम	दरों के गलत विश्लेषण के कारण भुगतान की गई राशि (करोड़ में)	गलत विश्लेषण को आरोग्य कारण	इकाई के उत्तर	अभ्युक्तियां/खण्डन
1.	संतोलन जलाशय, एडीट एवं दबाव शाफ्ट	स्टील पी वी सी जल रोधक सील एवं कंक्रीट	0.77	इनपुट मदों के दरों से उत्पाद शुल्क के घटक को सम्मिलित न करना (एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए छूट)	केन्द्रीय जल आयोग एवं कर घटक को सम्मिलित करने के बाद फरवरी 2013 में जारी कम्पनी की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार विश्लेषित की गई दर	उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर की छूट एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध था।
2.	परियोजना के सभी घटक	23466.160 घनमीटर कंक्रीट के लिए उपयोग किया गया 31,663 घनमीटर सैण्ड एवं एग्रीगेट	0.30	संविदाकार द्वारा प्रयुक्त, क्रशिंग संयंत्र में उपयोग की गई मोटर (किलोवाट में) की वास्तविक क्षमता के बजाय प्रति मीट्रिक टन उत्पादन के आधार पर ऊर्जा प्रभारों, संविदाकार द्वारा प्रयुक्त तीन एक्सकेवेटर के बजाय के औसत लागत एक्सकेवेटर की उच्चत्तम लागत, उच्च मजदूरी प्रभारों को मानने से।	मशीनरी एवं मजदूरी के लिए निर्धारित प्रभारों को केन्द्रीय जल आयोग की मार्गदर्शिका/संविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई इनवासस के अनुसार विचार किया गया था।	मशीनरी एवं मजदूरी की औसत लागत प्रभारी अभियंता के सत्यापन के बाद विचार किया जाना था।
3.	दबाव शाफ्ट एवं एकीट्स	ड्रील जम्बों मशीन के द्वारा जमीन के अन्दर खुदाई	0.26	सीमा शुल्क के छूट का घटक इसके लागत से अलग नहीं किया था। दरों को समरूप मदों से नहीं निकाला गया था तथा मशीन, चौकीदार एवं फोरमैन के वेतन को भी उच्चतर रूप से प्रभारित किया गया था।	--	--

4.	पावर हाऊस	ब्रिकी कार्य एवं स्लाइस वाल्व लगाना	0.34	उत्पाद शुल्क एवं प्रवेश शुल्क (अलग से भुगतान की जा रही है) के छूट घटक को सम्मिलित न करना, फालतू एवं अप्रत्यक्ष कीमत के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश अनुसूची दरों के विपरीत ईटों की मैनुअली ढुलाई के लिए अतिरिक्त प्रभारों तथा सैण्ड की उच्च लागत को लगाना।	महाप्रबन्धक ने बताया कि (जून 2017) कि हिमाचल प्रदेश अनुसूची दर के मानक को सीमित सामग्री को उठाने के लिए लागू नहीं की जा सकती इस प्रकार के प्रभारों का वास्तविक आधार पर निकाला जाता है।	उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका (फरवरी 2013) हिमाचल प्रदेश अनुसूची दरों को अपनाने का प्रावधान करती है।
5.	गैस रोधी स्वीचगीयर, पावर हाऊस एवं मुख्य ऐक्सेस टनल	आपूर्ति/छत को बनाना, दीवार क्लैडिंग एवं टाइल्स	0.32	उप-संविदाकार द्वारा उद्धृत दरों पर संविदाकार का लाभ जोड़ना जिसमें पहले ही उसके लाभ तथा उत्पाद शुल्क सम्मिलित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप संविदाकार के लाभ के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान (छूट) दोबारा लगाया गया। इसी प्रकार टाईल्स के लिए दर भी व्यापारी द्वारा उद्घृत दरों पर गणना की गई जो कि उत्पादन शुल्क तथा उत्पाद के दरों के बजाय उसके लाभ के अन्तर को मिलाकर था।	महाप्रबन्धक ने बताया (जून 2017) कि कम्पनी द्वारा जारी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार सामग्री लागत में शुल्कों/करों को सम्मिलित किया गया था।	उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दरों की गणना करते समय छूट के घटकों को अलग रखना चाहिए था।
		योग	**1.99**			

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ परिच्छेद 3.7)

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अन्तर्गत वसूली योग्य उच्च प्रभारों का विवरण

विद्युत उप-मण्डल का नाम	नाम/उपभोक्ता का अकाउट नं0	स्वीकृत कनेक्टेड लोड़ किलोवाट में	स्वीकृत कनेक्टेड लोड	स्वीकृत कनेक्टेड लोड का 110 प्रतिशत	अवधि/माह	ली गई वास्तविक लोड	ली गई अत्यधिक लोड	कुल खपत (के0वी0ए0एच0)	बढ़ाई गई लोड पर अनुपातिक खपत	धारा 126 के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि	टैरिफ (धारा 126 के अतिरिक्त) के अनुसार पूर्व में वूसल की गई जुर्माना राशि	कम वसूली
			(लोड के0वी0ए0 में)							(₹ में)		
टाहलीवाल	हिमालय क्राफ्ट (प्रा0) सीमित	491.36	546	601	8/12 एवं 1/13 से 6/13	603 से 703	57 से 157	2144510	349332	13,45,314	1,94,354	11,50,960
		585.36	585	644	10/13 से 7/14 (5/14) के अलावा	683 से 749	98 से 164	3106480	242208	11,50,488	1,48,920	10,01,568
		585.36	585	644	8/14 से 1/15	694 से 801	109 से 216	2267270	265781	11,96,014	1,05,120	10,90,894
टाहलीवाल	लोविन केयर	248	276	303	5/13 से 11/13 (6/13) के अलावा	308 से 357	32 से 81	715200	103415	4,91,219	56,200	4,35,019
											योग	**36,78,441**

परिशिष्ट-3.2

{ संदर्भ परिच्छेद 3.8.5 (ii)}

मानक के अनुसार फर्नेस आयल की अधिक खपत का ब्यौरा दर्शाने वाली विवरणिका

क्रम संख्या	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1	गाढ़े सेब जूस के एक मीट्रिक टन के निष्कर्षण के लिए फर्नेस आयल (लीटर) के खपत के लिए निर्धारित मानक	440	440	440
2	गाढ़े सेब जूस का वास्तविक निष्कर्षण (मीट्रिक टन)	455.300	287.400	500.000
3	उपयोग किया जाने वाला फर्नेस आयल (लीटर)	200332	126456	220000
4	वास्तव में उपयोग किया गया फर्नेस आयल (लीटर)[1]	255379	188142	230164
5	फर्नेस आयल की अधिक खपत (लीटर)	55047	61686	10164
6	गाढ़े सेब जूस (लीटर) के एक मीट्रिक टन के निष्कर्षण के लिए फर्नेस आयल की खपत	**561**	**655**	**460**
7	4000 ट्रे को भरने के लिए फर्नेस आयल के खपत के लिए निर्धारित मानक	1300	1300	1300
8	वास्तव में भरी गई ट्रे	565621	639694	526737
9	उपयोग किया जाने वाला फर्नेस आयल (लीटर)	183827	207901	171190
10	वास्तव में उपयोग किया गया फर्नेस आयल (लीटर)	221909	207035	162875
11	फर्नेस आयल की अधिक खपत (लीटर)	38082	-865	-8314
12	4000 ट्रे (टेट्रा पैक) को भरने के लिए फर्नेस आयल की खपत	**1569**	**1295**	**1237**
13	एक मीट्रिक टन गाढ़े सेब जूस के निष्कर्षण एवं टेट्रा पैक जूस की भरने के लिए खपत की गई अधिक फर्नेस आयल (5+11)	93128	60821	1850
14	प्रति लीटर फर्नेस आयल की औसत दर (रूपये)	49.22	24.88	26.08
15	फर्नेस आयल के अधिक खपत के कारण अधिक व्यय (रूपये लाख में)	**45.84**	**15.13**	**0.48**
			योग्य	**₹ 61.45 लाख**

[1] वर्ष 2014-17 के दौरान उपयोग की गई ब्रिक्रेट्स को 3.08 से विभाजित कर फर्नेस आयल में परिवर्तित किया गया है क्योंकि कम्पनी ने सितम्बर 2014 के दौरान वुड़ फायर्ड वायलर प्रतिस्थापित की थी।